राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] • तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का १२वां दिवस [संख्या ११

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २३१

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३२

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह

टोंक में फोरेस्ट सेटलमेन्ट का कार्य

२३३. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला टोंक में फोरेस्ट सेटलमेन्ट का कार्य चालू हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि अमीनगण डिमार्केशन करते समय राजस्व पटवारी को साथ में नहीं रखते हैं और खातेदार की भूमि में अपना डिमार्केशन कर देते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) यह कहां तक उचित है कि काश्तकारों के कहने पर और प्रमाण बताने पर भी वे नहीं मानते और खातेदारी में सीमा निर्धारित कर देते हैं और फिर उस काश्तकार से अपने उजरात मांगते हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार की ओर से बन्दोबस्त अधिकारियों को यह हिदायत नहीं दी जाती कि वे खातेदारी में ऐसा नहीं करें और डिमार्केशन करते समय हल्का पटवारी व सरपंच को भी साथ रखें ?

(५) क्या यह सही है कि इस समय यह कार्य तहसील देवली में हो रहा है और वहां इस प्रकार की कई शिकायतें हैं ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, अप्रेल १९६२ से।

Page No 2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) जी नहीं। सम्बन्धित पटवारियों को साथ रखने के लिये तहसीलदार से बन्दोबस्त किया जाता है। तहसील से नक्शे लाकर खातेदारों की जमीन बाहर निकाल दी जाती है और उनकी सीमा पर कभी कभी इसलिये निशान लगाया जाता है कि वह जमीन बाहर निकाली जा सके और वहां से वन-सीमा का सर्वे कर सकें।

(३) प्रश्न संख्या २ के उत्तर में क्या किया जाता है; बताया जा चुका है। सरकार ने पंचायतों को भी साथ रखने की हिदायतें दी हैं।

(४) वन बन्दोबस्त अधिकारियों को हिदायत की गई है कि खातेदारी की जमीन को वन-सीमा से बाहर कर दें और हल्का पटवारी व सरपंच को जांच के समय साथ रखें।

(५) देवली तहसील में भी वन बन्दोबस्त का कार्य चालू है। एक दो वन-खंडों के सम्बन्ध में आपत्ति-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच वन बन्दोबस्त नियमों के अनुसार की जावेगी।

जागीरदारों द्वारा फलदार वृक्षों के मुआवजे का दावा

२३४. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): [श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया] क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के साथ-साथ भूतपूर्व जागीरदारों के सम्पूर्ण आमदनी का मुआवज़ा तय किया जा चुका है या किश्तों से किया जा रहा है?

(२) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा व तहसील कुशलगढ़ के जागीरदारों ने फलदार वृक्षों के मुआवज़े का दावा जिन किसानों के खेत में महुए हैं उन पर किया और वसूल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(३) कुशलगढ़ में किन-किन जागीरदारों ने कितने कितने किसानों पर उक्त मुआवजे का दावा किया है?

(४) क्या जो महुए का दावा किया है उसका फल पहले जागीरदार खुद बीनते थे या वे किसान ही भोग करते आ रहे हैं?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जागीर पुनर्ग्रहण होने पर जागीरदारों को सम्पूर्ण आय का मुआवज़ा नियमानुसार तय किया गया है। उन्हें बोन्ड्स के रूप में कुछ मुआवज़ा दिया जा रहा है।

(२) हां, जागीरदारों ने फलदार वृक्षों के मुआवज़ा का दावा किसानों के ख़िलाफ़ किया है। यह कार्यवाही ज़ेर दफ़ा ८०, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अधीन है।

(३) तहसील कुशलगढ़ में सिर्फ़ दो जागीरदारों ने २४५ काश्तकारों पर दावे किये हैं।

(४) इस सम्बन्ध में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

श्री रामकिशन : आपने खंड (४) का उत्तर दिया है; 'इस संबंध में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है' पूछने की बात यह थी कि आदिवासी अपने खेतों में से महुआ बीन कर बेचते थे उन पर जागीरदारों ने क़ब्ज़ा कर लिया

(श्री रामकिशन)
था या किसान ख़ुद बेचते थे क्या उसका रेकॉर्ड आपके पास उपलब्ध नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फलदार वृक्षों के फल कौन बीनता है उसका रेकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

श्री रामकिशन : आपको इस बात की तो जानकारी होनी चाहिये कि जिन खेतों पर इस प्रकार के फलदार वृक्ष हैं उन खेतों पर किसानों को खातेदारी राइट्स एक्यू हो चुके हैं तो उन पेड़ों से फल बीनने का हक किसानों को या उन आदिवासियों को है या नहीं, जब कि वे परम्परा से फल बीनते आ रहे हैं ? यदि हैं, तो उन पर दावा कैसे किया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परम्परा क्या है क्या नहीं ? लेकिन टिनेन्सी एक्ट के दफ़ा ८० की तहत जो ज़मीन जागीरदारों की थी और अब किसानों के खाते में चली गई उस पर जो फलदार पेड़ हैं उनका मुआवज़ा देना पड़ेगा। इसलिये दफ़ा ८० के तहत जागीरदारों ने किसानों पर मुआवजे के दावे किये हैं।

श्री रामकिशन : यदि इस तरह की जमीन पर दो तरह के पेड़ थे; एक तो जागीरदारों की जमीन पर पहले ही से लगे हुए थे और दूसरे किसानों ने लगाये थे तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद जो पेड़ जागीरदारों ने नहीं लगाये थे, किसानों ने ही लगाये थे, उन पर भी दावा कैसे कर दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं जो जानकारी दे रहा हूं वह उन पेड़ों के संबंध में है जो जागीरदारों की जमीन पर खड़े थे और जो ज़मीन किसानों के खातेदारी में चली गई और उन पेड़ों के हकदार किसान कहते हैं हम बन गये, लेकिन रूल्स के अनुसार उनको मुआवज़ा देना चाहिये, Subject to the Payment of Compensation under Section 80.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सरकार ने जब उनको मुआवज़ा ज़मीन का दे दिया है तो दफ़ा ८० को बदल दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फलदार पेड़ों का मुआवज़ा दफ़ा ८० के तहत देना चाहिये।

श्री रामकिशन : महुआ फलदार पेड किस तरह से है जब कि यह पेड़ नेचुरल वे में उगता है और आदिवासी इसके फल बीन कर अपना गुज़र चलाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : महुआ फलदार पेड़ माना गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फलदार पेड़ की कौनसी डेफ़िनिशन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दफा ८० में वे सभी पेड़ आ जाते हैं जो उसमें लिखे हुए हैं, चाहे वे फलदार हों या दूसरी क़िस्म के हों।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो पेड़ फलदार पेड़ों की गिनती में नहीं आते उनको किस प्रकार से फलदार गिनते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Next question please.

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। क्या ऐसी स्थिति में सरकार विचार करने को तैयार है कि महुआ आदिवासियों की आमदनी का साधन है इसलिये एक्ट में संशोधन करके इनको राहत दिलाई जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस समय कुछ नहीं कर सकते ।

श्री रामकिशन : क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कुछ विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष : That is too much to ask.

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत
खारची तहसील के संबराड गांव का लगान

२३५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि खारची तहसील के संबराड गांव का लगान संवत् २०११ की सावनू किश्त का महकमा हैसियत कोर्ट ने वसूल किया ? यदि हां, तो कितना रुपया वसूल किया ?

(२) क्या उक्त वसूली की सूचना डिप्टी कलेक्टर जागीर, पाली को दी गई और क्या उक्त रकम जागीरदार के मुआवजे में से काट दी गई ?

(३) क्या उक्त वसूल शुदा लगान की संबराड के काश्तकारों से दुबारा मांग की गई ? यदि हां, तो क्या डिमान्ड बनाने से पहिले राजस्व अधिकारी ने भूतपूर्व जागीरदार से या गांव के काश्तकारों से या लम्बरदारों से इस बाबत जांच या दर्याफ्त की कि आया लगान जागीरदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा वसूल तो नहीं कर लिया गया है जब कि रिज़म्प्शन सावनू किश्त ड्यू होने के बाद हुआ ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, २२८०.२५ न. पै. ।

(२) इस सम्बन्ध में सूचना तहसील में ज़रिये काश्तकारान् ता. १७-९-६२ को दी गई। चूंकि कम्पेन्सेशन पर अदालत से कुर्की (अटेचमेन्ट) आ चुकी थी इसलिये लगान की वसूली मुमकिन नहीं है ।

(३) उक्त वसूल शुदा लगान संबराड के काश्तकारों से मांगी गई। डिमान्ड के पहिले राजस्व अधिकारी ने भूतपूर्व जागीरदार से या गांव के काश्तकारों से या लम्बरदारों से इस बाबत जांच नहीं की क्योंकि जागीर रिज़म्प्शन सावनू किश्त शुरू होने के पहिले हुई ।

श्री तेजाराम गहलोत: आपने प्रश्न के भाग (१) में कहा, 'जी हां,' और २२८० रु. २५ न. पै. बताये वे, किस आधार पर बताये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकारी अधिकारियों ने जांच की और उनके सामने रसीदें बताई गई ।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या हैसियत कोर्ट के द्वारा वसूली करने का इन्चार्ज कलेक्टर होता है और कलेक्टर के यहां जो रेकॉर्ड है उसके आधार पर कितनी वसूली हुई ?

श्रीरामप्रसाद लड्ढा : जो फिगर्स मैंने बताये हैं वे जांच के बाद बताये हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में बताया गया कि रिजम्प्शन की ड्यू डेट लगान वसूल करने से पहले आती है तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों की ड्यू डेट कब-कब थीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-८-५४ रिजम्पशन की डेट थी और लगान वसूली की डेट १५-११-५४ थी तथा रिजम्पशन के बाद रिकवरी की ड्यू डेट आती है; इसलिये जागीरदार से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर लगान की डेट रिजम्पशन से पहले आती तो और बात होती।

श्री तेजाराम गहलोत : अभी आपने यह कहा कि रिजम्पशन की तारीख १-८-५४ थी और हैसियत कोर्ट से वसूली की तारीख १५-११-५४ थी इसलिये अगर किसी ने नाजायज वसूली की है तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-८-५४ के बाद १५-११-५४ को लगान वसूल करने की ड्यू डेट आती है, इसलिये पहले वसूल कर लेने का सवाल नहीं आता। यदि माननीय सदस्य का ख्याल है कि किसी से पहले ही लगान वसूल कर लिया है तो सेक्शन २५ के तहत हमारे पास कोई रिपोर्ट करे और अगर वह शिकायत सही साबित होती है तो कम्पेन्सेशन मिलने की जो रकम है उसमें से मनी काट कर जिससे अधिक वसूल करली है तो कम्पेन्सेशन में से काटा जा सकता है। लेकिन ऐसी दरख्वास्त १७-९-६२ को की गई जब कि बोंड की किश्त-अदायगी के ऑर्डर्स हो चुके थे। दरख्वास्त आने से पहले बोर्ड की किश्त दी जा चुकी थी।

श्री तेजाराम गहलोत: उपाध्यक्ष महोदय., मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर राउन्ड अबाउट वे में उत्तर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न साफ है कि यह रकम जागीरदार द्वारा वसूल न की जाकर हैसियत कोर्ट के द्वारा वसूल की गई। वह रकम २७-३-५५ तक रिजम्पशन की तारीख तक ले सकते है। उसके बाद में वसूल करते हैं तो कलेक्टर या जो अधिकारी थे उनको पता था कि गांव का रिजम्पशन हो चुका है। उसके बाद भी हैसियत कोर्ट के द्वारा रकम वसूल कराई गई और जागीरदार के खाते में से वसूल हो गई। इस तरह काश्तकारों से दुबारा वसूल की जा रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह रकम, मेरी इन्फोर्मेशन है कि १५-११-५४ के बाद वसूल की गई है। अब आप फरमाते हैं कि यह पहले वसूल · · · · · ·

श्री तेजाराम गहलोत : १९५५ में ली है, उससे पहले नहीं ली गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: १५-११-५४ के बाद की तो सूचना मेरे पास नहीं है। आप सूचना देते हैं तो मैं जांच कर लूंगा।

श्री तेजाराम गहलोत : जो रसीदें प्राप्त हुई हैं, वे मेरे पास अवेलेबल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्रीजी सूचना प्राप्त कर लेंगे और फिर जवाब दे सकेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : जब तक मंत्री महोदय यह सूचना प्राप्त न कर लें कि जिन किसानों से वसूली की जा चुकी है उनसे हैसियत कोर्ट के द्वारा वसूली की जा रही है तब तक क्या रिकवरी के लिए स्टे ऑर्डर दे देंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए सैक्शन २५ है। सुओ मोटो (Suo moto) उसके ऊपर एक्शन लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा २२ बी. की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, उसके तहत जो वसूली की गई है उसके रिटेनेबल डिस्बर्समेंट की कार्यवाही हो सकती है और वह सरकार को करनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके ऊपर तो कार्यवाही सैशन्स कोर्ट करेगी या हैसियत कोर्ट करेगी। आपके पास जो डाक्युमेंटस हैं इनको पेश करके उनका शेअर प्राप्त करें।

श्री तेजाराम गहलोत : यह सरकारी रेवेन्यू और जागीरदारी रेवेन्यू का प्रश्न है, यह सरकार और जागीरदार के बीच इन्टरप्रिटेशन का प्रश्न है। सरकार को अपना इन्ट्रेस्ट वाच करना है और इस वसूली का रिटेनेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर सरकार को नुकसान होता ह तो उसने कार्यवाही क्यों नहीं करवाई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार का लगान वसूल हो चुका है, सरकार को नुकसान कहां है।

श्री तेजाराम गहलोत : आज भी ड्यू है और आज भी मांग की जा रही है जब कि काश्तकारों ने जो लगान दिया है, काश्तकारों से जो वसूली की गई है, उसकी रसीदें उनके पास मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विशेष कोई जानकारी करनी होगी तो वह कर लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने निवेदन किया कि आपके पास जो रसीदें हैं वे हमें दे दीज्यिे, हम जानकारी कर लेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : कम से कम जो वसूली हो रही है, उसको रोकने के लिये कार्यवाही करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बिना देखे कैसे कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न रह गया है। आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूं, २३२।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लें।

श्री विजयसिंह झाला : वह ज्यादा इम्पार्टेन्ट था। इसके बजाय उसे पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष : I will allow you afterwards.

वल्लभनगर में प्लान्टेशन

२३६. श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या वल्लभनगर, जिला उदयपुर में जंगलात की तरफ से कोई प्लान्टेशन हो रहा है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितना रुपया व्यय हुआ, कितने वृक्ष लगाये गये तथा उनमें से कितने वृक्ष जीवित हैं ?

(२) क्या यह सही है कि प्लान्टेशन करते समय सन् ६१ में कुछ कर्मचारियों ने फर्जी मस्टर रोल बना कर मजदूरों का चुकारा किया है ? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध जांच हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही

(श्री विजयसिंह झाला)
हुई, किसने कार्यवाही की तथा कौन दोषी पाया गया ? क्या रेन्जर श्री दौलतचन्द का मेजरमेन्ट बुक में सर्टिफिकेट है ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। वल्लभनगर, जिला उदयपुर में वन विभाग की ओर से १९६१ व १९६२ में प्लान्टेशन हुए और उसमें अब तक कुल १४,३७१ रु० १० न. पै. खर्चा हुआ है। इन प्लान्टेशनों में लगभग ६०० फीट प्रति एकड खाइयों के किनारे बीज बोये गये व १५,५६० वृक्ष लगाये गये जिनमें से ११,७९२ वृक्ष जीवित हैं।

(२) जी नहीं, फर्जी मस्टर रोल का सन्देह होने पर जांच की गई और चुकारा जांच के अनुसार किया गया। फोरेस्टर. श्री देवीलाल और रेंजर, श्री दौलतचंद के विरुद्ध इस सम्बन्ध में जांच हो रही है।

(३) इस सम्बन्ध में रेंजर, फोरेस्टर तथा अन्य व्यक्तियों के बयान लिये जा चुके हैं और आगे की कार्यवाही चालू है। इस केस में प्रारम्भिक कार्यवाही गेम वार्डन, जयसमन्द व सब-डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर, खैरवाडा द्वारा की गई है। अंतिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। मेजरमेंट बुक में कार्य का विवरण श्री दौलतचंद रेंजर द्वारा अंकित किया गया है।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ) : मेजरमेंट बुक्स में सर्टीफाई किस के द्वारा किया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विवरण श्री दौलतचंद द्वारा किया गया है।

कुमारी उमा माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि जो यह सर्टीफिकेट दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्टीफिकेट क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है...

श्री विजयसिंह झाला : समझ में नहीं आ रहा है और जवाब दे दिया गया, यह क्या बात है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I hope, he will not disturb. I am replying to the question put by her.

सर्टीफिकेट क्या है, यह समझ में नहीं आता है। विवरण अंकित किया गया है, यह दौलतचन्द द्वारा किया गया है। आपका सर्टीफिकेट से क्या मतलब है ? मेडीकल सर्टीफिकेट से मतलब है क्या ?

कुमारी उमा माथुर : जो विवरण उसके द्वारा दिया गया, उसको सुपीरिअर ऑफिसर के द्वारा सर्टीफाई किया जाना चाहिए। वह किसके द्वारा सर्टीफाई किया गया, यह मेरा प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने उत्तर दिया, उस पर आपका हाइपोथेटिकल प्रश्न प्रस्तुत हुआ है। सर्टीफिकेट दिया जाना चाहिए, तो मुझे ज्ञात होना चाहिए कि किस किस आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्टीफिकेट का प्रश्न पैदा होता नहीं, प्रश्न पैदा होता है विवरण का और वह उसके साथ में मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ऐसा कोई कायदा नहीं है?

श्री विजयसिंह झाला : आपने बताया कि १५,५६० वृक्ष लगाये गये । इनमें से पौधों से कितने लगाये और बीज से कितने लगाये, यह बतायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा प्रश्न नहीं था, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इसका जवाब दे सकूं । यह बता सकता हूं कि वृक्ष जीवित कितने हैं और कितने लगाये गये ।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह उठता है कि पौधे लगा कर वन लगाया जाता है तो ज्यादा खर्च आता है और बीज से लगाते तो पन्द्रह हजार की आवश्यकता नहीं होती । खर्च को किस आधार पर तय किया है, यह कैसे मालूम होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका प्रश्न बड़े महत्व का है, उपाध्यक्ष महोदय । इस प्रश्न में इसको भी लिख दिया जाता तो मैं बारीकी से उत्तर दे सकता था । इस प्रश्न की कल्पना भी नहीं हो सकती थी ।

श्री उपाध्यक्ष: इसकी जानकारी नहीं कर सकते, मंत्री महोदय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आप इसकी जानकारी करने के लिए तैयार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अलग से माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं जानकारी कर लूंगा और उत्तर दे दूंगा ।

श्री विजयसिंह झाला : यह जो खर्च बताया है इसमें मुख्य अधिकारियों का खर्च क्या है, यह बता सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका सप्लीमेन्ट्री कहीं दूर, सुदूर दृष्टि से भी देखा जाय तो भी नहीं उठता था, उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इस खर्च को कहां से लाऊंगा ?

श्री उपाध्यक्ष : This can be made into a separate question.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह जो बतलाया गया कि १५,५६० वृक्षों में से ११,७९२ वृक्ष जीवित हैं, यह संख्या मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है । जो हिन्दुस्तान व्यापी प्लान्टेशन हुआ है उसके अन्दर भी परसन्टेज बहुत कम है । आपने बताया है, उसमें परसेन्टेज ९० परसेन्ट से ऊपर चला गया । मैं जानना चाहता हूं कि वाकई यह आपकी इन्फोर्मेशन है, क्या स्वयं आपने जानकारी कर ली है कि इतने पौधे जीवित हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं नहीं कह सकता, उपाध्यक्ष महोदय कि आपने जो परसेन्टेज बताया है वह कहां तक सत्य है । मैं चाहता हूं कि किताब से मुझको आप संतुष्ट करते । मैं उस आधार पर निवेदन नहीं कर सकता । लेकिन यह विशेष तौर से क्षमता का प्रश्न है कि इतने वृक्ष जीवित हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : यह किस तारीख की गणना है ? तीन-चार साल पहले की, तो स्टेटमेंट नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : तारीख तो नहीं बता सकता कि उस तारीख को जीवित थे । लेकिन उसके बाद क्षति हुई होगी तो बहुत कम हुई होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : Next Question.

Page No 9

श्री विजयसिंह झाला : ये पेड कागजों में अंकित हैं या धरती पर ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये पेड जमीन पर हैं, भूमि पर हैं, मातृभूमि पर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Next Question. Shri Hari Ram.

अनियमितता के आरोप

२३७. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ (जिला अलवर) के नायब तहसीलदार के खिलाफ रिश्वतखोरी व काम में अनियमितता के आरोप हैं ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि वहां की जनता ने नायब तहसीलदार के खिलाफ दिनांक २२-८-६२ को प्रदर्शन और आम सभा की थी ?

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी नहीं ।

(ख) २२-८-६२ को एक आम सभा व प्रदर्शन किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा इलाके के समस्त राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध हुए । विशेषकर नायब तहसीलदार के विरुद्ध ऐसा कोई प्रदर्शन या आम सभा नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या आपने इन्क्वायरी करके देखा कि वहां आम सभा नहीं हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं समझा नहीं ।

श्री कुमारानन्द : रिश्वतखोरी का इल्जाम है, क्या इसकी इन्क्वायरी करके देखी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी इन्क्वायरी की गई है ।

श्री कुमारानन्द : इन्क्वायरी आपके एस. डी. ओ. के द्वारा हुई होगी, उसमें जनता से इन्क्वायरी नहीं की गई होगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, बात पूरी समझ में नहीं आई । आप फिर कह दीजिये ।

श्री कुमारानन्द : इन्क्वायरी का जरिया क्या है ? किस तरह इन्क्वायरी कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्क्वायरी एस. डी. ओ. की मार्फत की है ।

श्री हरिराम चौहान : क्या यह सही है कि उस तारीख को जो जुलूस निकला था उसके अन्दर 'नायब तहसीलदार मुर्दाबाद' के नारे लगे थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या नारे लगे थे, यह तो मालूम नहीं । लेकिन आम तौर पर वह पार्टी नारे लगाती है, वे लगाये गये होंगे ।

श्री हरिराम चौहान : कौनसी पार्टी ने कौनसे नारे लगाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लगाये गये ।

श्री रामकिशन (वैर) : अब 'मुर्दाबाद' का नारा बदल गया है। आपकी सूचना पुरानी है। अब विदेश नीति जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं।

आबपाशी की वसूली, जिला भरतपुर

२३८. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के किसानों से सम्वत् २०१५ की बाढ के कारण उनके खेतों में आये हुये पानी की आबपाशी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो यह रकबा कितना २ किस तहसील में है?

(२) क्या यह सही है कि किसानों ने सरकार को यह निवेदन किया था कि इस बाढ के पानी से उनकी जमीन सिंचित होने के बजाय फसल खराब हो गई थी, इसलिये उनसे आबपाशी नहीं ली जावे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस आबियाने की वसूली स्थगित कर दी थी?

(३) क्या यह सही है कि अब फिर उक्त आबियाने को वसूल किया जा रहा है? क्या इस संबंध में जिलाधीश भरतपुर तथा सरकार के समक्ष किसानों ने विरोध प्रकट किया है? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या अन्तिम निर्णय लिया है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी हां, भरतपुर जिले के केवल उन किसानों पर सम्बत् २०१५ में आबियाना कायम किया गया था जिनके खेत में काश्त हुई थी और फसल पक गई थी। उसका रकबा इस प्रकार है:

मोती झील	१२७७	बीघा
अजान नहर	६७६	बीघा
टोंटपुर गांव	५३४	बीघा
मदोर कलां व खुर्द	१०६७	बीघा

(२) जी हां।

(३) किसानों की शिकायत पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय राजाज्ञा दिनांक १३ जुलाई, १९६० (प्रतिलिपि संलग्न है) से दे दिया था। अब वसूली इसके अनुसार हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गंभीर है हजारों लोगों की जिन्दगी और मौत से संबंधित है। इसका जबाब ठीक तरह से दिलवाया जावे। सुनाई नहीं दिया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आपके चारों ओर माइक लगवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक तरह से सुनने की कोशिश करें।

श्री दिनेशराय डांगी : प्रश्न के उत्तर को फिर से पढ दूं।

श्री नत्थीसिंह : इस कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे?

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें वहां के किसान थे और कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई थी।

श्री नत्थीसिंह : आप नाम बता दें।

श्री दिनेशराय डांगी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामकिशन : यह अलग से प्रश्न कैसे है? कमेटी किसानों की शिकायत पर बनाई गई थी और कमेटी के सदस्यों का नाम ही पूछा जा रहा है।

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी अलग से जानकारी दी जा सकती है।

श्री नत्थीसिंह : यह भरतपुर जिले के अलावा और किसी जगह नहीं······

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने अपने उत्तर में बताया कि भरतपुर तहसील न कि भरतपुर जिला।

श्री रामकिशन : आपने अधूरा जवाब दिया है जब कि प्रश्न भरतपुर जिले के किसानों से सं० २०१५ की बाढ के कारण खेतों में आये हुए पानी की आबपाशी वसूली का है?

श्री नत्थीसिंह : मैंने यह पूछा है कि इस जिले की विभिन्न तहसीलों में······

श्री दिनेशराय डांगी : सुनाई नहीं दे रहा है। आप फिर से फरमावें।

श्री नत्थीसिंह : मैंने यह पूछा है कि इस जिले की विभिन्न तहसीलों में किसानों से बाढ के कारण आये हुए पानी की आबपाशी वसूल की जा रही है। आपने भरतपुर तहसील का ही बताया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में भरतपुर जिले के और किसी तहसील में यह नहीं था।

श्री दिनेशराय डांगी : मेरे पास जो जानकारी मिली है वह मैंने आपको दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न की नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आपने एक तहसील का बताया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या और तहसीलों में ऐसा नहीं हुआ है?

श्री रामकिशन : यह तो उत्तर ही अस्पष्ट है और अधूरा है। भरतपुर में २०० गांव हैं। आपने चार गांवों का ही बताया है।

श्री दिनेशराय डांगी : मेरे पास यही जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं है।

श्री रामकिशन : भरतपुर जिले में २०१५ में बाढ आई और उसकी वजह से कामा, नदबई तहसील आदि में पानी भर गया उसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट और रिलीफ सोसाइटी ने मदद की थी तब जाकर हम लोगों को भोजन वगैरह उपलब्ध हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण न दें, केवल प्रश्न पूछिये।

श्री रामकिशन : इसके अतिरिक्त और तहसीलों में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर शिकायत आई होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप और अधिक पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सारे भरतपुर जिले में बाढ़ आई थी और यह प्रश्न भरतपुर का ही पूछा गया है।

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : यह कमेटी बनी थी उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के लोग थे क्योंकि इसका सम्बन्ध उन्हीं से ज्यादा है। उन्होंने

Page No 12

(श्री भीखाभाई)

तहसील में जाकर डूबा हुआ एरिया है उसको जाकर देखा और यह जानकारी प्राप्त की कि किनको चार्जेज़ देने चाहियें और किनको नहीं देने चाहियें। चूंकि यह कैबिनेट का डिसिजन था। अलवर के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर और कलेक्टर तहसील टू तहसील गये और वहां जाकर उन्होंने जांच की और जिस एरिया को छोड़ना था उसको छोड़ दिया। जिस प्रकार मोती झील में कुल मिला कर २०६८ बीघा रक़बा था उसमें से १२७७ का ही आबियाना वसूल किया गया इसी प्रकार अजान नहर का ६७६ बीघा जमीन का ही आबियाना वसूल किया गया। इसी तरह से दूसरे गांवों का है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जानकारी हमारे पास है वह हम देते हैं और अगर माननीय सदस्य को और भी कहना हो तो आधा घन्टे का डिस्कशन उठा सकते हैं। मेरे को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) आपने जितने आंकड़े बताये कि इतना आबियाना वसूल किया गया, क्या यह सही है कि इससे भी ज्यादा आबियाना वसूल किया गया है?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की जानकारी आपको होगी, मुझे तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि केवल इतना ही वसूल करने को था?

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न भरतपुर जिले के बारे में है और माननीय मन्त्री महोदय ने भरतपुर तहसील के बारे में बताया है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि बयाना तहसील, कामां तहसील के बारे में कोई जांच की गई या नहीं? कमेटी ने दूसरे स्थानों की जांच की?

श्री भीखाभाई : मैंने यह कहा कि जिला-स्तर पर कमेटी बनी थी। दूसरी तहसीलों में भी वह गई, वहां पर सुबूत नहीं मिला होगा।

श्री रामकिशन : यह प्रश्न अधूरा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न की जानकारी दे दी है। अब आपके पास सूचना नहीं है।

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल : यह प्रश्न फिर से लिया जावे।

जैतपुरा बांध निर्माण योजना-मांडलगढ़

२३९. **श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडल-गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में जैतपुरा बांध निर्माण योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या इसके सर्वे का काम कम्प्लीट हो गया?

(२) इस बांध से कितनी जमीन सिंचित हो सकेगी और इसके निर्माण का काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, इसकी सर्वे भी कम्प्लीट हो गई

Page No 13

(श्री दिनेशराय डांगी)

(२) औसतन ५,२२३ एकड़। निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया है, इसलिये दुबारा इसका उत्तर दिलवाया जावे।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, जब जवाब दिया जाता है उस समय गप्पें लगाने के लिये बैठ जाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का व्यवहार अवांछनीय है। हमेशा वे इसी प्रकार से जवाब देते रहे हैं और देते हैं। क्या हम यहां सदन में गप्पें लगाने के लिये आते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। वास्तव में यह बात भी सही है कि इस प्रकार की बात-चीत चलती है, वह भी नहीं चलनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसमें तो सारे मिनिस्टर भी आये। यह गप्प लड़ाना तो उनके लिये भी है और हमारे लिये भी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इन शब्दों में जो सदन के सभी माननीय सदस्यों पर लांछन लगाया गया है कि "वे गप्पें लगाते हैं" यह बिल्कुल ही अन-पालिया-मेन्ट्री है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को एक्सपन्ज कराया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यह अन-पालियामेन्ट्री नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार के शब्दों का आदान-प्रदान हुआ है, यह आप देख लें। जिस प्रकार से यह कहना कि सदस्य सुनते नहीं, यह सारे सदन की तौहीन है। इसलिये यह मामला ज्यादा न बढ़े, इसके लिये ज्यादा अच्छा यही होगा कि वे अपने शब्दों को वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं कि ये शब्द अभद्र हैं और मैं मानता हूं कि वे इन शब्दों को वापिस ले लें।

श्री दिनेशराय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, शब्द वापिस लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा का उल्लंघन किया जाता है.....

श्री दिनेशराय डांगी : केवल गप्प लगाने का कहना.....

श्री गृह मंत्री (मथुरादास माथुर) माननीय उपाध्यक्ष, उन्होंने जो शब्द यूज किये हैं उसके लिये मैं रिग्रेट जाहिर करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: वे खुद वापिस लेवें।

श्री उपाध्यक्ष : सम्मिलित जिम्मेदारी, इन्होंने ले ली।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : Next question

श्री गणपतिलाल वर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह योजना कब से विचाराधीन हैं ?

श्री भीखाभाई : इस योजना का सर्वे अभी कम्प्लीट हुआ है ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : यह योजना कब से शुरू हुई और कब तक होती रहेगी ।

श्री भीखाभाई : यह तो मैं नहीं कह सकता, इसके लिये तीसरी योजना में प्रोविजन नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): किस योजना में रखा जायगा ?

श्री भीखाभाई : यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : क्या यह सही है कि यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार हो गई थी ?

श्री भीखाभाई : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : कब तक इसकी शुरूआत हो जायगी ?

श्री भीखाभाई : अभी तक तो इसके एस्टीमेट्स नहीं बने हैं, सर्वे रिपोर्ट आई है; ए. सी. के आफिस में एस्टीमेट्स बन रहे हैं ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह शरीक थी और मंत्री महोदय बताते हैं कि शरीक नहीं थी ····

श्री गिरधारी लाल व्यास : सर्वे रिपोर्ट और एस्टीमेट में कितना समय लगता है, कोई टाइम फिक्स्ड है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है, इन्वेस्टिगेशन एण्ड सर्वे की डिमाण्ड के दिन भाषण हुआ, उसमें मैंने निवेदन किया था ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकृत थी, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे ······

श्री मुरलीधर व्यास : जब माननीय मंत्री बता रहे हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में शरीक थी और अब कह रहे हैं कि एस्टीमेट्स हो रहे हैं तो यह परस्पर विरोधी बात कैसे कही जा रही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि योजना अब बनी है, सर्वे की रिपोर्ट अब आई है, स्क्रूटिनी हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

पंचायत समितियों की बैठकों के लिये स्टेनोज

२४०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार जिला स्तर पर कुछ स्टेनो नियुक्त करने का विचार रखती है जो पंचायत समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण तैयार करें ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पदमपुर पंचायत समिति द्वारा जो प्रोसिडिंग लिखी जाती है वह गलत होती है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(३) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि तारीख २७-३-६१ की बैठक का सभापति उप-प्रधान था और उस दिन १८ सदस्यों ने सदन से बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसकी सूचना अपने हस्ताक्षरों से कलेक्टर गंगानगर को दी थी, मगर प्रोसिडिंग्ज में प्रधान का सभापति होना और १६ सदस्यों का सदन से बाहर जाना लिखा है ?

(४) क्या सरकार इस गलत रिपोर्ट की रोकथाम के लिये निष्पक्ष स्टेनो का जिला स्तर पर प्रोसिडिंग लिखने के लिये प्रबन्ध करेगी ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं।

(२) यह कहना सही नहीं है कि पंचायत समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण जो लिखा जाता है वह गलत होता है।

(३) दिनांक २७-३-६१ की बैठक में प्रधान ही सभापति थे व १५ सदस्य सदन से बाहर गये थे ।

(४) ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जो कह रहे हैं इससे ही जाहिर होता है कि गलत कार्यवाही दर्ज है । मैंने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने बताया है कि वहां की प्रोसिडिंग्ज में यह लिखा है कि १६ सदस्य बाहर गये थे और आपका कहना है कि १५ ही सदस्य बाहर गये थे; तो आपका यह कहना भी गलत है । इससे साबित है कि गलत कार्यवाही दर्ज होती है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो कह रहा हूं कि १५ ही बाहर गये थे, प्रधान सभापति थे ।

श्री मुरलीधर व्यास : रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जो कह रहा हूं वही लिखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : उस रिपोर्ट में १६ लिखा हुआ है, आप १५ बता रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे जो सूचना मिली है विकास अधिकारी और कलेक्टर से मिली है। जो वहां के रेकॉर्ड के आधार पर है, उसके आधार पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि १५ सदस्य बाहर गये थे ।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या प्रोसिडिंग्ज को आपने स्वयं ने देखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने स्वयं ने नहीं देखा है ।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): क्या उसकी प्रति आपके पास है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जी नहीं ।

श्री हरदत्तसिंह: क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हमें जो सूचना मिली है उसकी सत्यता पर विश्वास है । हम कह रहे हैं कि १५ सदस्य बाहर गये थे, फिर भी आप कहते हैं तो वेरिफाई कर लिया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास: हम भी उस कार्यवाही को देख चुके हैं, १६ दर्ज है प्रोसिडिंग्ज में ।

Page No 16

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया है कि जांच कर लेंगे ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह: (अश्रव्य)

चित्तौड में ईंट, मिट्टी व रेत पर रायल्टी की वसूली का ठेका

२४१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि चित्तौड में ईंट, मिट्टी व रेत पर रायल्टी वसूल करने का १ अप्रेल, ६२ से एक वर्ष का ठेका पहली ही बार ५२१) रु० में श्री मानमल सरावगी को दिया गया है ?

(ख) इस रायल्टी कॉन्ट्रेक्ट से पहिले क्या ईंट, मिट्टी व रेत पर कोई टैक्स लगता था ? यदि हां, तो किस-किस पर कितना कितना और उससे वार्षिक आमदनी क्या होती थी ?

(ग) क्या इस प्रकार का टैक्स उदयपुर डिवीजन में और कहीं है ? यदि हां, तो कहां कहां और कब-कब से ?

(घ) क्या यह सही है कि इस कान्ट्रेक्ट के विरोध में नगर के पास मजरों में रहने वाले मजदूरों ने हडताल की और सरकार से यह कॉन्ट्रेक्ट हटाने की मांग की ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) जी हां ।

(ख) जी हां, ईंटों की मिट्टी व बजरी से गत वर्ष में ३५०) रु० की आमदनी हुई थी । रॉयल्टी की दर चार आना प्रति टन है ।

(ग) जी हां, राजस्थान में एम. एम. सी. आर. १९५९ के लागू होने के बाद सब जगह ईंटों की मिट्टी व बजरी पर रॉयल्टी टैक्स वसूल किया जाता है ।

(घ) जी हां, मजदूरों को स्थिति से अवगत कराने पर ठेकेदार को रॉयल्टी टैक्स देना शुरू कर दिया गया और अब रॉयल्टी बराबर दे रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार रॉयल्टी लगाने से कितने मजदूर बेकार हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी कोई गिनती नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : अनगिनत लोग बेकार हुए हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अनगिनत लोगों के बेकार होने का सवाल ही नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : आपही ने कहा कि गिनती नहीं, तो अनगिनत ही हो गये !

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

एडवर्ड मिल ब्यावर द्वारा हटाये गये श्रमिक

२४२. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या श्रम-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या एडवर्ड मिल्स ब्यावर द्वारा दिनांक २७-२-६० को हटाये गये ११ श्रमिकों

(श्री कुमारानन्द)

को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने दिनांक १-६-६२ को पुन: काम पर रखने का फैसला दिया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फैसले के उपरान्त भी उक्त मिल मेनेजमेन्ट द्वारा उन्हें काम पर न लिये जाने के बारे में टैक्स-टाइल लेबर यूनियन ने सरकार को अवगत कराया ?

(ग) क्या उक्त फैसले को न मानकर मिल मेनेजमेन्ट ने कानूनी स्टेन्डिग आर्ड्स को भंग नहीं किया ?

(घ) मिल मेनेजमेन्ट द्वारा की गई इस अवैधानिक कार्यवाही को दूर करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सरकार के समक्ष मिल को प्रोसीक्यूट करने की श्रम विभाग द्वारा की गई सिफारिश विचाराधीन है ।

श्री कुमारानन्द : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न यह है कि जिनको काम में लगाया है उनको अब तक तनख्वाह नहीं मिली है । इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि जितने दिन बाहर रहा उसका पैसा मिले तो उनको वह पैसा क्यों नहीं मिला ?

श्री भीखाभाई: इसलिये नहीं मिला कि मेनेजमेन्ट ने रिट कर रखा है ।

श्री कुमारानन्द : मेनेजमेन्ट ने हाई-कोर्ट में अपील किया था पर रिजेक्ट हो गया।

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मुझे नहीं । माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं जानकारी करूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या हाईकोर्ट से स्टे हुआ था ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के इस तरह के अवार्ड होते हैं उनको पालन नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने कब कहा कि पालन नहीं किया। ११ मजदूरों को रीइन्स्टेट कर दिया। जिस पीरियड में उनको सस्पेण्ड रखा उस पीरियड की तनख्वाह का झगडा था, पेमेन्ट करने की बातचीत आपसी तौर पर चल रही थी, लेबर कमिश्नर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने रिट कर रखा था।

श्री कुमारानन्द : क्या यह सही नहीं है कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया रखने का, तो मिल मालिक ने कितने ही दिनों तक उनको रखने से इन्कार करके नहीं रखा और इस तरह अवार्ड का उल्लंघन किया ?

श्री भीखाभाई : उल्लंघन किया, उसके खिलाफ कार्यवाही हो, इसके पेश्तर ही हाई-कोर्ट में चले गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई स्टे-इश्यू नहीं हुआ और आपने पेमेन्ट कराने की कोशिश नहीं की ?

श्री भीखाभाई : हमारी तरफ से आपसी पेमेन्ट कराने की कोशिश हो रही है।

श्री कुमारानन्द : आज तक एडवर्ड मिल का मामला, जिस मिल ने मजदूरों को पैसा नहीं दिया, प्रोविडेन्ट फंड का पैसा मजदूरों से कलेक्ट कर के हड़प लिया तो क्या मिल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के डिसीजन का डिसओबे नहीं कर रहा है ?

श्री भीखाभाई : यह अलहदा प्रश्न है।

रायल्टी की रकम

२४३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जोधपुर के श्री गोपीकिशन व्यास व श्री मदनलाल ने सरकार के पास यह शिकायत की है कि जोधपुर डिवीजन में मेसर्स शिवरतन मोहता ने सरकार की १०,०००) रु० की रॉयल्टी की रकम नहीं चुकाई है ?

(२) क्या इस संबंध में सरकार ने उन्हें बुला कर कोई इन्क्वायरी की ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? और नहीं कराई, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) मेसर्स शिवरतन गोरधनदास मोहता को खनिज अभियन्ता जोधपुर ने कई बार खनिज उत्पादन, निर्यात के और बेचने के आंकड़े भेजने के लिये लिखा; पार्टी में उसके प्रसंग में यह जवाब दिया कि रेकॉर्ड जोधपुर ऑफिस में नहीं मिल पा रहा है और अब हेड ऑफिस बोम्बे में तलाश कर रहे हैं और अब इस कार्यालय से पन्द्रह दिन का नोटिस पार्टी को लीज के उत्पादन, निर्यात और बेचने के आंकड़े भेजने के के लिये दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो रॉयल्टी की रकम दस हजार रुपये की जमा कराई है इसके संबंध में निश्चित कर दिया है सरकार ने कि यह रकम उनके तरफ बिलकुल वाजिब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो रकम रॉयल्टी असेसमेण्ट के सिलसिले में बाकी थी उसके अकाउण्ट पहले सेटल करके रकम ले ली गई है। रकम के फाइनेलाइजेशन के बाद में यह शिकायत अब और हुई है जिसकी जांच के सिलसिले में हिसाबात मंगाये जा रहे हैं वर्ना पहले असेसमेण्ट और पेमेण्ट हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह कब हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिकायत से पहले ?

श्री मुरलीधर व्यास : कौनसी तारीख को?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६० से कुछ पहले। ५९-६० के बीच में।

श्री मुरलीधर व्यास : दस हजार जिसके बारे में प्रश्न है उसके लिये जानना चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस हजार की तो दो आदमियों ने शिकायत की थी कि रोयल्टी असेसमेण्ट के कम लिये उसकी जांच की जा रही है वर्ना रिकार्ड के अनुसार जितनी रॉयल्टी असेस होनी चाहिये थी वह तो पहले होकर रकम भी ले ली गई है। बाकी इस शिकायत से कोई फ्राड या और

Page No 19

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कोई बात पायी गई तो वसूली का सवाल बाद में आ सकता है बाकी हमारी रकम बाकी नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह दस हजार की रकम·······

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और यह शिकायत कुनिन्दा ने शिकायत में लिखा है वह सही है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अगेन्स्ट में क्या शिवरतन मोहता ने २,४००) रु० की रकम जमा कराई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस हजार की रकम के पेटे कोई रकम जमा नहीं करायी ।

श्री मुरलीधर व्यास : दस हजार के पेटे २,४००) रु. की रकम जमा करायी है और यह मांग भी की है कि यह रुपया रिफण्ड किया जाय और जिसने कम्प्लेण्ट की है उसने लिखा भी है कि सरकार की यह रकम २,४००) रु. वापिस न दी जाय वर्ना सरकार को नुकसान होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब फाइनेलाइजेशन हुआ और उस वक्त इनसे जितनी रकम ली जानी चाहिये थी उनके पेमेण्ट्स वहां एडजस्ट हो गये । दस हजार के संबंध में इन्क्वायरी चल रही है उनके अगेन्स्ट यानी दस हजार के पेटे कोई २,४००)रु. की रकम जमा नहीं कराई है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : रॉयल्टी की और भी रकमें बाकी हैं वे किन-किन से ली जानी बाकी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे हजारों हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय..

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I called the name of Shri Bhimsen

Shri Bhimsen.

कमेटी आॅफ एक्सपर्टस् ओन इकोनोमिक युटिलाइजेशन ऑफ लिग्नाइट की सिफारिशें

२४४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या खनिज-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कमेटी ऑफ एक्स्पर्टस् ओन इकोनोमिक युटिलाइजेशन ऑफ लिग्नाइट ने अपनी निम्न सिफारिशें तात्कालिक कार्यवाही हेतु की हैं :—

(क) यू. के. या. यू. एस. एस. आर. के. एक्स्पर्टस् को बुला कर गैसीफिकेशन प्लाण्ट के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाई जावे ।

(ख) सेण्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के माध्यम से एलाइड इण्टीग्रेटेड इन्डस्ट्रीज के लिये प्रोजेक्ट्स तैयार किये जावें ।

(२) यदि हां, तो सरकार ने उक्त सिफारिशों के संबंध में जुलाई, १९५९ से अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां ।

Page No 20

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(क) इस संबंध में भारत सरकार के माईन्स व फ्यूल विभाग ने राय दी है कि अण्डर ग्राउण्ड गेस-फिकेशन की दिशा में राज्य सरकार को अभी कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) इस संबंध में डाइरेक्टर, सेण्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जीलगोरा, जिला धनबाद, को निवेदन किया जा चुका है और डाइरेक्टर ऑफ माइन्स एण्ड जिओलोजी, राजस्थान एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : किन-किन के बारे में तैयार हो रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सेण्ट्रल फ्यूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जीलगोरा के मातहत प्रोजेक्ट्स तैयार किये जावें तो उनके संबंध में एलाइड इण्टीग्रेटेड इण्डस्ट्रीज के लिये प्रोजेक्ट्स तैयार किये जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किन-किन के लिये तैयार हो रहे हैं ? यह अपने आप ही एलाइड इण्डस्ट्रीज थोडे ही हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न तो यही था, फिर क्या जवाब दिया।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): वह तो अलाइड है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द।

रूपा रेल नदी की नहर

२४५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि अलवर तहसील में रूपारेल नदी से जो नहर बारां से अम्बरपुर और अहमदपुर गांवों को जाती है वह बटाई के बाद पक्के नाले के पास उत्तर की ओर लगभग १२५ गज की दूरी में पानी की तेजी के कारण टूट जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग को हर साल मिट्टी से मरम्मत करके नहर के बीच को ठीक करने के लिये हजारों रुपया खर्च करना पडता है ?

(३) क्या यह सही है कि इसके बावजूद यह नहर उपरोक्त जगह पर हर साल टूट जाती है और गांव के लोगों को सेकडों की तादाद में फावड़े लेकर नहर के किनारों पर मिट्टी डालते रहना पडता है ?

(४) क्या यह सही है कि इस नहर को पक्के नाले के बाद १२५ गज तक पक्की बनाने से यह हर साल टूटने की दिक्कत दूर हो सकती है ?

(५) क्या सरकार इस नहर के इस हिस्से को पक्का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां। कभी भारी वर्षा के कारण पानी पहाडों से बह कर आता है तो कट जाती है।

(२) व (३) जी नहीं।

(४) कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह बता सकेंगे कि पिछले पांच वर्षों में कौन २ से साल में तो यह नहर टूटी और कौन से साल में नहीं टूटी ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह नहर गये साल के अन्दर ही ज्यादा वर्षा से टूटी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह कह सकते हैं कि इससे पहले चार वर्षों में यह नहर कभी नहीं टूटी ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न तो यही था । मेरा यह कहना है कि यह नहर हर साल टूटती है, हर साल इस पर खर्चा होता है । आप कहते हैं कि पिछले साल टूटी । आप डेफिनिटली यह बतावें कि गत चार वर्षों में यह टूटी या नहीं ।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : उपाध्यक्ष महोदय, पानी ज्यादा आता है तो यह टूटती है । हर दूसरे–तीसरे साल खबर आती है कि टूट जाती है । इसकी मरम्मत के १००) रु० आते हैं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक दम लाइनिंग कर दिया जाय; इस पर अधिक खर्चा आवेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले साल इसकी मरम्मत पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री भीखाभाई : २३ फीट पर लगभग १००) रु. आता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : कितना खर्चा आया, यह बतावें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आंकडे पूरे होने चाहिये । लगभग टूटती ही है ।

श्री भीखाभाई : जो आंकडे प्राप्त किये हैं वे ही बता रहा हूं । इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो बाद में बता सकता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह हर साल टूटती है और दो तीन गांवों के लोगों को फावडे लेकर उस पर लगना पडता है तब कहीं जाकर यह काबू में आती है वर्ना तो उनकी फसलों की बरबादी हो जाती है ।

श्री भीखाभाई : आप चाहेंगे तो इसको देखा जायगा और लाइनिंग भी करायी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

आइदान-का-बास की जागीर के जागीरदारों को लगान की रकम की वापसी

२४६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : (श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा में आइदान-का-बास की जागीर मुआफी का पुनर्ग्रहण दिनांक १५-९-५७ से हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा ने रिजम्प्शन से पहिले ही सन् १९५६ का इस जागीर का लगान काश्तकारों से वसूल कर लिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 22

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या यह सही है कि जागीर कमिश्नर ने यह रकम संबंधित जागीरदारों को वापिस देने की आज्ञा जारी कर दी, परन्तु यह रकम वापिस नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार इस रकम को तुरन्त इन जागीरदारों को भुगतान करने की आज्ञा जारी करेगी।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा: (क) जी नहीं। यह जागीर दिनाक १-२-५६ से खालसा हुई है ?

(ख) तहसील फुलेरा में काश्तकारान से लगान रिजम्पशन के समय का ही वसूल किया है। पूर्व का लगान वसूल होना नहीं पाया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अब्दुलजब्बार: क्या यह लगान की वापसी की मांग का नावाकफियत का सबूत दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह तो उन्हीं से पूछिये।

श्री **अब्दुल जब्बार**: इस रिप्रेजेण्टेन्शन के बाद भी सरकार ने निर्णय दिया होगा या आश्वासन दिया होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस क्वश्चन से ही पता लगता है। उनका ख्याल है, दिनांक १५-९-५७ से जागीर रिज्यूम हुई जब कि १-२-५६ में ही जागीर रिज्यूम हो गई थी। १-२-५६ के बाद, रिज्यूम होने के बाद जो किया गया है वह सही है।

प्रश्न संख्या २४७

श्री उपाध्यक्ष: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह।

टोंक जिले में सरपंचों के खिलाफ जांच

२४८. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) टोंक जिले में सरपंचों के खिलाफ कितनी इन्क्वायरी राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३ की धारा १७ (४) के अधीन व अन्य चल रही है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इन जांचों में से कितने केसों की जांच पूर्ण होकर भेज दी गई और अब शेष कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि कुछ केस ऐसे भी हैं कि जो इन्क्वायरी करने के बावजूद भी राज्य सरकार ने दुबारा इन्क्वायरी के लिये भेजे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) २९ जांच चल रही हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ८ की जांच पूरी की जाकर रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सूचना सूची में दी गई है।

(३) जी हां, तीन मामले दुबारा जांच के लिये भेजे हैं। यह सूचना भी उक्त सूची में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : दुबारा जांच क्या कराई जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर एक के सामने लिखा हुआ है कि दुबारा जांच कराई जा रही है।

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें लिखा है कि ३ मामले वापिस जांच के लिये भेजे गये, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ग्राम पंचायत जिराना। कौनसी के लिये आप पूछना चाहते हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : दुबारा जांच के लिये भेजी है। चोनी और धनवाद। दुबारा जांच करवाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरपंच द्वारा एतराज करने पर कि जांच के दौरान उनको पूरा मौका नहीं दिया है, दुबारा जांच के लिए भेज दिया है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या राज्य सरकार की ओर से बनेडा के सरपंच के लिये पूछा गया था कि आपके खिलाफ जो जांच की गई है उसमें आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं दुबारा जांच कराई जावे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ आरोपों के संबंध में कार्यवाही नहीं हुई थी, विशेष स्पेसिफिक बातों को लेकर दुबारा जांच के लिये लिखा गया था।

श्री दिग्विजयसिंह : बनेडा के सरपंच की जांच हो चुकी थी; राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया पहले जो जांच हुई है उसमें आरोप सिद्ध नहीं हुए इसलिये दुबारा जांच कराई जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : तो फिर दुबारा किस तरह से जांच हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दुबारा इसलिये हो रही है कि कुछ वाकेआत का स्पष्टीकरण नहीं था। इसलिये जांच की आवश्यकता हुई।

प्रश्न संख्या २४९

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

मेजा बांध से सिंचाई

२५०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या सिंचाई-मंत्री (बडी सिंचाई परियोजनाओं को छोड कर) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मेजा बांध (तहसील मांडल) से इस वर्ष कितनी भूमि में सिंचाई होगी ?

(२) योजनानुसार मेजा बांध से सिंचित होने वाली भूमि की तादाद क्या है ?

(३) क्या किसी भी वर्ष में मेजा बांध से पैरा नं० २ में नियोजित भूमि में सिंचाई हुई है ?

(४) मेजा बांध से पानी देने के लिये कितने मील लम्बी नहरें और उप-नहरें बनाई जा चुकी हैं और क्या यह सिलसिला अभी भी जारी है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

(५) क्या यह सही है कि जितने मील लम्बी केनाल्स बन चुकी है, उनमें भी पानी नहीं पहुंचता है ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(६) बांध निर्माण के बाद किस किस वर्ष में पूरा भरा व उस वर्ष कितनी भूमि में सिंचाई हुई ? क्या यह सिंचाई रबी और खरीफ दोनों में हुई ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) सन् १९६२-६३ की रबी में अनुमानित ५,६०० एकड तथा १९६३ की खरीफ में अनुमानित ६,६५० एकड भूमि में सिंचाई होगी।

(२) योजनानुसार पूरा पानी भरने पर सिंचित होने वाली भूमि का क्षेत्र २४,००० एकड है।

(३) जी नहीं।

(४) नहरें ३५-१।२ मील लम्बी हैं तथा उप नहरें ८४ मील लम्बी हैं। इन सब का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है।

(५) जी नहीं।

(६) बांध बनने के बाद १९५८-५९ तथा १९६१ में पूरा भरा है। इन सालों में जो सिंचाई खरीफ व रबी में हुई वह निम्न है :—

सिंचाई एकडों में

रबी	खरीफ
१९५८-५९	१०,०६४ एकड
१९५९	२,४१८ ,,
१९५९-६०	१०,३५४ ,,
१९६०	५,२७५ ,,
१९६१-६२	१२,१३५ ,,
१९६२	४,६८१ ,,

श्री मानिकचन्द सुराणा : इससे जब २४,००० एकड अनुमानित सिंचाई होने को थी तो क्या वजह है कि जब यह बांध पूरा भर चुका था तो भी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हुई है वह १० हजार एकड हुई है ? आप इसके संबंध में जिन इन्जीनियर्स ने तखमीना दिया था उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि क्यों उन्होंने गलत तखमीना बना कर सरकार को दिया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : एस्टीमेट तो गलत नहीं बनाये गये। कुछ तो काश्तकार जरूरत से ज्यादा पानी ले लेते हैं या रात्रि के समय पानी ले लेते हैं और धोरों को खुला छोड देते हैं। कुछ पानी सीवेज के जरिये निकल जाता है जिसके कारण जो सिंचाई होनी चाहिये वह नहीं हो पाती।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप कहते हैं, सीवेज के कारण पानी बह जाता है तो इस संबंध में क्या आपके पास कोई शिकायत आयी है या जुबानी ही कह रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : जैसी विभाग से जानकारी मिली है उसके अनुसार कह रहा हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बांध का एस्टीमेटेड रिटर्न क्या था जब यह मंजूर किया गया ? ओरीजनल एक्सपेण्डीचर ही बता दीजिये ?

श्री दिनेशराय डांगी : ३.१७।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उस समय से जब से यह शुरू हुआ उस साल से कितना परसेण्ट रिर्टन हुआ है ?

Page No 25

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई): कभी कोई योजना एक दम फलती फूलती नहीं। उसमें करीब दस वर्ष का समय लग जाता है। एक योजना का रिटर्न पूरे दस साल के बाद आना शुरू होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह बांध किस वर्ष में कम्पलीट हो गया था?

श्री दिनेशराय डांगी: १९५९ में।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इन पांच वर्षों में इससे १० हजार एकड से अधिक भूमि की सिंचाई नहीं हो पायी है। जिस समय यह बनाया गया था उस समय इन सारे फैक्ट्स को कन्सीडरेशन में लेना चाहिये था। क्या आपने इन्जीनियर्स से यह स्कीम दुबारा जांच करवाई है कि यह स्कीम गलत है या सही है?

श्री भीखाभाई: यह स्केयर्सिटी की योजना है इससे काफी अच्छा रिटर्न मिले ऐसी संभावना कम होती है इसके अलावा भीलवाडा में जो पानी की कमी है वह भी इसी से पूर्ति होती है। वहां के वाटर वर्क्स को यहां से पानी दिया जाता है इसके अलावा वहां के लोग ईरिगेशन माईण्डेड नहीं है। यह भी होते होते समय लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पिछले वर्षों में कितना परसेण्ट रिटर्न हुआ है?

श्री दिनेशराय डांगी: हर साल के रिटर्न कोट नहीं किये जाते।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किये जाने चाहिये।

श्री दिनेशराय डांगी: हर साल के रिटर्न का तो पता नहीं, लेकिन यह जरूर है कि उसमें ३.५ परसेण्ट पानी भीलवाडा वाटर वर्क्स को दिया जाता है यह भी एक कारण है सिंचाई के कम होने का।

श्री उपाध्यक्ष: Next.

मृत्युभोज करने के अपराध के मामले

२५१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पिछले वर्ष मृत्युभोज करने के अपराध में कितने केसों में सजा दी गई?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि मृत्युभोज बहुत बडी संख्या में राज्य

(३) यदि हां, तो इतनी बडी संख्या में मृत्युभोज होते रहने पर भी उन पर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): गृह मंत्री महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अगली टर्न पर देंगे।

लूणकरणसर के हरिजन परिवार

२५२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कस्बा लूणकरणसर में कितने हरिजन परिवार हैं? उनकी आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था सुधारने के लिये राज्य सरकार ने विगत दस वर्षों से क्या क्या कदम उठाये हैं?

Page No 26

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : कस्बा लूणकरणसर में करीब ६५ हरिजन परिवार हैं। उनकी आर्थिक व सामाजिक अवस्था सुधारने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं :

(१) हरिजनों को पानी पीने हेतु कूओं की सहायता।

(२) हरिजन बावड़ी निर्माण हेतु सहायता।

(३) हरिजन बालकों को छात्रवृत्ति।

(४) बेघरबार हरिजन परिवारों को रियायती कीमत पर भूमि दिया जाना।

(५) हरिजन परिवारों को मकान बनाने हेतु तीन-तीन लोहे की टीन मुफ्त बांटे जाना।

(६) हरिजनों को औषधि वांटी जाना।

श्री भीमसेन : वहां जो चमड़े का काम करते हैं उनको क्या सुविधायें दी हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं आयी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हरिजन बावड़ी बनाई, वह किस काम में आती है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पानी भरते हैं वहां से लोग।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बावड़ी का नाम हरिजन बावड़ी रखने से पानी पीने वाले भी नहीं पीयेंगे। डिप्टी मिनिस्टर महोदय के घर की लोग छाछ तक नहीं पीते।

श्री भीमसेन : चमड़े का काम करने वाले और बुनकर लोग हैं उनकी सहायता के लिये आपने क्या किया?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह 'हरिजन बावडी' नाम सरकार की तरफ से रखा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

भरतपुर जिले में सहकारी विभाग द्वारा ऋण

२५३. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

गत पांच वर्षों में भरतपुर जिले में सहकारी विभाग ने कितना रुपया कर्ज में दिया है और उसमें से अब तक वापसी कितने रुपये की हुई है?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्डा) : २,३४,५०० रु० ऋण दिया, जिसमें से ४,८०० रु० वसूल हुए हैं।

श्री रामकिशन : तो इतनी कम वसूली का क्या कारण है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जितना ड्यू था वसूल हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सारी रकम कितने बर्षों की किश्तों में वसूल होने को है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग अलग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन्स्टालमेन्ट्स पूरे वसूल नहीं हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

नानेर में औषधालय

२५४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील टोंक के नानेर कस्बे में औषधालय खोलने के लिये गत तीन साल से जनता ने कार्यवाही कर रखी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने नानेर में औषधालय खोलने का लिखित आश्वासन दिया था ?

(३) क्या यह सही है नानेर में औषधालय खोले जाने के लिये पंचायत समिति टोंक व जिला परिषद् टोंक ने प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेज दिया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि नानेर में औषधालय के लिये एक भवन बन कर तैयार है ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त औषधालय भवन निर्माण में पंचायत समिति टोंक ने २,२५०) रुपया सहायता के रूप में दिया है व बाकी पूर्ण रकम क्षेत्र की जनता की लगी है ?

(६) क्या यह सही है कि भवन को बन कर तैयार हुए चार साल हो गये हैं लेकिन वह किसी काम नहीं आता है ?

(७) क्या सरकार शीघ्र नानेर में औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं ।

(५) विभाग को जानकारी नहीं ।

(६) इस विषय की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(७) अभी नहीं कहा जा सकता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि वहां दवाखाना के लिये मकान बना हुआ है तीन साल से ?

श्री दौलतराम सारण : हां, मकान तो बना है, पर उसमें अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की शाखा खुली हुई है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कब से खुली है ?

श्री दौलतराम सारण : ६-१-६३ से ।

श्री जयनारायण सालोदिया : दवाखाना की मांग कब से है और पंचायत समिति और जिला परिषद् ने कब से इसके लिये सरकार को लिख रखा है ?

श्री दौलतराम सारण : सन् ६० में ।

श्री जयनारायण सालोदिया : दवाखाना नहीं खोलने का फिर क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : आर्थिक अभाव।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहा तो यह जाता है जिला परिषद् से कि आप कहां कहां खोलना चाहते हैं अपनी सिफारिशें भेजो।

श्री दौलतराम सारण : जी हां। हम उनको उनकी आवश्यकताओं के लिये पूछते हैं कि यह सही है पर जितने आर्थिक साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं उनको देखकर ही हम वहां खोलते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार को आवश्यकता नहीं मालूम होती ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकता तो प्रत्येक ग्राम में है, पर हम अपने आर्थिक स्रोतों को देखकर ही खोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

चित्तौडगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि

२५५. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला चित्तौड़गढ़ में एक्स सर्विसमैन को कहां कहां और कितनी कितनी भूमि दी गई है ?

(ख) कुल कितनी दरख्वास्तें एक्स सर्विसमैन की आई और उनमें से कितनी दरख्वास्तों पर निर्णय लिया गया और कितनी विचाराधीन हैं ? विचाराधीन रहने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (क) (१) तहसील कपासन में एक एक्स सर्विसमैन को ग्राम ताणा में ८।। बीघा भूमि दी गई है।

(२) तहसील निम्बाहेड़ा में दो एक्स-सर्विसमैन को भूमि अलॉट हुई है। श्री लक्ष्मणसिंह पिता जसवन्तसिंह राजपूत निम्बाहेड़ा को मौजा जावदा में सन् १९५९-६० में १५ बीघा जमीन व श्री बाबूसिंह पिता शेरसिंह रावत महजीवी को १५ बीघा जमीन दिनांक १६-७-६० को दी गई है।

(३) तहसील चित्तौड़गढ में चार एक्स-सर्विसमैन को इस प्रकार भूमि अलाट हुई है :

(१) श्री प्रतापसिंह को मेजा देवरी में १५ बीघा।

(२) श्री नाथूसिंह को मौजा धनेत में १५ बीघा।

(३) श्री रामनारायण को मौजा केसरपुरा में १५ बीघा।

(४) श्री गमेरसिंह को मौजा पाड़ोली में १५ बीघा :—

(४) तहसील राश्मी में निम्न व्यक्तियों को भूमि दी गई।

(१) श्री उदयसिंह राजपूत, नि० सिहाना को १०० बीघा मौजा सिहाना से दिलाई।

(२) श्री शार्दूलसिंह राजपूत, नि० पहुना को ८४ बीघा मौजा रतन खेडी में दी गई।

(३) श्री अनोपसिंह दरोगा, नि० बढ़मी को मौजा सौमी में १० बीघा भूमि दी गई।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) तहसील गंगरार म सन् ५६ से लगायत सन् ६३ अखीर जनवरी तक २ प्रार्थना-पत्र एक्ससर्विसमैन के आये जिसमें से एक को ८ एकड़ भूमि सन् ६० में अलॉट हुई ।

(५) तहसील डूंगला में किसी भी एक्स सर्विसमैन को भूमि अलॉट नहीं हुई है ।

(६) तहसील प्रतापगढ़ में एक एक्स-सर्विसमैन को मौजा प्रतापगढ़ में ७।। एकड भूमि अलॉट हुई है ।

(ख) (१) तहसील कपासन में कुल दो दरख्वास्तें प्राप्त हुई जिनमें से एक पर निर्णय लिया गया व एक विचाराधीन है; जिसमें एक्स सर्विसमैन के नाम पूर्व में भूमि के रकबे बाबत दर्याफतगी की कार्यवाही जारी है ।

(२) तहसील निम्बाहेडा में कुल ७ एक्स सर्विसमैन की दरख्वास्तें भूमि लेने के लिये पेश हुई, उनमें से दो व्यक्तियों को जमीन अलॉट हुई । तीन व्यक्तियों की दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई दो दरख्वास्तें विचाराधीन हैं । इसका कारण यह है कि अब्दुलजब्बार नहरी एरिया में जमीन चाहते हैं और नहरी-एरिया की भूमि की रेट राज्य सरकार से तय होकर नहीं आई है । श्री मथुरासिंह की दर्ख्वास्त है, जो वक्त अलॉटमेन्ट उपस्थित नहीं हुआ इसलिये इसका निर्णय आइन्दा अलॉटमेन्ट के समय किया जावेगा ।

(३) तहसील चित्तौड़गढ़ में कुल ८ प्रार्थना-पत्र एक्स सर्विसमैन के प्राप्त हुए उनमें से ४ को भूमि वितरित हो चुकी है । ३ प्रार्थना-पत्र फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट न आने से जेरकार है । एक प्रार्थना-पत्र श्री सूरजप्रसाद, भूतपूर्व सैनिक की डिस्ट्रिक्ट हाजा का रहने वाला न होने से रिजेक्ट कर दी गई है ।

(४) तहसील राश्मी में किसी का प्रार्थना-पत्र पेश नहीं हुआ, न कोई प्रार्थना-पत्र पेन्डिग है ।

(५) तहसील गंगरार में एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २९-१-६३ को पेश हुआ जो पटवारी से नक्शा खसरा तलब किया है व आने पर मीटिंग में भूमि अलाट होगी ।

(६) तहसील डूंगला में दो प्रार्थना-पत्र पेश हुए जिनमें से अलॉटमेन्ट बन्द होने से भूमि नहीं देने का निर्णय किया जा चुका है । कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है । बांगली प्रोजेक्ट बनने के प्रपोज़ल्स होने से डूब में आने वाले आसामियान के लिये अलॉटमेन्ट बन्द हैं ।

(७) तहसील प्रतापगढ़ में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होकर उस पर निर्णय लिया जा चुका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह अलॉटमेन्ट कौन करता है, किन रूल्स के मातहत करता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऑर्डिनरी परसन्स को जिन नियमों के आधार पर करते हैं उसी आधार पर इनको हो रहा है । सेपरेट नियम बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह सोच रही है कि एक्स सर्विसमैन को जमीन अलॉटमेन्ट में प्रायोरिटी देने के बारे में रूल्स को अमेन्ड किया जावे जो इस समय हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : श्री अब्दुलजब्बार को भूमि अलाट क्यों नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अपने उत्तर में बता दिया है ।

श्री अब्दुलजब्बार : किसी को १५ बीघा और किसी को ८०।८४ बीघा और किसी को सौ बीघा दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि रैंक के हिसाब से अलाटमेन्ट करते हैं जमीन का ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): यह श्री अब्दुलजब्बार साहब कौन हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आप अच्छी तरह से जानती हैं ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, On a point of order, क्या इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा अपने निजी हितों से संबंध रखने वाले प्रश्न इस सदन में रखना उचित है ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह तो एक्स सर्विसमैन से संबंध रखने वाला है·····

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपसे नहीं पूछा है । जब वे चैयर पर हों तब तो अलग बात है, नहीं तो अभी तो वे मेरी ही जैसी हैसियत में हैं । इसलिये वे इसका जवाब नहीं देने की कोशिश करें तो ज्यादा उपयुक्त है ।

एक माननीय सदस्य: On a point of Information, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a poin of order, Sir.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : There is already one point of order before the Chair, There can not be another point of order till this is disposed of.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): On a point of order, Sir, अब्दुलजब्बार सदन के सदस्य हैं, यह इस प्रश्न में व उत्तर में स्पष्ट नहीं है । तो उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वे सदस्य हैं विधान सभा के ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो स्पष्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष: Order please order !! यह प्रश्न वैसे एक्स सर्विसमैन के विषय में था जिसमें श्री अब्दुलजब्बार का नाम आया तो इस दृष्टि से कोई बात नहीं थी । लेकिन पर्सनल बात को लेकर यहां प्रश्न पूछा जाना अथवा कोई ऐसी कार्यवाही करना यह वास्तव में अनुचित ही समझा जाना चाहिये ।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एप्लीकेन्ट्स ने दरख्वास्त कब दी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी दरख्वास्त ?

श्री अब्दुलजब्बार : श्री अब्दुलजब्बार, जो अलाटमेन्ट के इच्छुक हैं, ने एप्लीकेशन दी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हर व्यक्ति की दरख्वास्त की तारीख आफ हैण्ड बताना न उपयुक्त ही है और न इस समय मेरे पास उपलब्ध है ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया

(श्री भैरूंसिंह)
कि अपने स्वार्थ के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं करना चाहिये ; इसको तो मैं स्वीकार करता हूं कि किसी प्रकार से अपने केस की पैरवी नहीं होनी चाहिये, पर प्रश्न जिस लाइट में पूछा गया है वह सारे भूतपूर्व सैनिकों का है और अगर उसमें राजस्थान विधान सभा के सदस्य आते हैं और वे भी प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो यह आपत्तिजनक नहीं हो सकता और फिर उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उनको मिलना चाहिये, दूसरों को नहीं। वे भूतपूर्व सैनिक हैं और इस नाते दरख्वास्त देना करना, और यहां इसके बारे में पूछना व्यक्तिगत मामले की पैरवी के सीगे में नहीं आ सकता। आपके रूलिंग को मानते हुए मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप इस लाइट में फरमावेंगे तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें उनका सीधा स्वार्थ नहीं है तो क्या है फिर ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं अपने निर्णय में कह चुका हूं कि यह प्रश्न उन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिये पूछा था, उस भूमिका तक तो ठीक था। पर जब वह प्रश्न केवल अपने ही लिये किसी बात को पूछने के लिये चलते चले गये तो उस हद तक वह ठीक नहीं था और इस बात का ध्यान साधारणतया रखा जाना आवश्यक ही है।

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : स्थगित प्रश्नों को कम से कम ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed questions will be taken.

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

(दिनांक २ मार्च, १९६३ के स्थगित प्रश्न)

डाक्टरों तथा वैद्यों की वेतन-श्रृंखलायें

६५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य में डाक्टरों की व वैद्यों की वेतन-श्रृंखलाएं व तरक्की आदि के नियम सरकार ने बनाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हैं, तो क्या ? क्या डाक्टर्स, इन्जीनियर्स तथा लेक्चरार्स की वेतन-श्रृंखलाओं में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार इन सबकी ड्यूटी को हार्ड-ड्यूटी मानती है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) :
(१) जहां तक पे स्केल्स का सवाल है यह राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड रूल्स १९६१ के शिड्यूल नं० १ सेक्शन (बी) में दी हुई हैं जो कि राजस्थान गजट पैरा ४७, दिनांक ३१-१२-६१ को शाया किये जा चुके हैं और जहां तक प्रमोशन रूल्स के सवाल हैं तो मेडीकल सर्विसेज एण्ड प्रमोशन रूल्स अभी फाइनेलाइज नहीं हो पाये हैं। मगर स्टेट ने आयुर्वेद रूल्स फाइनेलाइज करके १९५९ को रायज कर दिये हैं और सबोर्डिनेट आयुर्वेद रूल्स अभी बनने बाकी हैं। जी हां, पे-स्केल्स बढाते समय मुख्तलिफ चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से जब डाक्टर्स, लेक्चरार्स और इन्जीनियर्स के पे-स्केल्स बनाये गये थे उस वक्त भी इस बात को मद्देनजर रखा गया था कि उन्होंने

(श्री बालकृष्णकौल)
कितना वक्त और कितना रुपया अपने कोर्स को पूरा करने में खर्च किया।

(२) जी नहीं, अगर किसी ड्यूटी को हार्ड ड्यूटी माना जाता है तो उसके लिये खास तौर पर स्पेशल पे मंजूर की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने कहा कि पे स्केल्स बनाते समय इन बातों का ख्याल रखा गया था कि कितने वर्ष की पढ़ाई है और कितना रुपया खर्च हुआ और सारी बातों का ख्याल रखा गया था। इस संबंध में यह निवेदन है कि डाक्टर, इन्जीनियर्स और लेक्चरार्स–इन तीनों के पे-स्केल्स में इतना जबरदस्त अन्तर होने का क्या कारण है जब कि सब की पढ़ाई में उतना ही खर्च लगता है डाक्टर की पढ़ाई में बल्कि ज्यादा खर्च लगता है; तो ऐसी हालत में डाक्टर्स की पे-स्केल कम क्यों हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह करीब करीब बराबर हैं डाक्टर्स और इन्जीनियर्स।

श्री मुरलीधर व्यास : वह कितना है ? डाक्टर्स और इन्जीनियर्स की ग्रेड क्या हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : डाक्टर्स की पे-स्केल २२५ से ८०० तक की है और इन्जीनियर्स में अगर कोई जूनियर इन्जीनियर होता है तो उसको २२५ से ३२५ तक दिये जाते हैं जो कि ओवरसियर का ग्रेड है और जब वह असिस्टेन्ट इन्जीनियर बन जाता है तो २८५ से ८०० का ग्रेड है। दोनों के ग्रेड बराबर हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इन्जीनियर्स का ग्रेड २८५ से ८०० और डाक्टर का २२५ से है तो इसका क्या कारण है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने पहले कहा था कि करीब करीब बराबर हैं उनको ७५) रुपये का स्पेशल पे मिल जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो गांवों में जाने के लिये मिलती है।

श्री बालकृष्ण कौल : प्राइवेट प्रेक्टिस भी तो करते हैं वे।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक प्रेक्टिस का सवाल है हर डाक्टर नहीं करता। दूसरी सुविधायें जो इन्जीनियर्स को मिलती हैं सारी बातों की, बंगले की वे दूसरी सुविधायें भी इनको नहीं मिलतीं और यही कारण है कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और इसीलिए बाहर से भी कोई नहीं आता कि यहां के अच्छे पे-स्केल्स नहीं हैं। इनको इन्जीनियर्स से बहुत कम रखा है। आप ही देखिये एक सत्संगी हैं। उनके दो लड़के हैं; बड़ा लड़का डाक्टर है और दूसरा इन्जीनियर है। जो पहला लड़का है उसको कम मिलते हैं, उसने पढ़ने में ज्यादा समय लगाया, फोरिन भी गया और दूसरे छोटे लड़के को तनख्वाह ज्यादा मिलती है तो यह क्या बात है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह जो आपका सुझाव है यह बजट के बहस में कहें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। जो आपने इन्फोर्मेशन चाही थी वह मैंने दे दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह तो चेयर की तरफ से रूलिंग होनी चाहिए कि बजट के बहस में कहें, आप नहीं कह सकते हैं ·····

श्री बालकृष्ण कौल : जब से आप देख रहे हैं आपकी समझ में नहीं आये तो ·····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह चेयर का काम है। आप सवाल का जवाब दे सकते हैं कोई रूलिंग नहीं दे सकते। आप इस तरह से नहीं कह सकते। यह प्रिविलेज का सवाल है। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। यह तो सभापति महोदय ही कह सकते हैं कि बजट की बहस में करना या नहीं करना। यह आपके सजेशन देने की बात नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please! माननीय मंत्री महोदय ने केवल सुझाव दिया है कि इसकी विगतवार बहस बजट के दौरान में हो सकती है। कोई निर्णय नहीं है इस विषय में।

(विराम)

Next question.

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक क्वेश्चन और है इसमें। प्रमोशन रूल्स जो डाक्टर के बने हुए हैं वे कब से ला डिपार्टमेन्ट ने बनाकर दे दिये। आपके यहां कब से विचारार्थ पड़े हैं?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : इस प्रश्न के साथ में जो सप्लीमेन्टरी हों तो वे मेडीकल विभाग के मंत्री से होने चाहियें।

श्री मानिकचन्द सुराणा: फिर मेडिकल मिनिस्टर ही सारा रिप्लाई दे सकते थे। प्रमोशन रूल्स फाइनेलाइज क्यों नहीं हुए?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक सप्लीमेन्टरी मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष: I have called for the next question.

Shri Hari Ram.

भेड व बकरियों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर कर

७१. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भेड और बकरियों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर पहले कोई टैक्स नहीं था?

(२) क्या यह सही है कि गत विधान सभा के सेशन में पशु-कर वापिस ले लिया गया था?

(३) क्या यह सही है कि अब एक रुपया प्रति भेड और बकरी राजस्थान से बाहर जाने पर लगा दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(४) क्या सरकार इस टैक्स को वापिस लेने को तैयार है?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) :

(१) जी हां, २६-३-६२ के पहले कोई टैक्स नहीं था।

(२) जी हां, अलावा भेड, बकरी और ऊंट के जिनके ऊपर बजरिये नोटीफिकेशन नं० एफ. ५ (१५)। इ. एण्ड टी.। ६२ तारीख ४-५-६२, २६-३-६२ से सेल्स टैक्स लगाया गया और दूसरे जानवरों को सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया।

(३) जी हां, क्योंकि सेल्स टैक्स की दर ५ फी सदी रखी गयी थी। चूंकि एक बकरी या भेड की कीमत औसतन २० रुपये होती है इसलिये ५ फी सदी के हिसाब से सेल्स टैक्स एक अदद पर एक रुपया होता है।

(४) जी नहीं।

श्री हरिराम चौहान : क्या यह बता सकते हैं कि सेल्स टैक्स और कस्टम में क्या फर्क है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे माफ कीजिए मैं यह नहीं बता सकता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय ने जो सदन को इनफोर्मेशन दी है कि २० रुपये उसकी कीमत रख कर यह किया गया है, यह जो इन्फोर्मेशन दी है क्या २०) रुपये के ऊपर ही सेल्स टैक्स लिया जाता रहा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर चुका हूं कि औसतन एक बकरे की कीमत २०) रुपये मानी गयी है उसी हिसाब से पर्चेज टैक्स ५ परसेंट से १) रुपया होता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और यही लिया जाता रहा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : और अब भी लिया जाता रहा है जब तक कि यह नोटीफिकेशन नहीं हुआ ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने ३०) रुपये की कीमत की बात कही है उस कीमत को १०) रुपये कर दिया है और आपने ही इसे किया है, यह इन्फोर्मेशन सदन को देनी चाहिये थी । अगर मैं गलत कह रहा होऊं तो आप बता दें । श्रीमान् उनसे पूछ लें कि यह सही है या नहीं और यह सदन को गलत इन्फोर्मेशन दी है या नहीं । १० रुपये के ऊपर सेल्स टैक्स लिया गया है; अगर आप कहें तो मैं रसीदें पेश कर सकता हूं । सदन को सही बात न बताकर गलत इन्फोमेशन दी गयी है · · · · · ·

श्री बालकृष्ण कौल : एक बकरे की कीमत मेग्जिमम २०) रुपये मानी गयी है और इसके ऊपर एक रुपया लिया जाता था और जब कि १०) रुपये माने गये हैं तो उसके हिसाब से ५ परसेंट के होते हैं ८ आने । मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौनसी गलती है । मैं बार-बार कह रहा हूं कि ५ परसेंट से टैक्स लिया जाता है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने १०) रुपये बकरे की कीमत के बारे में कभी इन्फोर्मेशन नहीं दी और ५ परसेंट पर ही जोर दे रहे हैं । मेरा प्रश्न है कि जहां २० रुपये एवरेज लिखा हुआ है यह गलत इन्फोर्मेशन दी है । यह १०) रु० कीमत आपने कब तय की थी और क्यों तय की थी जब कि १०) रुपये उसकी कीमत नहीं होती है । यह कौनसी तारीख को तय की थी । २०) रुपये कब तक लेते रहे और यह कीमत कैसे घटी ? पहले भी डिसेक्शन में यह रहा है कि टैक्स कुछ लगता है, हमसे सेक्शन कुछ लेते हैं और दूसरों के ऊपर मेहरबानी करके ऐसा करते हैं · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : भाषण के रूप में क्वेश्चन नहीं होना चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने प्रश्न किया है कि यह कब हुआ है । २०) रुपये के ऊपर टैक्स कब तक लिया जाता रहा और कब १०) रुपये के ऊपर लिया जाता रहा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा उत्तर आना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप उनसे उत्तर देने को कहें । बैठे रहने से कैसे काम चलेगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : तारीख की इत्तिला तो इस वक्त में मेरे पास नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले १०) रु० के हिसाब से लिया है और बाद में २०) रु० के हिसाब से कब से लिया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिस बकरे की हैसियत २०) रु० की है यानी जिसको २०) रु० का बकरा समझते हैं उस पर २०) रु० के हिसाब से लिया है और जिसको १०) रु० का समझते हैं उसको उस हिसाब से लिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ही केस में अलग-अलग रेट से एसेसमेंट कैसे हुआ ?

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है, वह गलत है या सही है उसके दूसरे प्रकार की कार्यवाही है इसमें, वह करिये ।

श्री हरिराम चौहान : मेरा प्रश्न था, मैं यह पूछना चाहता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order please.!!

श्री हरिराम चौहान : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह जब बकरा या भेड अपने घर से लेकर जाता है और जो केवल भेड बकरी पालने का काम करता है और वह खरीदता तो नहीं और वह बाहर जाता है तो उससे सैल्स टैक्स लिया जाता है तो इसको सेल्स टैक्स कहें या खरीद टैक्स कहें या दूसरी किस्म से कस्टम कहें; क्योंकि उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है । अगर है तो बता दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो खरीद नहीं हुआ ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Shri Ram kishan.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a Point of order, Sir, you have allowed the question and the answer is not coming. This won't go. This should not be the practice, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I have already called the name of Shri Rama Kishan.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: But you have allowed ....

श्री उपाध्यक्ष: I had spoken the name of Shri Ram Kishan and now it is for the Hon'ble Members to hear it.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसके पहले दो प्रश्न पूछे गये थे, एक श्री ज्वालाप्रसादजी का और दूसरा आपका, दोनों के आन्सर आने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आन्सर जितना था उतना दे दिया।

श्री विजयसिंह झाला : यह परिपाटी ठीक नहीं रहेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर वे यह कह दें कि उत्तर नहीं है तो यह उनका आन्सर मान लिया जायगा । जब आप एलाऊ कर देते हैं तो जवाब देना चाहिये कि आन्सर नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या सवाल है कि जिनका कि जवाब नहीं दिया गया ?

(श्री बालकृष्ण कौल)
मैं सबका जवाब दे चुका हूं। मैं यह कह चुका हूं कि बकरों की जैसी हैसियत थी, जिस कीमत के लायक वह था उसके हिसाब से ली है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष: Order, Order Please!!

श्री बालकृष्ण कौल : उनकी कीमत का हिसाब उसमें जितना चमडा होता है, गोश्त होता है या खून होता है उसकी कीमत पर ५ पर्सेन्ट लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस बकरे की क्या हैसियत है, वह किस पर आधारित है?

श्री बालकृष्ण कौल : जो टैक्स लेता है उस पर आधारित है।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर): जो लेता है वह किन आधारों पर लेता है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक पर्टीक्यूलर पीरियड में क्या यह तय किया गया था कि बकरे की कीमत २०) रु० ली जायगी या उसी पीरियड में किसी बकरे की २०) रु० और किसी पर १०) रु० के हिसाब से किया है?

श्री बालकृष्ण कौल : यह इस तरह से है कि एक बकरा तैयार होता है तो उसकी कीमत २०) रु० होती है और एक बकरा जो कमजोर होता है उसकी कीमत १०) रु० होती है। यह आप जानते नहीं हैं · · · · ·

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बकरे की कीमत · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर काफी प्रश्न हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि इस पर अधिक स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्रीजी स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं तो और भी व्यवस्था है। हाफ एन आवर का डिस्कशन रेज किया जा सकता है और कुछ किया जा सकता है क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों का वक्त जाया नहीं होना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा और आग का प्रश्न श्री रामकिशन पूछें।

श्री रामकिशन (बैर): प्रश्न संख्या ८३।

श्री उपाध्यक्ष : I have already said, 'Shri Ram Kishan'.

श्री रामकिशन : आप अंग्रेजी में पूछ रहे थे इसलिये नहीं खडा हुआ। अगर आप आयन्दा अंग्रेजी में कहेंगे तो नहीं पूछूंगा।

सेल्स टैक्स की अदायगी

८३. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या आबकारी एवं कर-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर के 'लोहे के सरिया' बनाने वाली किसी फर्म ने अपने उत्पादन की बिक्री पर कभी कोई सेल्स टैक्स जमा कराया है? यदि हां, तो किस फर्म ने कितना कितना और कब कब?

आबकारी एवं कर-मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : जी हां। नानक रोलिंग मिल सरिया बनाने वाली फर्म ने सन् १९५५-५६ से सन् १९६१-६२ तक जो बिक्री कर जमा करवाया है वह यह है :—

१९५५-५६	३४२.०६
१९५६-५७	६८१.३४

(श्री बालकृष्ण कौल)

१९५७-५८	५७८५.४२
१९५८-५९	७१९.२२
१९५९-६०	३८२९.५६
१९६०-६१	२२१४.१४
१९६१-६२	९००.००

श्री रामकिशन : यह जो सेल्स टैक्स का इतना फर्क है कि किसी साल में वह ३०००) तक पहुंच गया है और किसी साल में वह ९००) ही रह गया है। इसका मतलब यह है कि क्या उनका कोटा कम हो गया है? उसकी जानकारी प्राप्त की है या कि प्रोडक्शन कम हुआ है?

श्री बालकृष्ण कौल : आप को कोई शिकायत हो तो सामने रख दें।

श्री रामकिशन : सारी चीज आपके खुद के नजर आती है कि किसी साल में ३ हजार है, किसी साल में ९००) है यह फर्क क्यों है? यह तो आपको मालूम हुआ होगा।

श्री बालकृष्ण कौल : एसेसमेन्ट में कुछ फीगर्स पहले आ जाते हैं और कुछ दूसरे साल में आ जाते हैं। आप इसमें देखिये कि जहां पर फीगर ५०००) का है वहां दूसरे साल ७१९ का है और फिर ३०००) का है। इसलिये कुछ फीगर्स बाद में आये होंगे। फिर भी जब आपकी शिकायत आयेगी तो जांच की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। अब दूसरी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

(प्रश्न सूची के अनुसार प्रश्न–समय में न पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(१२.२५ म.प.)

राजस्थान लोक सेवा आयोग के ग्यारहवां व बारहवां प्रतिवेदन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, में भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत, राजस्थान लोक सेवा आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक) व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित एवं बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक) व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मेटर्निटी बेनिफिट एमेण्डमेन्ट बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

(ख) राजस्थान सांस्कृतिक संस्था विधेयक, १९६३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कल्चरल इन्स्टीट्यूट बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

(ग) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(घ) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रिवेन्शन ग्रॉफ मृत्यु भोज (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

(ङ) राजस्थान दूकान तथा वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट (एमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द।

(च) इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान एमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कुमारानन्द : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(छ) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली) संशोधन विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) एमेन्डमेन्ट बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(ज) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिराम चौहान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(झ) राजस्थान मंहगाई भत्ता विधेयक, १९६३

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं राजस्थान डियरनेस अलाउन्स बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(ञ) राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : मैं राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(ट) राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(१२.३२ म. प.)

अशासकीय संकल्पों पर वाद-विवाद हेतु समय निर्धारण सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प, श्री रामकिशन।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके लिये समय निश्चित् कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : : संकल्प तीन हैं।

श्री भैरोंसिह : हाजिर दो ही हैं लेकिन तीनों के लिये समय निश्चित कर दीजिये, शायद तीसरे भी बाद में आ जावें।

श्री रामकिशन (बैर) : व्यवस्था यह रही है कि पहला संकल्प समाप्त हो जावे तब दूसरा लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक संकल्प के लिये डेढ घण्टे का समय निर्धारित किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो इस तरह से टाइम निर्धारित करने का तय नहीं हुआ था। तय यह हुआ था कि एक खत्म होने के बाद दूसरा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय निर्धारित करने का आसन को अधिकार है इसीलिये उसी के अनुसार मैं निर्धारित कर रहा हूं। कमेटी की रिपोर्ट में भी समय निर्धारण के लिये है।

Page No 41

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या टाइम रखा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष: डेढ घण्टे का समय एक संकल्प के लिये रखा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास: ऐसी परम्परा तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा तो पहले से ही है, आपको मालूम है। एक संकल्प के लिये डेढ घण्टा रखा गया है। प्रस्तावक आधा घण्टे तक बोलेंगे और समर्थक १५ मिनट से अधिक नहीं लें।

श्री रामकिशन: यह कैसे हो रहा है ? पहले तो एक संकल्प समाप्त होने के बाद दूसरा लिया जाता था।

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा के अनुसार ही निर्देश दे रहा हूं।

(१२.३५ म.प.)

छः एकड तक की खेती से लगान न लेने सम्बन्धी गैर–सरकारी संकल्प

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस प्रस्ताव से प्रकट है मैंने इस, प्रस्ताव में यह निवेदन किया है कि जिन किसानों के पास केवल ६ एकड तक जमीन है उनसे लगान नहीं लिया जाय, उन्हें लगान से माफ कर दिया जाय। प्रस्तुत संकल्प से मैं समझता हूं कि सरकारी पार्टी और प्रति-पक्ष के सभी लोग सहमत ही होंगे क्योंकि जो बात मैंने रखी है वह नयी नहीं है। कराची कांग्रेस में, जब कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था उस समय कांग्रेस ने निर्णय किया था कि जो जोत अनार्थिक होगी, जिससे कोई लाभ नहीं होगा उससे लगान नहीं लिया जायगा। यह कांग्रेस का निश्चय था। सन् २६ से लेकर आजादी के आन्दोलन तक लगातार कांग्रेस इसे दोहराती गई और हिन्दुस्तान के किसानों और ग्रामीण जनता को कांग्रेस ने जो वचन दिया था उसके अनुसार यह आशा करते थे कि ६ एकड तक की जोत या अनार्थिक जोत से लगान नहीं लिया जायगा। उसके बाद हिन्दुस्तान के दूसरे राजनैतिक दल हैं, उन्होंने भी समय समय पर इस बात को माना है कि जब शहर की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते हैं तो गांव वालों ने क्या अन्याय किया है। शहर के रहने वाले एक आदमी से जिसकी आमदनी ३,००० की नहीं है उससे टैक्स नहीं लिया जाता है लेकिन किसानों के लिये इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। यदि उसके पास २ मण अनाज हुआ है तो उसको तो २ मण के ऊपर भी लगान देना पडेगा, चार मण हुआ है तो उस पर भी देना पडेगा। मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसकी मंशा न केवल किसानों को सुविधा दिलाना है बल्कि यह बताना भी है कि शासक दल किस तरह विधान के विपरीत आचरण कर रहे हैं। विधान में यह स्पष्ट है कि देश के एक नागरिक और दूसरे नागरिक में भेद नहीं समझा जायगा, दोनों को समान अधिकार होंगे, समान कानून उन पर लागू होंगे लेकिन मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हो यह रहा है कि शहरवालों के लिये दूसरे कानून बनते हैं और गांव वालों के लिये दूसरे कानून बनते हैं। यह ऐसा अन्याय है जिसे मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष को बहुत जल्द मिटा देना चाहिये। लेकिन अफसोस है इस बात का कि सरकारी पक्ष वाले जब से गांधीजी की मृत्यु हुई तब से निरन्तर अपनी प्रतिज्ञाओं को भुलाते जा रहे हैं। अधिक अफसोस इसलिए भी होता है कि गांधीजी के समय के

(श्री रामकिशन)
जो लोग थे वे या तो कांग्रेस से निकल गये या अगर कहीं हैं भी तो वे पुरानी बातों को याद नहीं रखते । कांग्रेस एक संगठन है, उसका अपना इतिहास रहा है और यदि एक संगठन के लोग अपनी प्रतिज्ञाएं इस तरह से तोडते गये तो यह बात लोकतंत्र के लिये हानिकारक होगी; किसी भी दल में जनता विश्वास नहीं करेगी और कहेगी कि दलों के लोग बातें तभी तक करते हैं जब तक गद्दी पर नहीं होते, गद्दी पर आने के बाद प्रतिज्ञाएं भुला दी जाती हैं या तोड दी जाती हैं । इसलिये मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें। समाजवादी दल ने यह कहा है कि जमीन पर लगान नहीं होना चाहिये । साम्यवादी दल की भी यही नीति रही है कि छोटी आमदनी वाले लोगों पर लगान नहीं लगाना चाहिये या जिनके आमदनी के साधन छोटे हैं उन पर टैक्स जारी नहीं करना चाहिये । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है । जब यह सर्वमान्य प्रस्ताव है तो और तरफ जाने की जरूरत नहीं है । देश की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने इसे स्वीकार किया है । मान लीजिये कांग्रेस तो वचन भंग करती है क्योंकि कांग्रेस वचन भंग करने की अभ्यस्त हो गई है। लेकिन इसके अलावा दूसरी परिस्थिति भी है । कांग्रेस को पिछले आम चुनावों में ४२ प्रतिशत मत मिले हैं और जिन पार्टियों ने लगान नहीं लगाने का या हटाने का जिक्र किया है उनमें देश के ४८ प्रतिशत लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है । मैं समझता हूं इस मांग के पीछे बहुसंख्यक जनता का विश्वास है तो जिस जोत से लाभ नहीं होता हो उस पर लगान नहीं लगाना चाहिये । मैंने इसमें ६ एकड की सीमा रखी है और योजना आयोग ने भी मान लिया है कि ६ एकड जमीन की जोत से खाने-पीने के अलावा और कुछ बचता नहीं है । जब कुछ बचता नहीं है तो उस पर टैक्स लगाना नाजायज है क्योंकि टैक्स आमदनी पर लगता है । आम तौर पर लोग कहते हैं और सदन के माननीय सदस्य भी शायद यही कहें कि यदि ६ एकड जमीन पर से लगान हटा दिया गया तो जमीन टुकडों में बंट जायगी। यह एक नये तरह की दलील रखी जाती है । मैं अर्ज कर दूं कि जब करांची कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास किया गया उस समय की कांग्रेस के सभापति आज के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलालजी नेहरू थे उनके दिमाग में भी यह बात रही होगी । उसके बाद कांग्रेस की बम्बई योजना बनी । मैं समझता हूं, पुराने कांग्रेसियों को याद होगा कि भूमि सुधार के लिये बम्बई में जो बैठक हुई उसमें नेहरूजी थे, राममनोहर लोहिया थे, प्रो. दंतवाला वगैरह सभी थे । उसमें उन्होंने प्रस्ताव पास किया था कि जिस जमीन से नफा नहीं होता उस पर लगान नहीं लगाना चाहिये; इसलिये अब यह विवाद का विषय नहीं है ।

दूसरा सवाल यह है कि जमीन के टुकडे हों, न हों; यह एक दूसरा प्रश्न है । सरकार जमीन के कंसोलिडेशन या एकीकरण के लिये दूसरे नियम बना सकती है, सहकारिता का कानून बना सकती है और दूसरी तरह का कानून बना सकती है लेकिन बेमुनाफे की खेती पर लगान नहीं लगे, यह स्पष्ट होना चाहिये । मेरे प्रस्ताव का यही मतलब है,

इस प्रस्ताव के साथ कुछ और महत्व जुडा हुआ है । वह यह है कि आज देश में जो राजस्व आता है वह कितनी भूमि से आता है ? आम तौर पर यह तर्क दिया जाता है

(श्री रामकिशन)

कि एक तरफ सरकार पैसे की मांग कर रही है, क्योंकि चीन ने आक्रमण किया है इसलिये ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, देश की सुरक्षा के लिये धन चाहिए और दूसरी ओर यह मांग कर रहे हैं कि छः एकड तक की जमीन पर लगान माफ कर दिया जावे। यह किस तरह तर्कसंगत है, किस तरह व्यवहारिक है ? इस तरह का प्रश्न कुछ लोग जरूर उठा सकते हैं। सरकारी पक्ष के लोग और उसी तरह के कुछ दूसरे पक्षों के लोग इस तरह का प्रश्न उठायेंगे भी, लेकिन मैं उनके लिए यह बात निवेदन करूं कि आप इस प्रस्ताव से घबरायें नहीं। हमें यह बात देखनी चाहिये कि इस प्रकार के प्रस्ताव से क्या प्रभाव पडेगा ?

मैं राजस्थान का नहीं, हिन्दुस्तान का निवेदन करूं। अगर यह बात हिन्दुस्तान में तय हो जाती है कि जिस जमीन पर किसान को नफा नहीं होगा उस जमीन पर सरकार लगान नहीं लेगी तो सारे देश के अन्दर जो भू-राजस्व प्राप्त होता है वह डेढ अरब के आस-पास प्राप्त होता है, उसमें से अगर छः एकड तक वाली जमीन पर सरकार लगान न ले तो सरकार को चालीस, पचास करोड रुपये का घाटा होगा सारे देश की जमीन पर। जहां तक राजस्थान का संबंध है, राजस्थान में जितनी जमीन है और जिस पर खेती होती है उसमें से पैंतालीस लाख एकड जमीन ऐसी निकलती है जो छः एकड से कम वाले किसानों के पास है। ऐसी जमीन ४५ लाख एकड है और ऐसे पन्द्रह लाख काश्तकार हैं जो छः एकड से कम जमीन के मालिक हैं। राजस्थान में कुल किसान परिवार ३४ लाख के आसपास हैं। तो राजस्थान में ३४ लाख किसानों में से १५ लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास छः एकड से कम जमीन है। अगर छः एकड वाली जमीन पर से सरकार लगान हटा देती है तो इसका दूसरा लाभ यह होगा कि आजादी का प्रकाश जो जयपुर, दिल्ली और बम्बई में ही एक तरह से पहुंच पाया है और गांवों में नहीं पहुंचा है। अगर छः एकड वाली जमीन पर से लगान हटा देते हैं तो देहातों में रहने वाले लाखों लोगों तक आजादी का प्रकाश पहुंच जायगा। इसके साथ ही जैसे पांच आदमी एक परिवार में मानते हैं जो कि सीलिंग के लिये माना है तो छः एकड वाली जमीन पर से लगान हटा देने से यह आजादी की रोशनी राजस्थान के ७५ लाख आदमियों तक पहुंचेगी। ७५ लाख किसानों तक आजादी का प्रकाश पहुंचे, इस दृष्टि से भी इस प्रस्ताव का महत्व है।

अब इसके लिये और जो तर्क दिये जाते हैं उनका जवाब मैं आगे दूंगा। फिलहाल जो स्थिति है, अगर उसके अन्दर यह मान भी लिया जाय कि ऐसा करने से घाटा होगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर घाटा भी हो तो लाखों लोगों को आजादी का अहसास कराने के लिये इसे बरदाश्त कर लेना चाहिये क्योंकि यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। यह बात साफ थी कि शराबबन्दी करने से सरकार को घाटा रहेगा, लेकिन फिर भी सरकार ने शराबबन्दी की। वह इसलिये किया, कि यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, यह हमारा नैतिक धर्म है। थोडी देर के लिये मान लीजिये कि मैं इस तर्क में नहीं पडता कि इससे मुनाफा होगा या नहीं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि गांव और शहरों के

(श्री रामकिशन)

साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिये–यह सामाजिक न्याय का तकाजा है । इसलिये चाहे घाटा हो या नफा हो, इस तर्क में न जाकर इसे एक सिद्धान्त मान लीजिये कि जिन जमीन पर नफा नहीं होता है उनसे सरकार को लगान नहीं लेना चाहिये । यह एक सिद्धान्त की बात हैं । अब इस तरह भी देखें कि इससे सरकार को घाटा होगा, तो अभी तो हिन्दुस्तान के हिसाब से निवेदन किया, अब मैं राजस्थान के हिसाब से निवेदन करूं तो आठ, साढे आठ करोड सालाना सरकार को भू--राजस्व से प्राप्त होता हैं । जिन जोतों को मैंने अनार्थिक कहा है, जिनमें किसान को लाभ नहीं होता है, उनकी सीमा ४५ लाख एकड के आसपास पडती है और उनसे लगान न लेने से एक वर्ष में एक करोड के आसपास घाटा होने की संभावना है । इस एक करोड की वसूली में सरकार का खुद का कितना खर्चा होता है उसे निकाल दें तो जैसा प्रोफेसर दन्तवाला ने कहा है, और बम्बई की रिपोर्ट में पंडित जवाहरलाल ने भी स्वीकार किया है—एक करोड की वसूली में करीब बीस लाख के आसपास सरकार का अपना खर्च हो जाता है जो इस वसूली के लिये स्टाफ वगैरह रखना पडता है तथा और दूसरे प्रबंध करन पडते हैं । अगर इसको एक करोड में से निकाल दें तो शुद्ध घाटा ८० लाख के आसपास होता है । अब अगर दूसरे हिसाब से देखें तो दो-तीन तरीके इसकी पूर्ति के हो सकते हैं । वैसे तो मेरे ख्याल में इस घाटे की पूर्ति की जरुरत नहीं क्योंकि यह एक सामाजिक न्याय है, एक सामाजिक न्याय का तकाजा है, लेकिन फिर भी पूर्ति की बात होती है तो इसके दो-तीन तरीके हो सकते हैं ; पहला तो यह हो सकता है कि जिन किसानों के पास थोडी जमीन है, छः एकड जमीन जिनके पास है उनका लगान माफ कर दीजिये और फिर जैसे जैसे जमीन बढती जाती है और आमदनी बढती जाती है–उस आधार पर लगान लेने का सिस्टम हो, जैसा कि दूसरे देशों में सिस्टम है, उस ढंग से लगान लगाया जायगा तो इस घाटे की पूर्ति हो जायगी । अगर इसे छोड दें तो दूसरी स्थिति यह है कि राजस्थान का मौजूदा बजट ६६ करोड रु० के आसपास है । अब ६६ करोड रु० में , मैं समझता हूं, भले ही मुख्य मंत्री जी अलग से बात कर लें चेम्बर में जाकर गृह मंत्री जी से, ६६ करोड रु० में से एक करोड रु० फिजूल खर्च होता है । इतना तो आवश्यक रूप से होता है, इसमें ज्यादा विवाद की जरुरत नहीं है । यह मानी हुई बात है कि एक सौ रुपये में एक नया पैसा फिजूल खर्च होता ही है । सरकार इसको रोकना नहीं चाहती क्योंकि सरकार को गलत ढंग से लगान वृद्धि से, टैक्स वृद्धि से रुपया प्राप्त हो जाता है । मैं समझता हूं कि सरकार को जितना खींच कर टैक्स दिया जायगा और जितना खींच कर हिसाब मांगा जायगा उतनी ही सरकार फिजूल खर्ची बन्द करेगी और जितना सरकार को अनाप शनाप पैसा मिलेगा, जैसा कि आज भारत सरकार के साथ हो रहा है कि जिस मात्रा में अमरीका और दूसरे देशों से पैसा मिल जाता है, वह और जितना सरकार को टैक्स वगैरह से मिल जाता है उतनी ही रफ्तार से सरकार की फिजूल खर्ची बढती जाती है । सदन को मैं आगाह कर देता हूं कि जिन सरकारों को विदेशों से

(श्री रामकिशन)

अधिक से अधिक कर्ज मिला, जिन जिन सरकारों ने जनता से अधिक से अधिक टैक्स लिया है उन सरकारों का पतन ही नहीं हुआ बल्कि उन देशों में तानाशाही कायम हुई है या वे देश साम्यवादी हो गये हैं।

हिन्दुस्तान में आज यह स्थिति है कि विदेशों से लिया गया कर्ज चालीस अरब के आसपास पहुंच गया है। चीन के अन्दर जब चालीस अरब कर्ज विदेशों का हो गया, तो जिस सत्ता से आज हमें लडाई लडनी पड रही है, इस सत्ता ने चीन की पहली सरकार का तख्ता पलटा था। मिश्र में भी जब विदेशों का कर्ज अधिक हो गया और जनता पर ज्यादा टैक्स लगाये गये तो वहां नासिर का जन्म हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक जनता सरकार को टैक्स कस कर नहीं देगी और कस कर सरकार से हिसाब नहीं लेगी तब तक कोई सरकार हो, नेहरू की सरकार हो या लोहिया की सरकार हो, फिजूल खर्ची हुए बगैर नहीं रह सकती। इसलिये मैंने निवेदन किया कि फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये और देश में लोकतन्त्र पनपाने के लिये यह आवश्यक है कि जनता तक आजादी का प्रकाश पहुंचे। गांव का किसान आज कहता है कि देश में आजादी आई लेकिन उसका हमें पता नहीं। आप कहते हैं कि आप उनके लिये कुए बनाते हैं, आप बांध बनाने की बात कहते हैं; तो वे जवाब देते हैं कि पैसा भी तो हम ही देते हैं, इसमें आप अहसान क्या करते हैं? कुएं और बांध न तो मुख्य मंत्रीजी अपने घर से खर्च कर बनाते हैं, न गृह मंत्री अपने घर से खर्च कर बनाते हैं और न विरोधी पक्ष वाले अपने घर से खर्च करके बनाते हैं। वे कर देते हैं, टैक्स देते हैं इसलिये उनके लिये कूएं बनाते हैं। इसमें उन्हें आजादी से क्या चीज मिली है? आज शहर के अन्दर आप तीन हजार की आमदनी पर टैक्स लेते हैं लेकिन गांव में अनार्थिक जमीन पर भी आप लगान लेते हैं। मेरी मान्यता यह है और सदन के माननीय सदस्यों की भी यही मान्यता होनी चाहिये कि जिस जमीन पर किसान लगान नहीं दे सकता, जिस जमीन पर किसान मुनाफा नहीं ले सकता ऐसी जमीन पर लगान नहीं लेना चाहिये। इसका एक सामाजिक, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है और वह यह है कि जो छोटी जमीन वाले लोग हैं गांवों में, वे आम तौर पर हरिजन, आदिवासी हैं। मैं समझता हूं, यह एक प्रमाणिक सत्य है कि जो इस वर्ग की जनता है वही इन छोटी छोटी जमीनों की मालिक हैं। हिन्दुस्तान में वर्ग की व्यवस्था के कारण इन जातियों के दबाये हुए लोगों के पास जमीन कम है। इसलिये यह तीसरा लाभ है कि छः एकड वाली जमीन पर लगान न लेने से इस शोषित वर्ग को राहत मिलेगी और राहत देने के लिये सारे राजस्थान के साठ पैंसठ लाख आदिवासी और हरिजनों को एक सुविधा देने के लिये एक करोड रुपये की छूट सरकार दे दे तो यह कोई बडी चीज नहीं है। इस समय दस बाहर परसेन्ट इनमें सवर्ण होंगे जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जो दरिद्र हैं और जो पीडित हैं। इनके संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिये। अगर सरकार छः एकड वाली जमीन पर लगान माफ करेगी तो इसका मतलब यह होगा कि इन दलितों और दरिद्रों की सेवा करने का दूसरा व्रत ले रहे हैं और तीसरी स्थिति

(श्री रामकिशन)

यह है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान की जनता कर्ज से दबी हुई है। आज-कल सही आंकडे तो प्राप्त होते नहीं क्योंकि जो योजना आयोग हैं, और जो आयोग सदन के द्वारा बनते हैं वे मंत्रियों के भाषण छापने और इधर उधर समय खराब करते हैं। वे सही आंकडे नहीं देते। मैंने कोशिश की कि हिन्दुस्तान पर कितना कर्ज है, इसकी रिपोर्ट मिले। पर कहीं कोई रिपोर्ट है ही नहीं और कहीं है भी तो वह अधूरी है। मुझे प्रोफेसर दन्तवाला की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने बताया है कि हिन्दुस्तान के ग्रामीणों पर १२ अरब के आसपास कर्ज हो सकता है। ये पुराने आंकडे हैं इसलिये हो सकता है, ये घट गये हों या बढ गये हों, यह रिपोर्ट १९५४-५५ की है। यह स्थिति हो सकती है कि इन आंकडों में कुछ घटा-बढी हुई हो लेकिन १२ अरब में से राजस्थान का हिसाब लगायें तो ३० करोड जनता पर १२ अरब का कर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी आंकडे जो कर्ज बता रहे हैं वह ४० करोड के आस पास है। आज हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ रही है, तो प्रति व्यक्ति टैक्स भी बढ रहे हैं। इस गति को चालू रखें तो आगामी दस साल में योजनायें भी चलती जायंगी, बांध बनते जायेंगे तो मंत्रियों की संख्या भी बढती जायगी लेकिन किसान के ऊपर से कर्ज का बोझ घटेगा नहीं, वह भी बराबर बढता ही जायगा क्योंकि विकास की रफ्तार तेज होगी। लोक सभा ने जो कमेटी बैठाई थी, जिसके बारे में आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले लोकसभा में एक प्रश्न हुआ था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि रिपोर्ट पूरी नहीं आई है, अधूरी रिपोर्ट आई है। और उसमें कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में देश की तमाम आमदनी का चालीस प्रतिशत भाग प्राप्त होता है तो सारे देश की आमदनी का हिसाब लगाया जाय तो चालीस प्रतिशत भाग गांवों में पहुंचता है और साठ प्रतिशत शहरों में जाता है। इसमें शहरों के हरिजन और दरिद्र नहीं हैं। इसमें बडे बडे मालदार हैं, बडे बडे आदमी हैं, अंग्रेजी पढने वाले हैं। इतना भाग उनके पास जो रखा है और बाकी के शहर के गरीब और गांवों के गरीब के पास नहीं जा रहा है। लोक सभा में जो प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर में पंडित जवाहरलाल जी ने कहा कि जो कमेटी बैठाई थी, उसने रिपोर्ट दी है और उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का भयंकर ढंग से शोषण होता है।

प्रोफेसर दंतवाला और गैडगिल ने यह बताया है कि शोषण का सबसे ज्यादा भयंकर परिणाम छोटे लोगों पर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम छोटे-छोटे किसानों से लगान नहीं लेते हैं तो हमारे छोटे किसानों पर जो ४० करोड़ रुपयों का कर्ज़ा है वह ८ या १० वर्षों में चुक सकता है और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। मैंने पहले आपको बताया था कि छोटे छोटे लोगों पर क़र्ज़ा ज्यादा है। मैं समझता हूं कि हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से परिचित होंगे कि हमारे यहां ग़रीब लोग अर्धनग्न (हाफ-नेकेड) स्थिति में रहते हैं उनको पहिनने को पूरा कपडा नहीं मिलता न उनको खाने के पूरा भोजन मिलता है। प्रो० दंतवाला ने यह बताया है कि हमारे यहां ७ करोड़ व्यक्ति

(श्री रामकिशन)

ऐसे हैं जिनको एक समय पूरा भोजन भरपेट नहीं मिलता है। जब उनको भोजन भी पेट भर प्राप्त नहीं होता तो कपड़े पहिनने का प्रश्न तो उठता ही नहीं। अगर आप इस सिद्धान्त को मानते हैं तो आपको उन लोगों को २० वर्षों के लिये छूट दे देनी चाहिये। अगर आप इस बात को सदन में मानते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि आप उनको २० साल की छूट देंगे। जब आप उनको २० साल तक लगान की छूट देंगे तो उनको २० साल की छूट होगी और इसका मतलब यह होगा कि वे लोग १६ गज़ कपड़ा ख़रीद सकेंगे और १६ गज़ कपड़ा उनको हम पहुंचा सकेंगे। यह प्रश्न बहुत महत्व का है और इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको यह छूट दें ताकि उन किसानों को कपड़ा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गरीबी की मार औरतों पर सबसे ज्यादा पड़ती है। आपने देखा होगा कि पुरुष तो पहले भोजन कर लेते हैं और औरतें बाद में भोजन करती हैं, पुरुषों को भोजन कराने और बच्चों को खाना खिलाने के बाद में। अगर भोजन नहीं रहता है तो औरतें भूखी ही रह जाती हैं। इसी तरह से अगर कपड़े नहीं मिलते हैं तो इसका असर भी औरतों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। आदमी कपड़े पहिन कर बाहर चले जाते हैं, मगर औरतें फटे कपड़े पहिन कर घर में रह जाती हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैंने ६ एकड़ की जमीन के लगान की छूट के लिये निवेदन किया है। यदि आप इस पर भी टैक्स लगा देंगे तो यह अर्ध-नग्न और भूखी और हमेशा से दबी हुई महिलाओं के लिए और भी ख़तरनाक होगा और आप ऐसा करके देश का कोई हित नहीं करेंगे। आज अर्धनग्न और भूखी महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकतीं। वे अपने घरों में ही रहती हैं। उनको यह भी मालूम नहीं कि चीन कहां है और हमारे देश में संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है। देखा जाए तो शुरू से गांवों में प्रकाश नहीं पहुंचा।

थोड़ा बहुत गांवों में प्रकाश पहुंचाया गया भी तो पुरुषों तक ही वह पहुंचा और पुरुषों ने उसे औरतों तक नहीं पहुंचने दिया। इस तरह से उन पर दोहरी मार पड़ी। मैं यह कहूंगा कि अगर देश की महिलाओं तक प्रकाश पहुंचेगा तो इससे देश का भला हो सकता है। जब तक किसी देश की महिलाएं आगे नहीं आतीं उस देश की उन्नति नहीं हो सकती। हमारे यहां स्त्रियों की क्या हालत है उस सम्बन्ध में मदर इण्डिया में एक कार्टून (चित्र) आया था उसको मैंने शिक्षा उप-मन्त्रीजी को दिखाया था और बतलाया था कि हमारे यहां स्त्रियों की क्या दशा है ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : आपके और मेरे बीच में जो बात-चीत हुई वह आप और मुझ तक ही सीमित थी। आप उसको सदन में प्रकट नहीं कर सकते। यह प्रिविलेज का प्रश्न है....

एक माननीय सदस्य : यह प्रिविलेज है या नहीं, इसका निर्णय तो उपाध्यक्ष करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये आपके और आपके दरमियान की बातें हैं।

श्री रामकिशन : मैं अमूमन अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मेरे मित्र के यहां मदर इन्डिया देखा....

एक माननीय सदस्य : यह कौनसा पत्र है ?

श्री रामकिशन : मैं खुद कहता हूं कि यह अंग्रेजी का पत्र है। मदर इन्डिया। नाम से ही मालूम होता है कि यह अंग्रेजी पत्र है। उसमें मैंने क्या देखा कि एक सुन्दर स्त्री पेड़ को सहारा दिये खड़ी है। गिरते हुए पेड़ का सीन है। उसके नीचे लिखा हुआ है स्ट्रेन्ज क्रीचर। स्त्री को क्रीचर की संज्ञा देना आज के सभ्य कहलाने वाले पुरुष समाज की मनोवृत्ति का परिचायक है। मौजूदा समय में स्त्रियों की बहुत दर्दनाक हालत है। लगान की छूट से उनको भी भोजन मिलेगा और जो स्त्रियें गृहस्थाश्रम में जीवन व्यतीत करती हैं मौजूदा हालत में, उससे वे ऊपर उठ सकेंगी। भारतीय समाज और मन जो आज जकड़ गया है, दब गया है, सड़ गया है, उसमें उत्साह पैदा होगा और औरतों में नया जीवन आयेगा मैं इसलिये भी अर्ज करूंगा कि हमारा चीन से युद्ध चल रहा है युद्ध के समय कोई भी देश केवल हथियारों से नहीं जीत सकता। अगर जीतेगा तो इसी से कि उस देश के रहने वालों का मोरल कितना ऊंचा है। वहां की आर्थिक हालत कैसी है। देश में उत्पादन अच्छा हो और वह तभी हो सकता है जब किसानों की आर्थिक हालत अच्छी हो। मैं यह कहूंगा कि चीन के किसानों और हमारे यहां के किसानों में बहुत अन्तर है।

श्री मोतीलल चौधरी (डीडवाना) : चीन के किसान जमीन के मालिक नहीं हैं।

श्री रामकिशन : आप जो कह रहे हैं उससे मैं ज्यादा इनफोर्मेशन रखता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : वे मजदूर हैं। लेबरर्स हैं।

श्री रामकिशन : जो आप कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : स्वीकार नहीं करते तो.....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं ? मिनिस्टर बनने के लिये पक्ष ले रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मिनिस्टर की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन हैं, आपको मिनिस्टर के बराबर के अधिकार हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने स्पष्टीकरण के लिये कहा है। मैंने कहा है कि चीन का किसान जमीन का मालिक नहीं है। मैं उन्हें जानकारी दिलाना चाहता हूं कि वहां जमीन का मालिक किसान नहीं है। वहां का किसान मजदूर है।

श्री रामकिशन : मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सूचना दी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय महानुभावों का यही बीच-बीच में बोलने का तरीका रहा तो मैं यह कहूंगा कि हमारे अधिकारों का हनन होगा और इस तरह से वे हमारे अधि-

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कारों का हनन करेंगे और गलत परम्परा क़ायम करेंगे तो उसका नतीजा उनको खुदको भी उठाना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके तरीक़ों से तो यह अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामकिशन को संबोधित करते हुए) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामकिशन : हमारी पार्टी के तरीक़ों के लिये माननीय सदस्य ने कहा कि उनके तरीक़ों से तो अच्छा ही है। मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि हमारी पार्टी का सिद्धान्त प्रदर्शन करना और संभव हो तो सड़े टमाटर तक डालना यह पार्टी मानती है। इसमें कोई दिक्कत तक नहीं है।

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि चीन में छोटे किसानों से लगान कहीं नहीं लिया जाता है चीन तो अलग है, यूरोप में कहीं नहीं लिया जाता है। अमेरिका में भी नहीं लिया जाता। इराक ने अभी अभी इसको खत्म कर दिया है। आप चीन के किसानों को मजदूर कहते हैं मगर मैं उनको मजदूर नहीं, उससे भी ज्यादा मानता हूं। मैं उन्हें नजरबन्दी मानता हूं। आप बगैर सोचे समझे इस प्रसंग पर जोर दे रहे हैं इसलिये मुझे तकलीफ हो रही है। इसलिये मैं यह कह रहा था कि सबसे पहले जनता के मन को आप गरमावें और जब जनता के मन को आप गरमावेंगे तो जनता यह समझने लगेगी कि यह देश और प्रदेश हमारा है। आज जनता अपने आपको क्या समझती है, यह आप भी जानते हैं मगर आप इस बात को हाउस के अन्दर स्वीकार नहीं करते हैं तो न करें, मगर बाहर चलने पर तो अवश्य ही आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जनता इस बात को मानती है कि आज हिन्दुस्तान हमारा नहीं है, यह बड़े बड़े लोगों का है। यह पूंजीपतियों का है। गरीब और किसानों का हिन्दुस्तान नहीं है। हरिजनों व शूद्रों का नहीं है। आप इस चीज को सदन में स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन बाहर जाकर इसको स्वीकार कर लेंगे।

(१२.५८ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

इसलिये हमें जनता के दिलों को गरमाना होगा और उनमें इतनी ताकत लानी होगी। जब तक हम उनमें ताकत नहीं लावेंगे तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं जानकारी करना चाहता हूं कि इस देश में शूद्रों का कोई आधार नहीं है ?

श्री रामकिशन : मनु की व्यवस्था के अनुसार जो जनेऊधारी, नहीं है। वे शूद्र हैं। ब्राह्मण, बनिये, राजपूत के अलावा जो जनेऊधारी नहीं हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी: यह कैसे है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : Point of order, Sir........

श्री सभापति : पोइन्ट ओफ ओर्डर है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कल से आप बराबर इस 'शूद्र' शब्द का प्रयोग करते जा रहे हैं। हमारे संविधान में कोई शूद्र नहीं है। आप 'शूद्र शूद्र' शब्द का प्रयोग करते जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कौनसे सेक्शन के अनुसार पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप रात-दिन बाइबल पढते है और फिर मुझे पूछते हैं कि किस सेक्शन के अनुसार पोइन्ट ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं । एक दो, तीन,चार जब सदन कोन्स्टीट्यूशन की भावना से प्रेरित है तो ये शब्द नहीं होने चाहिये । आप हरिजन कह सकते है, शूद्र नहीं कह सकते । आप मनु की उस पुरानी नीति से प्रभावित हैं और आप उन भावों को एक्सप्रेस करते है जो कॉन्स्टीट्यूशन के अनुकूल नहीं है । इसलिये इस शब्द का आप भविष्य में प्रयोग न करें ।

(१.०० म.प.)

श्री सभापति (श्री केसरीसिह): यह तो माननीय सदस्य की व्यक्तिगत राय है, आपका मकसद इस शब्द से है, उसमें हीनता की कोई भावना नही है। इस विषय में बहस की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ): मैं पूछना चाहूंगा कि यह'शूद्र' शब्द कहां लिखा है ?

श्री सभापति : Order please !

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश में छोटे वर्गों को ऊंचा उठाना बहुत जरूरी है। जो माननीय सदस्य बार-बार आपत्ति कर रहे हैं····

श्री सभापति : बहुत संक्षिप्त में कहें, सिर्फ तीन-चार मिनट रहे हैं।

श्री रामकिशन : मुझे तो आधा घंटा हुआ नहीं····

श्री सभापति : १२-३५ पर बोलना शुरू किया और १-५ से ज्यादा टाइम नहीं दिया जायगा।

श्री रामकिशन : जब यह सर्वमान्य सत्य है कि वे मुनाफा जमीन पर लगान नहीं लगे; और देश का उत्पादन बढाया जाय तो जो लोग गद्दी पर बैठे हैं वे समाजवादी नहीं तो नकली समाजवादी तो है ही, समाजवाद की व्याख्या के अनुसार आवश्यक हो जाता है कि वे उत्पादन बढाने के लिये छोटे लोगों में उत्साह बढायें। जब तक देश में छोटे लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे उत्पादन नहीं बढ सकेगा।

मैंने स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ, कम्युनिस्ट्, पार्टी के घोषणा-पत्र का हवाला दिया है । करांची अधिवेशन से लेकर और ४८ तक कांग्रेस जिस प्रतिज्ञा को दोहराती रही उसका भी हवाला दिया है । ४८ तक सोशलिस्ट पार्टी भी जिसको कांग्रेस ने अपने अन्दर मान्यता दी थी, इस शर्त पर ही वह कांग्रेस में रही कि भूमि-सुधारों को जल्दी से जल्दी लागू किया जायगा। बडे लोगों से अधिक लगान लिया जा सकता है, इससे घाटे की पूर्ति होगी, फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है इससे घाटे की पूर्ति होगी, (केपिटल लेवी) पूंजी पर कर लगाया जा सकता है इससे भी घाटे की पूर्ति होगी लेकिन आज गांवों की आवाज को कोई नहीं सुनता । जो गांवों से आये हैं वे भी शहरों की हवा खाकर गांवों की आवाज को नहीं सुनते और आज गांव वाले जो हमारे जीवन के अटूट अंग हैं उनके लिये किये गये वचनों को सभी भंग कर रहे हैं।

तो आर्थिक दृष्टि से, उत्पादन को बढाने की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से और सब

(श्री रामकिशन)

राजनैतिक दलों के घोषणा-पत्रों को देखा जाय तो उस दृष्टि से भी छोटे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये उनसे ६ एकड से कम भूमि पर लगान नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा):

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :-
"अंक व शब्द '६ एकड' के स्थान पर "अंक व शब्द '१० एकड सिंचित भूमि' प्रतिस्थापित किये जांय तथा शब्द 'लिया जाय, के पश्चात् अंक व शब्द तथा '१० एकड से २० एकड तक सिंचित भूमि रखने वाले किसानों से आधा लगान लिया जाय' जोडे जांय"]

सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir. इस संकल्प के लिये एक घंटे का वक्त रखा है, ९ संशोधन हैं तो टाइम लिमिट करदें।

श्री सभापति : ५-५ मिनिट बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : ५ मिनिट से कुछ नहीं होगा। १५ मिनट की पहले व्यवस्था दे दी गई है····

श्री मुरलीधर व्यास : Point of order है। जब एक व्यवस्था हो चुकी है तो क्या उसे बार बार परिवर्तित कर सकते हैं?

श्री सभापति : वह समर्थन के लिये कहा था।

श्री मुरलीधर व्यास : डिप्टी स्पीकर की तरफ से व्यवस्था हुई है उसको आप कैसे बदल सकते हैं?

श्री विजयसिंह झाला : जो आपत्ति वापस ले रहे हैं तो बोलूं····

श्री सभापति : ५ मिनट बोलेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: १० मिनिट कर दीजिये।

श्री सभापति : संक्षेप में बोलें। Brevity is the soul of wit, and I am sure there is no dearth of it in this House.

श्री विजयसिंह झाला : इतने में तो मैं आधा बोल जाता। माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसमें संशोधन है, ६ से १० एकड सिंचित भूमि मानी जाय, इस पर लगान माफ कर दिया जाय, १० एकड से नीचे भूमि है उस पर आधा कर दिया जाय। क्योंकि ये सारे के सारे अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज माने जाते हैं। हमारे क्षेत्र में एक एकड पर कितना खर्चा होता है, कितनी आमदनी होती है इसका एक संक्षिप्त विवरण रखना चाहता हूं उससे स्पष्ट हो जायगा कि एक किसान को एक एकड पर किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। एक एकड पर २०७) रुपया खर्च होता है, मुझे दुख है कि ट्रेजरी बैंच पर ऐसे कोई मन्त्री नहीं है जो किसान हों, ऐसे मन्त्री होते जो किसान फैमिली से आते तो उनको मालूम होता कि एक एकड पर कितना खर्चा होता है। यदि भारतीय कान्स्टीट्यूशन में इस प्रकार का प्रावधान हो कि कोई भी मुख्य मन्त्री बनने से पहले एक महीना किसान का काम करे,

(श्री विजयसिंह झाला)
उसको किसान का काम करना पड़े तो पता चलेगा कि किस प्रकार सर्दी सहनी पडती है, किस प्रकार उसे दुख उठाने पडते हैं। जो स्टेटमेन्ट में यहां दे रहा हूं उसमें है:

जोताई ५ बार जो बोने के लिये करनी पडती है, ८ दिन उसे लगेंगे जिसमें उसके ३२) रुपये खर्च होंगे। पिलाई चार बार करनी पडेगी जिसमें ४८) रुपये एक दिन पिलाई का रखें उसमें १२) रुपया खर्च आता है एक पिलाई में। कटाई एक एकड के लिये ४ दिन में एक आदमी करेगा तो उसका खर्चा २०) रुपये, खलिहान वगैरह तैयार करने में ४६ रुपया तथा वापिस भूसा और धान तैयार करने में १६) रुपया, खाद के ३०) रुपये, लगान के १५ ,रुपये, इस प्रकार एक एकड पर किसान को २०७) रुपया खर्च पडता है। २० मन प्रति एकड प्रोडक्शन होता है तो ८ रुपया मन से भाव के १६० रुपया की आमदनी किसान को होती है, १०) रुपये का भूसा; यों १७०) रुपया एक एकड पर किसान को इन्कम होती है और २०७) रुपया खर्चा हो जाता है। इस तरह ३७) रुपया एक एकड पर उसको नुकसान होता है। मक्का उसके इस नुकसान की कुछ पूर्ति करती है एक एकड मक्का से खर्चा निकाल कर २२) रुपया लाभ किसान को होता है तो इस तरह २२) रुपया ३७) में से रिड्यूस कर देते हैं तो १५) रुपया सालाना नुकसान किसान को एक एकड पर होता है। इस नुकसान को मिटाने के लिये आवश्यक है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग की परिभाषा के आधार पर किसानों को लगान माफ कर दें।

गत सदन में अनइकोनोमिक होल्डिंग पर बहस हुई थी तो भूतपूर्व राजस्व-मन्त्री थे उन्होंने स्वीकार किया था कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज का लगान माफ कर देंगे। उन्होंने १-४-५८ को कहा है।

"मैं मानता हूं कि मैंने कहा था कि अनइकोनोमिक होल्डिंग पर जब वक्त आयेगा तब विचार करेंगे। मैं अब भी कहता हूं कि समय अनुकूल होगा उस वक्त इस पर विचार किया जा सकता है।"

मैं नहीं समझता कि एक मंत्री चले जाते हैं तो उसके साथ-साथ सरकार की नीति भी चली जाती है। वे इसलिए गये कि उन्होंने जो वायदा किया था उससे वे मुकर गये। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो नीति निर्धारित की है, सन् १९५५ में जब राजस्थान एक्ट पर बहस हो रही थी उस वक्त भी कहा गया था कि अनइकोनोमिक होल्डिंग पर लगान माफ कर दिया है, सन् १९५८ में भी श्री दामोदरलाल व्यास स्वयम् ने कहा था कि माफ कर देंगे, उसके बाद भी आपने कदम नहीं उठाया।

सभापति महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसानों पर जो खर्चा किया जा रहा है दर असल बजट में किसानों के लिए पैसा ही बहुत कम रखा गया है। मेरे पास सारे आंकड़े तैयार हैं। लेकिन मेरे पास समय कम होने से मैं उनको नहीं रख सकूंगा। आज आप जिस ढंग से खर्च कर रहे हैं उससे किसानों को सीधा फायदा नहीं होता है। सारा का सारा पैसा या तो अफसरों के ऊपर खर्च किया जाता है या बीच में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर खर्च किया जाता है।

कृषि-विभाग का जो खास आधार है उसके कुछ उदाहरण सामने रखूंगा।

(श्री विजयसिंह झाला)
सभापति महोदय, कृषि उत्पादन उपयोगिता एक योजना है उसमें बीज वितरण की योजना भी आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो किसानों के लिए बीज वितरण किया जाता है क्या वह सही रूप में अच्छा बीज होता है और सही समय पर पहुंच जाता है ? नहीं। पंचायत समितियों में या तो समय पर बीज नहीं पहुंचता है या फसल के बो देने के बाद ही बीज पहुंचता है। यदि उनकी कीमत का हिसाब लगाया जाय तो वे काफी ऊंची होती हैं और बाजार भाव से तो बहुत ही ऊंची होती हैं।

खाद वितरण से भी किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। हुआ होगा कहीं पर, लेकिन मैं तो मेरे क्षेत्र की कहता हूं। जमीन की सोइल टेस्ट नहीं हुई थी, सब ही जमीनों के लिए एक ही प्रकार का खाद काम में आ सकता है, यह कहना उपयुक्त नहीं है। किसी जमीन की सोइल उस खाद को मानती है और किसी जमीन की नहीं। जब आपने अनुसंधान शाला खोल रखी है तो क्यों नहीं गांव-गांव जाकर टेस्ट करते हैं। किसानों को खाद दिया उसका भी लाभ नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो दो मिनिट ही हुए होंगे।

श्री सभापति : पांच मिनिट हो गये।

श्री विजयसिंह झाला : पांच मिनट और रहते हैं।

श्री सभापति Please cut short

श्री विजयसिंह झाला : लघु सिंचाई के अन्तर्गत···

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो आपके सम्मुख लिस्ट है उनमें से दो-तीन माननीय सदस्य तो अनुपस्थित हैं, इसलिए उनका समय भी तो बच जायगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ऐसी बात नहीं है।

श्री सभापति : Yes please, continue

श्री विजयसिंह झाला : लघु सिंचाई के अन्तर्गत जो पैसा खर्च होता है और पंचायत समितियों के मार्फत खर्च होता है उसमें किसान से कितना श्रमदान लिया जाता है ? पंचायत समितियों के मार्फत लघु सिंचाई के लिए किसान से श्रमदान लिया जाता है·····

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, संकल्प तो यह है, "कि ६ एकड़ भूमि तक की खेती से लगान नहीं लिया जावे"; माननीय सदस्य बोल रहे हैं लघु सिंचाई के लिए। लघु सिंचाई यहा कहां आ गई ?

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह झाला : ३० प्रतिशत श्रमदान किसान नहीं दे सकता है।

(शोरगुल)

कृषि विभाग के अन्तर्गत जो योजना चल रही है उससे भी किसान को कोई राहत नहीं हुई। ७५ प्रतिशत लघु सिंचाई योजनायें अधूरी पड़ी है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय·····

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह झाला : यह तो माननीय सदस्य की आदत हो गई है ।

(शोरगुल)

श्री सभापति : Continue please

श्री किशनसिंह बाटड : आप क्या किसान हैं ? माननीय सदस्य किसान नहीं हैं और किसानों के प्रतिनिधि बनना बड़ा मुश्किल है । किसान होना बड़ा मुश्किल है ।

श्री सभापति : Order please !

श्री विजयसिंह झाला : भू-संरक्षण योजना चला रखी है । दरअसल किसान को कितना लाभ हुआ है इसमें कोई प्रावधान नहीं है । न अनुसंधानशाला इस प्रकार की है जो गांव-गांव जाकर सोइल टेस्ट करती है । आप डौर बन्दी या भेड़ बन्दी के लिए पैसा देते हो । मांग इतनी ज्यादा है और पैसा इतना कम देते हो कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है ।

पम्पिंग सेट्स व ट्रेक्टर्स के लिये भी आप लोन देते हैं । उस आदमी को देते हैं जिसके पास काफी अधिक जमीन है, छोटे आदमी अधिक आपकी इस स्कीम से कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं । उनका इसका कोई फायदा नहीं है । आपकी योजना के अन्तर्गत जितने भी किसान हैं उनको फायदा नहीं होता है ।

सन् १९५१ से लेकर आज तक का बजट देखें, किसानों के सम्बन्ध में करों में वृद्धि ही हुई है । लैंड रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, लैंड रजिस्ट्रेशन में, जिसका किसान से विशेष रूप से सम्बन्ध है, वृद्धि हुई है, एग्रीकलचर इन्कम टैक्स में भी वृद्धि हुई है । यहां तक कि ५१ से आज तक के आंकड़े देखें तो तिगुना फर्क हो गया है ।

इसके साथ-साथ किसान को अन्य संस्थाओं से भी संघर्ष करना पड़ता है । पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों को टैक्स देना पड़ता है और यदि पास में कोई नगरपालिका हो तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है । किसान को आज अधिक श्रमदान करना पड़ता है । इन्डाइरेक्ट टैक्सेज का भी किसान के ऊपर अधिक भार पड़ता है । मैं यह देखता हूं कि कम्पेरेटिवली किसान को कोई सुविधा नहीं दी गई है, इसके कारण किसान आगे नहीं आ सका ट्रेजरी बैन्चेज पर आज भी किसान की फेमिली में से कोई नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री) : बहुत किसान हैं ट्रेजरी बैन्चेज पर ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं है ।

अन्य माननीय सदस्य : है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय को बुलाया जाय; कृषि मंत्री को खास कर ।

श्री सभापति Order please

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह झाला : किसान होंगे जिनके पास हजार बीघा जमीन होगी ।

श्री सभापति : बजट की बातें होनी चाहियें ।

श्री विजयसिंह झाला : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है ।

Page No 55

श्री सभापति : आप अपने अमेन्डमेन्ट के ऊपर ही बोलें ।

श्री विजयसिंह झाला : बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं ।

श्री सभापति : आप सुनो मत । उनको भी निवेदन कर दिया है ।

श्री विजयसिंह झाला : किसान उन्नति के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है । शिक्षा को ही ले लीजिये । शिक्षा के माने में कितने किसान या कोई किसान है जो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सका है ? चुनावों को ही ले लीजिये । कितने किसान हैं जो विधान सभा के सदस्य हैं ?

जब बिजली का प्रश्न आया तो कहा गया कि गांवों के अन्दर किसान को भी बिजली दी जावेगी । आपकी योजना के अन्तर्गत कितने किसानों को बिजली मिली है ? एक स्कीम है । कुछ दिन पहले मैं विद्युत् मंत्रीजी के पास गया । एक डिमान्ड लेकर,एक गांव को बिजली देनी थी । जब उनके पास गया तो कहा कि कल आना । मैंने उनको वह प्रार्थना-पत्र दे दिया, मैंने उनको दूसरे दिन फोन किया, जवाब मिला कि चिट्ठी तो दफतर में रह गयी । चिट्ठी तो किसी के घर कोई मौत हो जाती है और मृत्युभोज करता है वह (व्यवधान) जो चिट्ठी जाती है उसको चिट्ठी कहते है । चिट्ठी तो मृत्युभोज की होती है । चिट्ठी समझ कर उसको मन्त्री महोदय फाड़ कर फैंक दें, इससे अधिक शर्म की क्या बात हो सकती है ।

(शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : चिट्ठी का मतलब है ख़त । उर्दू में उसको ख़त कहते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : आप डिमान्ड को चिट्ठी मान कर फाड़ कर फैंकदें जिसमें एक पंचायत समिति की एक तस्दीक थी । जिसमें कहा गया था कि बिजली लगाओ तो हम पांच हज़ार रुपया देने के लिए तैयार हैं । इस प्रकार से मांग की थी, उसको आप चिट्ठी समझ कर फैंकदें; फिर वह दिन दूर नहीं है कि इस कुर्सी पर आप अधिक दिन तक बैठ सकें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका सदन में विरोध किया गया था; एक बार नहीं, दो बार किया गया था । एक तो सन् ५५ में जब रेवेन्यू एक्ट पर विवाद हो रहा था और दूसरा १-४-५८ को ग़ैर सरकारी संकल्प रखा गया था । उस समय के विवाद को याद करें । नहीं तो, जिस प्रकार पहले के मिनिस्टर वादे की परवाह न करने वाले चले गये उसी प्रकार आप भी चले जाओगे ।

श्री सभापति : देखिये, समय १॥–१॥ घंटा एक-एक संकल्प पर रखा गया था । यह भी कहा गया था कि प्रस्तावक आधा-आधा घंटा बोलेंगे और जिनके अमेन्डमेन्ट्स हैं जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं उन पर पांच-पांच मिनिट बोल लें । इतने समय में यह सारा काम पूरा होना मुश्किल होगा । क्या सदन की यह इच्छा है कि दो ही रिज़ोल्यूशन लिये जायं क्योंकि तीसरे को रखने वाले हैं नहीं । जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनके बोलने का समय भी बढ़ा दिया जाय । दस-दस मिनट दे दिये जायं ।

अनेक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हम लोग भी बोलेंगे।

श्री सभापति : क्या मैं यह मानू कि समय १।। घंटे की अपेक्षा कुछ बढ़ा दिया जाय और संशोधन पर बोलने वालों को १० मिनट का समय दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : १५ मिनट का समय दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : १० मिनिट का समय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जिनका संशोधन है वे बोलेंगे । उसका विरोध करने के लिये भी हमें समय मिलना चाहिये।

(समय बढ़ाने की स्वीकृति)

श्री सभापति : वह मिलना मुश्किल है। गवर्नमेन्ट की ओर से जो रिप्लाई दिया जावेगा उनको भी समय देना है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सभापतिजी, मैंने, माननीय श्री रामकिशनजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा संशोधन यह है :

"शब्द '६ एकड तक' के पश्चात् तथा शब्द 'तक की खेती' के पहले शब्द 'नहरी तथा २५ एकड बिरानी' जोडे जायं।"

इसका खास मतलब यह है कि हमारे यहां की आठ करोड एकड जमीन में से ४० लाख एकड भूमि सिंचित है और दूसरी बारानी है। जितनी जमीन इसके अन्दर आनी चाहिये वह उसके अन्दर नहीं होती है। इसका अवश्य समाधान होना चाहिये। वे लोग तभी उठ सकेंगे।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह लगान कम क्यों किया जाय ? इस संबंध में हमें देखना यह होगा कि खेतीहर मजदूर और किसान को क्या हालत है, उसके संबंध में थोडे से नेशनल सेम्पल सर्वे के आंकडे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। खेतीहर मजदूरों के संबंध में नेशनल सेम्पल सर्वे का कहना यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर छः करोड खेतीहर मजदूर-किसान इस प्रकार के हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी ३१ न. पै. है और ४ करोड वे किसान हैं जिनकी आमदनी २५ न. पै. हैं और २ करोड वे किसान हैं जिनकी आमदनी १३ न. पै. हैं। यह आज हिन्दुस्तान के किसान की माली हालत है जो नेशनल सेम्पल सर्वे, जो कि भारत सरकार द्वारा बैठाया गया है उसकी रिपोर्ट के आधार पर है। अब आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में छोटे किसान की हालत क्या है। एक ओर माली हालत यह है और दूसरी ओर हमारी जो योजना है उस योजना के अन्तर्गत जो हमारी अवस्था है उसका नतीजा देख लीजिये । इस रिपोर्ट के अन्तर्गत तृतीय योजना के अन्त तक जो पैदावार होगी वह किस प्रकार से होगी । हमारा जो प्रोडक्शन होता है वह राष्ट्रीय आय को बढाने वाला होता है । उसी प्रकार जो किसान वर्ग है वह करीब ६०

(श्री मुरलीधर व्यास)

परसेण्ट आय राष्ट्रीय आय बढाता है यानी ६० प्रतिशत राष्ट्रीय आय उनके जरिये होती है। और जो राष्ट्रीय आय का बंटवारा बताया गया, किसान के लिये हम कितना खर्च करते हैं उस राष्ट्रीय आय के बंटवारे के संबंध में सबसे बडी जहां किसानों की आबादी है यानी ८० प्रतिशत किसान हैं, वहां किसान राष्ट्रीय आय को बढाने वाला है उसके हिस्से में राष्ट्रीय आय २७ प्रतिशत बंटवारा आता है । इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि देश का प्लानिंग कहां तक राष्ट्रीय आय बढाने वाला है और उस राष्ट्रीय आय में अधिकांश किसके पास जाता है । इस आय का ७५ प्रतिशत पूंजीपतियों के पास जाता है ।

दूसरी तरफ जो योजना के लिये पैसा आता है वह अधिकांश किसान वर्ग से आता है । इससे अन्दाज लगा सकते हैं आज किसान की माली हालत क्या है, उसको हम क्या दे रहे हैं और उससे हम क्या ले रहे हैं ? अभी तक के हिन्दुस्तान के इतिहास को देख लीजिये, अंग्रेजों के जमाने से लेकर १९३० और १९१८ तक का रेकार्ड देख लीजिये । उस समय हमारे देश की आय होती थी टेक्सों के जरिये ७५ प्रतिशत आय होती थी वह किसानों से होती थी । दूसरी आय कम होती थी शायद पहले दूसरे जरिये भी नहीं थे । उस समय जो लैन्ड रेवेन्यू से आय मानी गई थी वही आय थी, दूसरे साधन उस समय नहीं थे । उस समय जितनी लैन्ड रेवेन्यू से आमदनी थी आज भी उतनी ही है । धीरे धीरे जब दूसरी ओर से आय होने लगी तो लोग यह सोचने लगे कि लैन्ड रेवेन्यू में कमी होगी । हमारे देश के कर्णधारों ने सोचा, महात्मा गांधी ने सोचा और हिन्दुस्तान के बडे बडे लोगों ने मान्य किया था कि हिन्दुस्तान के किसान की जो माली हालत है उसमें बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । वह परिवर्तन लैन्ड रेवेन्यू जिनके पास जमीन आर्थिक जोत से कम है उन पर किसी प्रकार का लगान नहीं लगना चाहिये और इस तरह से कांग्रेस ने अपनी पौलिसी निर्धारित की । किसान और मजदूर आजादी की लडाई में लडने आगे आया लेकिन जब देश आजाद हुआ तब भी यह कहा जाने लगा कि अनार्थिक जोत पर लगान नहीं लिया जायगा । १५ अगस्त सन् १९४७ को देश आजाद हुआ । हमने सोचा हमारे यहां पर देश के किसान की हालत ठीक होगी लेकिन हालत ठीक नहीं हुई । उन प्रतिज्ञाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है ? इस संबंध में सोचना चाहिये । इस समय केन्द्रीय सरकार ने यह आज्ञा निकाली है कि किसान अपनी लैन्ड रेवेन्यू का ५० प्रतिशत कम्पलसरी बचत के रूप में सरकार को दे । ५० प्रतिशत लैन्ड रेवेन्यू है उसको कम्पलसरी बचत के रूप में लेना चाहते हैं यह मुरार जी देसाई द्वारा कहा गया है । यहां हमारे मंत्री महोदय कह गये कि २५ प्रतिशत लैण्ड रेवेन्यू में ज्यादा लिया जाय । तो यह सोचना चाहिये कि इस तरह से किसान पर कितना बोझ बढेगा । एक ओर किसान को १३ न. पै. प्रतिदिन की आमदनी है जिसको हम पूरी रोटी नहीं दे सकते दूसरी ओर यह स्थिति है और तीसरी ग्रोर इस प्रकार के भारी टैक्स । इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किसान की हालत क्या है ? इस पर आप कहेंगे कि यह लडाई का मौका है इस पर आप ऐसी बातें करते हैं । आपने सन् १९१८ का पहला महायुद्ध देखा होगा उसके बाद ४१ का महायुद्ध देखा

(श्री मुरलीधर व्यास)

होगा उस समय दूसरे सब-टैक्सेज बढ़े लेकिन लैन्ड रेवेन्यू में किसी प्रकार की भी बढोतरी नहीं की गई। आज किसान की हालत क्या है उसको देखते हुए लैन्ड रेवेन्यू में किसी प्रकार की भी बढोतरी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा तो यह प्रस्ताव है कि विधान के प्रति वफादार रहिये। दफा ३९ के माफिक आप समानता लाना चाहते हैं तो आखिर विषमता को दूर करने के लिये और समाजवाद की दिशा में सही माने में पैर रखने के लिये आखिर कुछ करना होगा। आप वह कदम नहीं उठावेंगे तो लाख कोशिश आप करिये, लाख कहते जाइये कि राजस्थान में हम सीलिंग करना चाहते हैं पर जब करने का अवसर आता है तो टाल जाते हैं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा आपके लिये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के संकट की आड लेकर उसका बहाना बनाकर आप इस प्रश्न को अगर टालते हैं तो आप कम से कम यह तो कहिये कि नीति के रूप में हम इसको मानते हैं।

एक संशोधन ऐसा भी आया है कि अप्रेल से लागू कर देना चाहिये। तो इसके सम्बन्ध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान में किसान की हालत बडी खराब है, यह मरूस्थल है। दो तीन साल से बार बार यहां अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो राजस्थान के ४५ लाख के आसपास किसान हैं ऐसे जिनके पास ६ एकड से कम जमीन हैं। उनको राहत देने का सवाल है। आप हमेशा और और तरीकों से उनको राहत देने की बात करते हैं तो इससे अच्छा तो मैं यह समझता हूं कि नीति के रूप में आप यह मान लीजिये कि छः एकड से कम वालों से लगान नहीं लेंगे। इससे जिस तरह से आप विकेन्द्रीकरण के लिये देश में नाम ले गये उसी तरह इसमें भी आप अग्रगण्य हो जावेंगे। इतना कहकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है शब्द "लगान के आगे शब्द "आधा" जोडा जाय] सभापति महोदय, हमारे देश को कृषि प्रधान देश मानते हुए काफी कुछ लिखा गया है। इसकी बहबूदी जितनी होगी उसके आधार पर राज्य की कुशलता आंकी जावेगी। जब हम सुबह उठते हैं तो रोजाना हमारे हाथ ईश्वर की इबादत के लिये एक साथ जुड जाते हैं और हमारी नजर आकाश की तरफ जाती है और ईश्वर से तसव्वर करते हैं कि हमारे भाग में ७५ नये पैसे खुल गये हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा दैनिक जीवन बारह आने पर आधारित है जो बहुत नीची इन्कम गिनी जाती है। मुझ से पूर्व वक्ता ने फीगर पेश किये, उनके फीगर को भी छोटा करते हुए केवल ७५ नये पैसे प्रति व्यक्ति भी आज हम काश्तकार की दैनिक आमदनी का अन्दाज लगावें और एक काश्तकार की फैमिली में चार मेम्बरों को मानकर चलें तो उसका एक्सपेन्डीचर कम से कम दो हजार साल का पहुंचता है। बैलों को भी साथ में लें क्योंकि बैलों की जोडी पर आधारित पार्टी के राज्य में बैलों पर ध्यान दिया जावेगा तो इनका एक वर्ष का ७०० के करीब खर्चा आता है तो अपने घर का और बैलों का जितना खर्चा किसान को साल भर में करना पडता है उतनी आमदनी उस ६ एकड से उसे साल भर में

(श्री अब्दुल जब्बार)

नहीं हो सकती। उसमें भी एक डेढ बीघा मुश्किल से पीवल होती है और बाकी बंजर तो इस प्रकार दोनों की आमदनी को इकट्ठा कर दिया जावे तो करीब करीब १२ सौ रुपये की आमदनी उसको होती है। अब इस पर भी कितने डंक लगे हुए हैं। जिस तरह से गेहूं में घुन लग जाता है उस तरह से ये डंक लग गये हैं। म्युनिसिपल एरिया में जब वह बेचने आता है अपना माल तो उसे आक्ट्राय टैक्स देना पडता है, टौल टैक्स उससे और ले लेते हैं मंडी कमेटी उनसे अपनी चुंगी अलग से ले लेती है, तोलने वाला, आढतिया दलाल आदि सब उसे नोंचते हैं और उसका पैसा उसकी जेब में आने से पहले कई किस्म के झटके उसको खाने पडते हैं। अब वहां से भी छूटकर आता है उसके बाद भी राज्य पर संकट आता है तो उसे कुछ देना पडता है, फौज में भर्ती होने के लिये सवाल आता है तो उसे हल करना पडता है क्योंकि ८० प्रतिशत जनता किसान है। तो यह तबका वह तबका है जो हमें जिन्दा रखने के लिये हमारी रीढ की हड्डी का काम देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी यह कमर झुके नहीं रीढ की हड्डी तनी रहे, मजबूत रहे तो हमें वास्तव में कुछ प्लानिंग करनी होगी केवल बातों और उनकी बहबूदी का नक्शा प्लान कागजों में अच्छे सुन्दर रूप उनको देकर शब्दों के आभूषणों से ओतप्रोत करके सामने लाते हैं जनता के तो उनकी वास्तविक हालत पर हमें गौर करना चाहिये।

काश्तकारों की दुर्दशा पहले सत्र में भी मैं अर्ज कर चुका हूं। आज आजादी के १४ साल के बाद में भी और हमारी कल्याणकारी राज्य की डींग मारने के बाद भी उस हमारे देश और प्रान्त की रीढ की हड्डी हम जिसे कहते हैं उसकी क्या हालत है इसका अन्दाज आज भी आप लगा सकते हैं उसके कपडों से। उसके फटे पुराने कपडों में कोई अन्तर नहीं आया है, उनको भी जब उतारा जावे उसके बदन पर से और उसका साफा भी उतारा जावे तो उनमें सैंकडों और हजारों की तादाद में आपको जूएं मिलेंगी। तो जिन काश्तकारों के कपडों में कीडे पाये जावें, कीडे पड जावें तो इससे बढ कर हमारे कल्याणकारी राज्य की क्या अफसोसनाक हालत हो सकती है। आज फिर उन्हीं पर लगान लेने के लिये पठानी तरीका इस्तैमाल किया जाता है। जैसे पेशावरी लोग कर्जा देकर डेढा दूना वसूल करते हैं वैसे ही सवाया डेढा इनसे वसूल किया जाता है। वैसी मिसालें बहुत सी हैं। अगर आप इसको मेरी बकवास समझते हों तो मैं इसके पक्ष में प्रमाण दे सकता हूं। तो सभापति महोदय, मैं इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि अगर वास्तव में हमें किसान को जिन्दा रखना है, उसकी तरक्की कुछ करनी है तो उनका जो चारों ओर से गला काटा जाता है उसे रोकिये सदन के सदस्य, जो उन ८० प्रतिशत किसानों के प्रतिनिधि माने जाते हैं उनको उनकी खुशहाली की तरफ ध्यान देना चाहिये।

एक तरफ हम नारे लगाते हैं अधिक अन्न उपजाने का किसान की बहबूदी में राज्य की बहबूदी है यह कह कर, पर सरकार, उनका गला काटती है।

दूसरी तरफ, 'सोने का भाव कम कर दिया जावे' का नारा सरकार लगाती है; पर असर इसका पडता है अनाज के भावों पर। अनाज के भाव कम हो जाते हैं। तो इससे

(श्री अब्दुलजब्बार)

भी किसान पिटा। सख्त से सख्त जमीन के अन्दर अपने फौलादी हाथों से हल चलाकर, जमीन के सीने को फाडकर जो दाना बोता है और बाद में भी कुदरत की खुशामद में अपनी नजर आसमान की तरफ लगाये रखता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान ! महरबानी करेंगे तो बरसात टाइम पर हो जावेगी, तो मेरी फसल ठीक हो जावेगी, वरना तो कोई चारा नहीं है, कोई उसका सहारा नहीं है सिवाय साहूकार के जो उसे कर्जा देगा खाने को साल भर तक जब तक कि दूसरी फसल की वह तैयारी करके ले नहीं ले। सरकार से भी कर्जा लेने की बात कहते हैं लोग। पर सरकार से कर्जा लेना दुनियां भर की तक्लीफों और झंझटों को न्यौता देना है। तो अगर उनके लिये किसी के सीने में दर्द है तो यह तय करना चाहिये कि छ: एकड से कम की जमीन पर लगान नहीं लेंगे। अगर यह भी नहीं कर सकें तो मैं आधे के लिये ही सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम छ: एकड पर लिये जाने वाले लगान का आधा कर दिया जावे तो उनको राहत मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं चार लाइनों में अपने भाव व्यक्त करके अपना आसन लेता हूं।

काश इमदाद की तूने कसी बेकस बेचारे की
और सखा बनकर दिया तूने
मुफलिस को गुजारे का
तसल्ली दी कभी तूने किसी
आफत के मारे को
और कभी तूने सहारा भी दिया है
किसी बेसहारे को।
आज बेसहारा किसान· · · · · ·

श्री सभापति: That will do.

श्री अब्दुलजब्बार यह कहते हुए सभापति महोदय, मैं अपना स्थान लेता हूं कि वास्तव में सदन को लगान की कमी पर जोर देना चाहिये, ताकि कौम की भावना किसान के के प्रति जागृत हो सके।

श्री सभापति: श्री विट्ठल। (अनुपस्थित)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है: अंक "६" के पश्चात् एवं एकड के पहले शब्द "स्टेन्डर्ड" जोडा जाय]। माननीय सभापति महोदय, रामकिशन जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसके अन्दर एक शब्द का मेरा संशोधन है और वह यह है कि जहां उन्होंने ६ एकड तक का लगान नहीं लेने की बात कही है उस ६ एकड के पहले मैंने सिर्फ "स्टेन्डर्ड" शब्द का और प्रयोग किया है। इस तरह से वह इस प्रकार होगा कि ६ स्टेन्डर्ड एकड तक की जमीन पर से लगान नहीं लेना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि आज इस सदन में इस प्रस्ताव को रखने की नौबत क्यों आई ? उसका एक सबसे बडा कारण यह है कि जिन सज्जनों के हाथ में आज सरकार है और जिस पार्टी के हाथ में आज सरकार है उस पार्टी ने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने के वक्त में किसानों और कृषि के बारे में जितने भी प्रस्ताव पास किये उन सारे प्रस्तावों को उठाकर देखा जाये तो मालूम होगा कि उन्होंने कहा है उस समय कि जब हमारा देश आजाद हो जायेगा, जब हमारी सरकार होगी उस समय किसान जो कि आज सब से ज्यादा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

शोषित वर्ग है उसकी तरक्की का काम हम करेंगे और यहां तक कहा था कि यह जो लोहे का हल चलाते हैं उसके बजाय सोने का बना देंगे। मैं इसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगपतियों के लिए आपने बनाई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आपने कहा कि हम काश्तकारों की उन्नति करने के लिए इस योजना में सबसे ज्यादा खर्च करेंगे और उन लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा देंगे। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, कुछ आंकडे रखना चाहता हूं जिनसे साबित हो जायेगा कि वास्तव में जो सरकार चलाने वाली पार्टी है जो नारे लगाती है कि हम भूमि सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए कानून बना रहे हैं उन लोगों ने किस तरह से इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरूआत में ही किसान लोग जो कि खेती करने वाले लोग हैं और जिनकी संख्या ७० प्रतिशत है उन लोगों के ऊपर किस तरह के नये नये टैक्सेज, नये नये भार इन लोगों ने उनके ऊपर डाले हैं उसकी तरफ मैं थोडा आपका और ट्रेजरी बेन्चेज में बैठने वाले हैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सबसे पहले जब कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर खास तौर से राजस्थान की बात मैं कहूं कि जिन तालाबों से एक रुपया प्रति बीघा पिलाई ली जाती थी आज की सरकार ने भूमि-सुधार के नाम से उन काश्तकारों के लिये १ रुपये के बजाय ४ रु० ६० न० पै० प्रति बीघा पिलाई की रेट करदी है। जिस ज़मीन के ऊपर कमान्ड एरिया पर १२ आने प्रति बीघा के हिसाब से लिया जाता था उसके बजाय ४ रु० ६० नये पैसे प्रति बीघा लेते हैं। यह आज के चार पांच महीने पहले रिवाइज्ड रेट्स करदी। इसके अलावा जो बैटरमेन्ट लेवी का क़ानून बनाया है उसकी तरफ़ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तरफ़ बैटरमेन्ट लेवी काश्तकारों से वसूल की जा रही है और दूसरी तरफ़ शहरों के अन्दर रहने वाले लोग हैं उनका जो बैटरमेन्ट हुआ है उनसे कोई बैटरमेन्ट लेवी जैसी चीज़ नहीं ली जाती है। किसान की दो आने प्रति बीघा की ज़मीन के जो ५०) रुपये प्रति बीघा के हो गये उसके ऊपर बैटरमेन्ट लेवी लगाते हुए हमारी ट्रेज़री बैन्चेज़ में बैठने वाले लोगों को क्यों तरस नहीं आता है? इसलिये कि वह ज्यादातर उस जगह के रहने वाले हैं जो कि शहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये किसानों पर तो टैक्स लगाने को तैयार हैं उनकी दिक्कतें बढ़ाने के लिये तो तैयार हैं लेकिन जहां लाखों रुपया बिना इनवेस्ट किये हुए लोग कमा रहे हैं उसकी तरफ़ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ़ मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि आज जो भू-राजस्व के ऊपर टैक्स लगाया गया अब तक पंचायत समिति रुपये पर ५ पैसा लगाती है अब आज सरकार २५ परसेन्ट, ३३ परसेन्ट और ४० परसेन्ट टैक्स लगायेगी और उन लोगों से वह पैसा वसूल किया जायेगा। दूसरी तरफ लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा दिया और उसके साथ साथ और दूसरे टैक्स बढ़ा दिये। अब आप स्वयं ही देख लीजिये कि किसान के ऊपर कितना भार बढ़ा है? तो जहां कि यह कह देते हैं कि भूमि सुधार कर रहे हैं। यह उसका नमूना है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दूसरी तरफ सभापति महोदय, हम यहां पर हर रोज़ बहस के दौरान सुनते हैं कि किस तरह से काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। गंगानगर जिले की बात लीजिए। रात दिन ये बातें आती हैं कि जागीरदारों को ज़मीनें दी जा रही हैं, ज़मींदारों को ज़मीनें दी जा रही हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं इनको हज़ारों और सैंकड़ों बीघा ज़मीन दी जा रही हैं, सेठ-साहूकारों को दी जा रही है। एक सेठ पूसालाल मानसिंह है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ८०० बीघा ज़मीन दे दी गयी इसलिए कि वह शुगर फैक्ट्री लगायेगा। आज वह उससे हज़ारों रुपया कमा रहा है, ज़मीन में एक गन्ना भी पैदा नहीं होता है और वह हज़ारों रुपये की आमदनी कर रहा है, लेकिन सरकार ने जिन शर्तों पर ज़मीन दी वह पूरी न होने के बावजूद भी सरकार उससे ज़मीन लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह से और भी कितने ही केसेज हैं। नाथानी ब्रॉदर्स को लीजिए . . .

श्री सभापति : I think, the hon. member is speaking beside the point.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : No, S r.

श्री सभापति : Yes, Sir.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह उसी पाइन्ट के ऊपर है कि आज काश्तकारों पर कितना लगान होना चाहिये और 'कितना माफ़ होना चाहिये। एक तरफ़ तो लगान बढ़ाया जा रहा है। आज पचास तरह के टैक्सेज़ ऐसे लगा रखे हैं कि जिनका वज़न किसानों के ऊपर पड़ता है। अगर एक बार कह दिया जाये कि एक नये पैसे के बजाय १४ या १५ नये पैसे का टैक्स लगेगा तो वह भी वह दे दे लेकिन सरकार ने अलग अलग तरीक़ों से उनके ऊपर टैक्स लगा रखा है और उसी की तरफ़ मैं माननीय सभापति महोदय, का और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जितना भी अनाज किसान पैदा करता है उसकी कीमत की तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ उद्योग-पतियों को हम पचास तरह की सुविधायें देते हैं लेकिन किसानों को सुविधायें देने के बजाय हम उन पर तरह तरह के टैक्स लगाते हैं। एक साल पहले मक्का का भाव १४ रुपये था और वही भाव आज ६।। रुपये है। गन्ने का भाव १ रु० ५ आना मन था, जहां जलाने की लकड़ी का भाव २।। रुपये मन है। तो जो किसान पैदा करता है उसकी क़ीमत कितनी कम है और इस तरफ़ सरकार कोई ध्यान नहीं देती।

जिस प्रकार की शिकायत इस प्रस्ताव में की गयी है कि उन लोगों से लगान नहीं लेना चाहिए जो कि ६ स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि में खेती करते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि जिन लोगों की आमदनी इतनी भी नहीं होती कि वह अपने बच्चों को ठीक तरह से कपड़े पहना सकें, अपने बच्चों को दवा दिला सकें, उनकी पढ़ाई करवा सकें अगर इतना सब कुछ भी नहीं मिलता तो उनसे लगान किस बात का लिया जाये जब कि शहरों में रहने वाले लोग व्यापारी लोगों को कई प्रकार की छूट दी हुई है कि तीन हज़ार तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्या वजह है कि उनसे यह टैक्स लिया जाये? इसीलिये कहा गया है कि जब समाजवादी कहलाने वाली सरकार एक तरफ़ तो लोगों को छूट देती है और दूसरी तरफ़ पैसे बटोरने में लगी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हुई है तो साफ़ जाहिर है कि यह उन लोगों के साथ सरासर अन्याय है। यदि हम समाजवाद कायम करना चाहते हैं तो समानता रखनी चाहिए। जो अमीर और उद्योगपति हैं उनको तो आप नाइलोन की फ़ैक्टरी खोलने के लिए २ पैसे यूनिट बिजली देते हैं अगर कसान किसी तरह की छूट चाहेगा तो उसको छूट नहीं दी जायगी, उसको लूटा जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार की बातें होती हैं हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त है। मैं अभी दो मिनट में कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

हमने जब यह प्रस्ताव रखा है कि उप-मत्री भी कम कर दिये जायं उस वक्त कितना सदन में द्वंद हुआ कितने बड़े बड़े सिद्धान्तों की बातें कही गई थीं। यहां बैठने से पहले हम साथ साथ फिरते थे, घूमते थे और कचहरियों में चलते थे, मैं माननीय सभापति महोदय, उनसे कहना चाहता हूं कि आज भी वही किसान है जो आज से २० साल पहिले हिन्दुस्तान में था। हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद उसकी हालत ख़राब हुई है, अच्छी नहीं हुई है। उस पर टैक्स बढ़ा है, लगान बढ़ा है उसके बैलों का भाव बढ़ा है। और उसके साथ ज्यादतियां ज्यादा हुई हैं। अगर इस प्रकार की सरकार की हमने कल्पना २० साल पहिले गुलामी के अन्दर जब हम लड़ रहे थे-की थी तो हिन्दुस्तान को ऐसी आज़ादी नहीं चाहिये। वास्तव में महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान में कहा था कि हमारे किसान और मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। उनको अच्छा बनाना चाहिये। टैक्स उन पर लगाया जाय जो पैसे वाले हैं, तो हिन्दुस्तान ऊपर उठने वाला है इसलिये माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी को मैं याद दिलाना चाहता हूं जब कि वे हमारे प्रजामन्डल की प्लानिंग कमेटी के मेम्बर थे· · · ·

श्री सभापति : This is certainly beside the point

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उस वक्त उन्होंने कहा था कि ६ स्टेन्डर्ड, बीघा ज़मीन वाले लोगों से लगान नहीं लेंगे। और आज लगान बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : ये भी हमारे साथ जेल में थे लेकिन बाद में चले आये। अगर ये कहते हैं तो कोई बात नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कुछ दिन ही क्यों? आपकी सरकार में भी ६ दफा जेल में रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ऐसे कारनामें किये थे।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है, अंक '६' के स्थान पर "१५" प्रतिस्थापित किया जाय] मेरे पूर्व वक्ता श्री रामकिशनजी ने प्रस्ताव रखा है कि उसके अन्दर है माफ़ होना चाहिये ६ एकड़, किन्तु मैं चाहता हूं कि ६ एकड़ के स्थान पर १५ एकड़ होना चाहिये। उसका ख़ास कारण यह है कि देश में जब आज़ादी आई तो आज़ादी आने के पश्चात् हमारे

(श्री जोधसिंह)

किसान लोग यह सोचा करते थे कि देश में आज़ादी आई है तो हमको कुछ राहत मिलेगी हम भी कुछ अपना पेट ज्यादा अच्छी तरह से भर सकेंगे। आराम से कपड़ा पहन सकेंगे आराम से पैसा देख सकेंगे लेकिन उसके सपने झूठे निकले। हमारे कांग्रेसी भाई जो हमारे यहां पर बैठे हुए हैं उनके बड़े भाई पहले यह कहते थे, वे यहां सन् ४२ में कहा करते थे कि देश में आज़ादी आयेगी तो किसानों को हासिल छोड़ देंगे। जो जागीरदार लोग किसानों को तंग करते हैं और उनके ऊपर जो हासिल लगा रखा है वह माफ़ कर देंगे। तुम्हारे लिये सोने की पिरानी बनायेंगे जो बैलों को घेरने की चीज़ होती है उसको सोने का बनायेंगे। वे सारे सपने झूठे होगये। न अब वे यहां पर मौजूद हैं और न किसानों को राहत पहुंची है, इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हमारे ऊपर जो बैठने वाले लोग हैं वे यहां पर इस बात को मन्जूर नहीं करते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में ज़मीन रहे। वे चाहते हैं कि वह ज़मीन सहकारी खेती के लिये छोड़ कर चले जांय और नौकरी करने लगें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब चीन में सहकारी खेती आई उस समय क्या हुआ? सहकारी खेती आने लगी तो भूमि में अनाज कम उत्पन्न होने लगा और उनकी ज़मीनें ले ली गईं। इसलिये उस तरह से सहकारी खेती हमारी सरकार हमारे ऊपर लाद देना चाहती है। सहकारी खेती के अन्दर किसानों को पूरा अनाज नहीं मिलेगा। जब उनको पूरी क़ीमत नहीं मिलेगी उस वक्त में क्या होगा? वह सोचेगा कि अपनी ज़मीन सहकारी खेती में दे दो और उस ज़मीन के अन्दर मज़दूरी करो ताकि प्रतिदिन रुपया डेढ़ रुपया मिल जायगा। इस तरह लालच में आकर वह ज़मीन खो देगा, सरकार की यह नीति मालूम होती है कि छोटे किसान को इस प्रकार से लालच देकर सहकारी खेती के लिये ज़मीन छुड़ाना चाहते हैं। उसे आसामी बनाना चाहते हैं उसे मालिक के पद से हटाना चाहते हैं। जनता में भ्रम पैदा होता है। इस प्रकार की उनकी नीति है।

थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र गिरवां का उदाहरण, जहां का मैं रहने वाला हूं दूं। वह आदिवासी क्षेत्र है। गांवों में आप जाकर देखिये कि कितने आदमी वहां रहते हैं। एक गांव में १०० बीघा ज़मीन भी ऐसी नहीं होगी जिसके अन्दर इर्रीगेशन कर सके। वहां पहाड़ की घाटियां होती हैं और एक आदिवासी के पास मुश्किल से ३-४ बीघा ज़मीन होती है उसमें एक बीघा जमीन भी पीवत नहीं होती है। सारी ज़मीन पहाड़ों पर होती है जिन्हें आदमी बोकर चला आता है तो एक बीघा में मुश्किल से मन डेढ़ मन मक्का पैदा होती है। इस प्रकार वहां दरिद्र किसान हैं, भूखे किसान हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, वापरने को मनी नहीं है। इस प्रकार वे सारे दुःखी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जो दुःखी हैं उन्हें अधिक दुःखी बनाना चाहते हैं। उन ग़रीब किसानों को आज की ग़रीबी हालत में देखना चाहते हैं।

आज हमारे यहां बड़े कारख़ाने खुलते हैं तो उन किसानों को जो ग़रीब होते हैं उनको कारख़ानों को ज़मीन देने के लिये कहते हैं कि बिलकुल कम रेट पर दो : हम कहते

(श्री जोधसिंह)
हैं कि इनको भी समान दो, ईक्विटी को समझते हुए दो। लेकिन ग़रीब किसान आज हमारे यहां ४८ फ़ीसदी आदमी उनके हाथों में अपना पेट देकर बैठे हैं। उनका निवेदन है, उनकी आवाज़ है, उनकी पुकार है कि हमको राहत पहुंचाओ। हमको इस प्रकार जो हम कम आमदनी वाले हैं उनको १५ एकड़ पर हासिल माफ़ करो जिससे हम भी दूसरे आदमियों की बराबरी कर सकें। आज एक मामूली चपरासी होता है उसकी हालत एक किसान से बड़ी अच्छी होती है। आज एक चपरासी गांव में जाता है तो साफ़ कपड़े पहन कर जाता है। किसान लोग सोचते हैं कि मालिक आगया है। वे सोचते हैं कि चपरासी के बच्चों को दूध पीने को मिलता है, अच्छा कपड़ा पहिनने को मिलता है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन हमारे बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, कपड़े नहीं पहना सकते हैं, हमको कोई सुविधा नहीं है। वे अपने आप महसूस करने लगे हैं कि क्या होगया? देश में आज़ादी आई है और हम लोगों को इस प्रकार कष्ट भुगतने पड़े हैं। किसान इस प्रकार का आन्दोलन करने को तैयार हैं। पंचायत ने हासिल बढ़ाया है, उसके बाद में सरकार ३० से ५० प्रतिशत तक उनके ऊपर टैक्स लादने जा रही है। मैं नहीं समझता कि जब ऐसी हालत है किसानों की तो अब आगे क्या हालत होगी? मैं सोचता हूं कि किसानों की संख्या ज्यादा है और ८० प्रतिशत भारवतर्ष में किसानों को राहत पहुंचाने के लिये १५ एकड़ भूमि तक छूट होनी चाहिये जिससे कि वे आराम से अपने पेट का पालन कर सकें और दूसरों के साथ बैठ सकें तो बराबर आज़ादी होगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

अंक और शब्द "६ एकड़" के स्थान पर "१० एकड़ नहरी व तीस एकड़ बारानी" सब्स्टीट्यूट कर दिया जावे।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रामकिशन जी ने जो संकल्प रखा है उसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि ६ एकड़ के बजाय १० एकड़ नहरी और ३० एकड़ बारानी जमीन पर कोई लगान नहीं लिया जाय।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम ६ एकड़ ज़मीन तक पर भी लगान को माफ़ करें तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि यह मांग और यह प्रश्न कितने लोगों से सम्बन्धित है? राजस्थान में ३० लाख लोगों से इस प्रश्न का सम्बन्ध है। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जिसमें कि आंकड़े दे रखे हैं कि १० एकड़ के अन्दर के होल्डिंग्स कितने हैं? इस बात को उसकी रिपोर्ट के पेज ४८ पर यह दे रखा है कि १० एकड़ के नीचे तक कई लोगों की होल्डिंग्स हैं उनका नम्बर १७,८४,००० है और उसमें ६३,५१,००० एकड़ ज़मीन आती है। ये आंकड़े ५७-५८ के हैं और चूंकि ६२-६३ के लेटेस्ट आंकड़े नहीं हैं तो यह समझ लें कि १० एकड़ में कुछ वृद्धि हुई होगी और होल्डिंग्स में तो यह मान सकते हैं कि १७ लाख के बजाय होल्डिंग्स २० लाख होंगे और ६३,५६,००० एकड़ के बजाय कम से कम २० लाख एकड़ भूमि ज्यादा आती है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्थान की ग्रामदनी का जहां तक प्रश्न है हमारे वित्त मन्त्रीजी कहेंगे कि ८० लाख एकड़ ज़मीन की जोतें माफ़ करेंगे तो कितने करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इस स्टेट में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जायगा। जहां तक राजस्थान की ग्रामदनी का प्रश्न है, राजस्थान की ग्रामदनी ८,८०,००,०००) रुपये है जो कि ३,५७,००,००० एकड़ भूमि से लिये जाते हैं। उस हिसाब से लगाकर देखना पड़ता है; तो एक एकड़ पर सवा दो रुपये लगान यानी लैण्ड रेवेन्यू या राजस्व के पड़ते हैं। यदि हम यह मानलें कि ८० लाख एकड़ भूमि ली जाती है जिसको माफ़ करदें तो हमें १,६०,००,०००) रुपयों का नुक़सान होगा जिसमें १० एकड़ तक की ज़मीन माफ़ हो जाती है।

(२ म. प.)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन २० लाख आदमियों की स्थिति क्या है हमें इस बात की ओर भी तवज्जोह देनी चाहिये। प्रश्न इस बात का नहीं है कि १ करोड ६० लाख का नुकसान होता है या माननीय श्री रामकिशनजी के प्रस्ताव के अनुसार १ करोड का नुकसान है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि सिद्धान्त क्या है? हमें सिद्धान्त की ओर देखना है। देश में नशाबन्दी करने का सिद्धान्त तय किया था हम नशाबन्दी करेंगे क्योंकि नशा बरबादी की निशानी है इसलिए नशा चालू न रहे यह सिद्धान्त का प्रश्न था इसलिये राजस्व का नुकसान करते हुए भी इस प्रश्न को हाथ में लिया। इसी तरह आज राजस्व की आमदनी से भी अधिक महत्वपूर्ण बात हम यह समझते हैं कि इस मांग के पीछे सिद्धान्त क्या है? उसी के आधार पर जवाब देना चाहिये रेवेन्यू के नुकसान के आधार पर नहीं। आज २० लाख किसान राजस्थान की पूरी आबादी का दसवां हिस्सा हैं जिनके पास १० एकड से अधिक जमीन नहीं है। आज हमारे देश में एक नागरिक की औसत आमदनी २८५ रुपये निश्चित की है और १० एकड जमीन वाले आदमी की आमदनी २०० रुपयों से भी नीची है और उसके परिवार में यदि ५ व्यक्ति हैं तो उसके पूरे परिवार की सालाना औसत आमदनी १००० से भी नीची बैठती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस शहर में रहने वाले प्रत्येक आदमी को जिसकी आमदनी ३ हजार रुपयों से नीची है उसको टैक्स देने से छूट है। और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अभी जो नयी घोषणा की है उसमें भी १,५०० रु० से नीचे की आमदनी वाले लोगों को कम्पलसरी सेविंग से मुक्त किया है, उन पर कम्पलसरी सेविंग्ज लागू नहीं किया गया है, तो क्या वजह है कि जिनकी औसत ग्रामदनी एक परिवार की १,००० रु० सालाना है उन पर ग्राप क्यों बोझ डालना चाहते हैं?

इसके अलावा लैण्ड रेवेन्यू से सरकार की आमदनी में जितनी इन्क्रीज हुई है किसी टैक्स से उतनी नहीं हुई है। राजस्व की आमदनी तीन गुनी बढ गई है। पहले राजस्व से ३ करोड १७ लाख की ग्रामदनी थी सन् ५१-५२ में उसके बजाय ८ करोड ८४ लाख की आमदनी हो गई ६१-६२ में। इसके अलावा सैल्स टैक्स को देखिये उसमें कितनी वृद्धि हुई है स्टेट एक्साइज में ३ करोड ३१ लाख की जगह ४ करोड ९३ लाख हुई है सवा गुणा वृद्धि हुई है। सैल्स टैक्स ४ करोड २९ लाख

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की जगह ५ करोड ९४ लाख की आमदनी हुई है, यह भी सवा गुणा वृद्धि हुई है जब कि राजस्व में ढाई तीन गुणा वृद्धि हुई है.....

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द): यह वृद्धि जागीर रिजेम्पशन की वजह से हुई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके मंत्री-जी को और आप सब को मौका मिलेगा स्पष्टीकरण करने का।

उन २० लाख ग्रादमियों की ग्रामदनी कितनी है यह देखना होगा। सिर्फ़ यह देखने से काम नहीं चलेगा कि उनसे लगान नहीं लिया जायगा तो कितनी हानि हो जायगी। चाहे रामकिशनजी के ग्रनुसार १ करोड़ की हानि होती है उसमें से २० परसेन्ट प्रशासनिक खर्चा कम करदें तो ८० लाख की हानि को बर्दाश्त करना चाहिये ग्रौर २० लाख ग्रादमी जिनकी ग्राज़ादी का ग्राप ढोल पीट रहे हैं उनको यह महसूस होने देना चाहिये कि उनके घर में ग्रौर उनके खेत में ग्राज़ादी ग्राई है, वे इस बात को महसूस करने लगेंगे तभी यह समझा जासकेगा कि उनके लिये भी ग्राज़ादी ग्राई है। केवल भाषाणों के ज़रिये ग्रादर्श बताने से या कहने से ग्राज़ादी नहीं ग्राजाती है बल्कि उसको क्रियान्वित करने से हालत को महसूस किया जाता है। सारे हिन्दुस्तान में १५० करोड़ रुपये राजस्व से वसूल किये जाते हैं। यदि मुरारजी भाई २ करोड़ ७० लाख रुपयों का टैक्स इस वर्ष लगा सकते हैं तो क्या राजस्थान में ३ करोड़ का लगान माफ़ नहीं किया जा सकता? या कम नहीं किया जा सकता? लेकिन क्योंकि इस सदन को विश्वास नहीं है। यह बात नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती या इको-नोमिक व फ़ाइनेन्शियल रीज़न्स से नहीं कर सकती लेकिन मैं यह मान सकता हूं कि उसमें विश्वास नहीं है। इसलिये जिनकी ग्रामदनी बहुत कम है उनको छूट करनी चाहिये, एग्ज़ेम्पशन देना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप यह नहीं देखें कि ८० लाख रुपयों का नुक्सान होगा। जो कल्चरेबल लैंड वेस्ट पड़ी है जिसकी तादाद स्टेटिसटिकल एक्ट्रेक्ट के ग्रनुसार ६६ लाख एकड़ है जो खेती के योग्य है लेकिन उसमें खेती नहीं होती। यदि ग्राप उस ६६ लाख एकड़ में से १० एकड़ होल्डिंग के बराबर के टुकड़े कर के किसानों को देंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी ग्रौर वे ७० लाख एकड़ ज़मीन को नौतोड़ करके खेती करेंगे तो उपज में वृद्धि होगी। ग्राज हम ग्रनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि यदि ग्रनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो २० लाख लोगों में नयी चेतना लानी होगी, नया विश्वास लाना होगा। उनको इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि उनका राजस्व माफ़ कर दिया है ग्रौर इसके साथ ही साथ ग्रनाज के उत्पादन में सहायता दी जायगी क्योंकि देश संकट के सामने खड़ा है, शत्रु का मुक़ाबला करना है। इसके लिये ग्रार्थिक रीज़न्स नहीं ढूंढें। ग्रभी वित्त मन्त्रीजी ४।। करोड़ रुपयों के टैक्स लगा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वे १ करोड़ रुपयों के दूसरे ग्रौर कर लगाकर २० लाख लोगों को राहत दिला सकते हैं। उनको लगान से एग्ज़ेम्पशन दिया जाना चाहिये। यह सिद्धान्त के तौर पर भी वाजिब है ग्राज़ादी के समय भी उनसे वादा किया था ग्रौर ग्रार्थिक कारण भी ऐसे हैं जिसकी वजह से एग्ज़ेम्पशन देना चाहिये।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
यह नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरी तरफ़ वित्त मन्त्रीजी घोषणा करते हैं २५ परसेन्ट लगान बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा केन्द्रीय वित्त मन्त्रीजी यह कहते हैं कि ५० परसेन्ट राजस्व का कम्पल्सरी सेविंग्ज़ में देना पड़ेगा। अब अन्दाज लगाइये ५० परसेन्ट सेविंग में देना पड़ेगा और २५ परसेन्ट सरचार्ज बढ़ेगा इस तरह से कुल मिला कर ७५ परसेन्ट देना पड़ेगा खेती बाड़ी करने वालों को।

कृषि मन्त्रीजी आगये हैं वे कहेंगे कि पर एकड़ यील्ड बढ़ी है। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि सरकार ने सन् ६१ में आंकड़े प्रकाशित किये हैं उनमें राजस्थान की पर एकड़ यील्ड गेहूं की बताई है, चने की बताई है, मेज और चावल की बताई है उसके अनुसार गेहूं की यील्ड घट रही है, चावल की यील्ड घट रही है, मेज की यील्ड घट रही है। यही नहीं, बल्कि खेती के आंकड़े भी घट रहे हैं। यील्ड किस प्रकार से घट रही है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं सन् ५५-५६ में १३ लाख एकड़ भूमि में मेज बोया गया था जिससे ५ लाख २३००० टन मेज का उत्पादन हुआ था और ५६-६० में १४,६३,००० एकड़ ज़मीन में ५,१२,००० टन का उत्पादन हुआ था। ज़मीन बढ़ गई लेकिन उत्पादन घट गया। ५५-५६ के मुक़ाबले में उत्पादन कम होगया।

इसी प्रकार गेहूं को ले लीजिये ५५-५६ में ९.२४ लाख एकड़ में ६ लाख टन गेहूं पैदा हुआ और ५६-६० में ३० लाख एकड़ में १० लाख टन गेहूं पैदा हुवा। कहने का मतलब यह कि ज़मीन तो सवा गुना बढ़ गई है लेकिन यील्ड सवा गुना नहीं बढ़ी। इसी प्रकार चावल को ले लीजिये। ५५-५६ में १,६६,००० एकड़ ज़मीन में चावल की खेती हुई उसमें ८५,००० टन चावल पैदा हुआ। ५६-६० में २,४६,००० एकड़ ज़मीन में १ लाख १४ हज़ार टन चावल उत्पन्न हुआ। डेढ़ गुणा ज़मीन बढ़ गई लेकिन उपज नीचे चली गई। दूसरे अनाज के उत्पादन के लिये जमीन तो बढ़ गई लेकिन उत्पादन सवा गुणा नहीं बढ़ा। उत्पादन ५५-५६ से और नीचा चला गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अनाज का उत्पादन राजस्थान में कम होता जारहा है। इसके साथ ही साथ यहां जो आंकड़े रखे गये उसमें जो पर केपिटा फिगर्स ५१ और ६१ के सेन्सस का मुकाबला करें तो ५१ में जो ०.८४ था वह ६१ में ०.७४ रह गया। प्रति व्यक्ति सिर्फ पौन एकड जमीन का टुकडा जोत के नीचे है। हम चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति जोत के नीचे ज्यादा जमीन हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दस एकड तक जमीन पर राजस्व बिल्कुल माफ होना चाहिये तभी बीस लाख व्यक्ति सत्तर लाख एकड, बेकार पडी हुई जमीन को जोत के नीचे लेंगे और देश का उत्पादन बढायेंगे। आपको जो राजस्व की एक करोड की हानि होगी, उससे ज्यादा टैक्स द्वारा नहीं बल्कि उत्पादन में वृद्धि करके, धन में वृद्धि करके ये लोग उसका मुआवजा चुकायेंगे।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :

शब्द "खेती से" के पश्चात तथा लगान के पहले अंक और शब्द "१ अप्रेल १९६३ से" जोडा जाय]

माननीय सभापति महोदय, आज जो संकल्प सदन के समक्ष विचारार्थ है, मैं उसका समर्थन

(श्री केदारनाथ)

करता हूं अपनी इस मान्यता के साथ कि हमारी आर्थिक जोत के बारे में अपने अपने ख्याल हैं। मेरी समझ में यह आता है कि यह चीज अपने अपने इलाके की चीज है, यह सोइल पर डिपेन्ड करती है और क्लाइमेट पर डिपेन्ड करती है और इसी तरह से वहां पर प्रोडक्शन होता है। यदि हम उन रिपोर्टस के बारे में बात करें, जो हमारे देश में कमीशन और कमेटी ने दी, यदि हम सैकंड लेबर इन्क्वायरी कमेटी की बिना पर बात करें, और तीसरे जो श्री जय प्रकाश का सर्वेक्षण दल था, उस दल ने जो रिकमन्डेशन्स दीं, उसकी बिना पर बात करें, तो मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर, लेबर और उन लोगों की, जो छः एकड से कम जमीन के मालिक हैं, आर्थिक हालत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं यह हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि इन लोगों की आमदनी पिछले दस-बारह सालों में ११ परसेन्ट से ३० परसेन्ट तक कम हुई है। दरअसल यह उस रिपोर्ट में है कि इन्कम कम हुई है। ये सरकारी रिपोर्ट ही नहीं बल्कि उनकी रिपोर्ट हैं जो इकोनोमिक्स के अपने को स्टूडेन्ट कहते हैं, जो इकोनोमिक्स के मास्टर हैं। मैं कहता हूं कि यह हमारा फर्ज है कि इस सम्बन्ध में विचार करें और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स आप किस तरह से करना चाहते हैं, क्या असर आप कायम करना चाहते हैं रूरल इकोनोमी पर। मैं समझता हूं कि जब हम राजस्थान लैंड रिफार्म्स की बात कहते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि उनका जमीन और जमीन पर काश्त करने वालों पर असर नहीं होता है।

वैसे मैं मानता हूं कि राजस्थान के लैण्ड रिफ़ॉर्म्स हैं, वे दूसरे स्टेट्स के लैण्ड रिफ़ॉर्म्स से प्रोग्रेसिव है। मैंने पिछले सात आठ सालों के आंकड़े देखे हैं कि राजस्व विभाग से जो लैण्ड रिफ़ॉर्म्स किये गये हैं उनका किन लोगों पर असर पड़ा है, कितनों को फ़ायदा पहुंचेगा और जो चेन्जेज़ आप लाना चाहते हैं, रूरल इकोनोमी में और जो स्ट्रक्चर में चेन्जेज़ आप चाहते हैं प्रोपर्टी के बारे में, उनसे क्या असर होगा? तो इस बात को मानना पड़ेगा इसके बारे में कि राजस्थान के लैण्ड लॉर्ड्स् ने, जागीरदारों ने किसी ने किसी रूप में रंग बदल कर फ़ायदा उठाया है। इससे आपकी पार्टी का थिंकिंग क्लीयर है। यह बात कि सरकार हुकूमत करना चाहती है। उस हालत में हम लैण्ड रिफ़ॉर्म्स के द्वारा जो देहातों में अलग अलग सैक्शन्स हैं, अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो अलग अलग इन्कम थीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में जो फ़र्क़ था, उसको सरकार मिटा नहीं सकी है। बल्कि मिटाने के बजाय वह फ़र्क़ बढा है। और इससे लैण्ड रिफॉर्म्स का मक़सद डिफीट हो जाता है। मेरा निवेदन है कि दरअसल दस बारह सालों में यह फ़र्क़ कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। इसके साथ साथ पंचायत राज्य बनाने में आपकी मान्यता है, आपकी ये पायस विसेज (Pious wishes) थीं कि गांवों में जाकर रूरल लीडरशिप पैदा करदें, जिससे लोगों में दिलचस्पी और उत्साह पैदा हो। मैं समझता हूं कि ऐसे सैक्शन को जो छः एकड़ से कम ज़मीन का मालिक है, को ऐसा अवसर नहीं दे पाये हैं। आप यह देखें कि पिछले सालों में पंच, सरपंच और प्रधान कौन बनते हैं? तहसील समिति के प्रधान बनते हैं, जिला परिषद् के प्रधान बनते हैं, उनमें कौन लोग हैं? मैं समझता हूं कि उनमें वे ही लोग मिलेंगे जो समाज पर हावी रहे हैं, जिनके पास आर्थिक

(श्री केदारनाथ)

साधन हैं और उन्होंने अपने साधन और पर्सनल इफ़ेक्ट्स (Personal effects) से अधिक प्रतिष्ठा क़ायम की है और उन्हीं के हाथों में पंचायत जैसी चीज़ रही है। मैं संविधान की बात नहीं कहता, लेकिन प्रोफ़ेसर मलकानी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गांवों की लीडरशिप अंग्रेज़ुअली जागीरदार, लैण्ड लॉर्ड आदि के पास हैं जो नये रूप में आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिए कि लैण्ड रिफ़ार्म्स होने के बाद जो असर होना चाहिए, जो अफ़ेक्ट होना चाहिये, रूरल इकानामी पर अफ़ेक्ट होना चाहिये वह नहीं डाल पाते हैं।

(२.१५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

इस एमर्जेन्सी के अन्दर जो 'अधिक अन्न उपजाओ' का नारा है, 'खेत की पैदावार बढ़ाओ' का नारा है, 'ज्यादा प्रोडक्शन' का नारा है, यह तब तक सफ़ल नहीं हो सकता है जब तक कि पिछड़े वर्ग को राहत नहीं मिलेगी। और यह आवश्यक है, उनमें प्रेरणा पैदा करने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए और रूरल लीडरशिप पैदा करने के लिए ताकि पंचायत राज्य की जड़ें मज़बूत हों और सहकारिता की भावना पनप पाये। इन सब चीजों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को मन्ज़ूर कर लेना चाहिये इससे वाकई लोगों को राहत ज्यादा पहुंचेगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल पहले हमारे इलाक़े में सहूलियत दी थी कि जिन लोगों के पास दस बारह बीघे से कम ज़मीन है, उनकी कमी की पूर्ति की जाय। वह कमी की पूर्ति करने की सहूलियत थी, वह, आज तक उन्हें नहीं मिल पाई। इसका नतीजा हम आज देखते हैं कि पांच सात साल से जिनके पास छः एकड़ से कम ज़मीन थी, वे या तो उसे छोड़ कर चले गये हैं, या उसे गिरवी रख दिया है और उसको बेच कर चले गये हैं। यह चीज़ हमारे सामने होती है कि थोड़ी ज़मीन के मालिक अपनी ज़मीन को बेच कर या गिरवी रख कर रोज़ दूसरे धन्धे में जाकर नई शक्ल अख़्तियार कर रहे हैं। यह समस्या आज हमें हर इलाक़े में मिलेगी, हर प्रान्त में मिलेगी और सारे हिन्दुस्तान में मिलेगी। अगर इसको चैक नहीं किया तो हिन्दुस्तान के उत्पादन पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको मिसाल दे दूं, कि जिन लोगों को १९४७ में ज़मीन दी थी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (Displaced Persons) को, वह एक फ़ैमिली में पांच मेम्बर के हिसाब से बटवारा हुआ था। अगर एक फ़ैमिली में पांच मेम्बर हैं तो एक square (मुरब्बा) के हिसाब से ज़मीन दी गई और अगर कम हैं तो आधे के हिसाब से दी गई है। उनकी रिपोर्ट मांगी थी तो मालूम हुआ कि उनमें से तीस परसेन्ट ने अपनी ज़मीनें बेचदी हैं, या बेची नहीं हैं तो मॉर्टगेज करदी हैं क्योंकि वह इकॉनॉमिक होल्डिंग नहीं हैं और यह सम्भव नहीं है कि दो बैल रखकर, अपने हाथ से काम करने वाले हैं, वे हाथ से काम करके खेती बढ़ा सकें और यह मुश्किल है कि वे अपनी ज़िन्दगी को बसर कर सकें। मैं समझता हूं कि अंग्रेज़ी में एक लब्ज़ है When he lives below the subsistence level, sub human level.

उस पर आप लगान लगायें, टैक्स लगायें तो

(श्री केदारनाथ)

यह अलग बात है। उस से आज जमीन की क़ीमत वसूल की जारही है हमारे इलाक़े में। दस साल के बाद तक़ावी वसूल की जा रही है जो सरकार ने उनको बसने के लिये दी थी। आज भाखरा क्षेत्र में यही हालत है, गंग केनाल क्षेत्र में यही हालत है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छः एकड़ जमीन पर जो लगान लिया जाय, यह मामूली बात है, इसको आप छोड़ दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आंकड़े पेश किये गये हैं, उन आंकड़ों में ज्यादा न जाते हुए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर घंटी की तरफ़ इशारा दे रहे हैं, इसलिये मैं उससे पहले ही अपनी बात समाप्त करदूं।

अंत में इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए, पंचायत राज्य की जड़ें मजबूत करने की बात को ध्यान में रखते हुए, सोशलिस्टिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमिक समानता के उसूल को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि जितना पैसा इस इमरजेन्सी में लेबर क्लास ने दिया है, जिस तरह से लेबर क्लास ने रिस्पोन्स किया है हमारी सरकार को छः एकड़ पर लगान माफ़ करने का इनीशियेटिव लेना चाहिये, ताकि सारे हिन्दुस्तान के लिए नई चीज पैदा हो। आज स्थिति यह है कि आज जिसके पास दो एकड़ से कम जमीन है उसको भी लगान देना पड़ता है। हाउस के मेम्बर हैं वे इस चीज को जानते हैं कि जिसके पास एक एकड़ से कम जमीन है उसको भी लगान देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि छः एकड़, दस एकड़ की बात को मत मानिये, लेकिन कोई ऐसा स्टेन्डर्ड तय करके इस चीज को कर दीजिये कि कम जमीन वालों को लगान से छूट मिल जाय और आप कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक़, अपनी पार्टी के मेनीफ़ेस्टो के मुताबिक़ इनको कुछ राहत पहुंचा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द।

(अनुपस्थित)

अब सरकार की ओर से उत्तर होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज जिस प्रकार की चर्चा होरही है इधर हम लोग जो बैठे हुए हैं, यह भाषण सुन कर हमारे मन में भी इच्छा हो रही थी कि तुरन्त इस पर 'हां' करदी जावे तो इसमें क्या ऐतराज है। भावनाओं की दृष्टि से मैं समझता हूं कि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वालों के बीच में यह कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है कि किसानों को राहत मिले और उसको नहीं देनी चाहिये, यह बात नहीं है। असल में देखने की बात यह है कि इस बारे में जो परिस्थितियां आज हैं और जो हम चाहते हैं कि आगे आज की परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए हम देश के निर्माण के लिये करना चाहते हैं इस बात को सोच कर किसी निर्णय पर पहुंचे। सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करदूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पिछले १० वर्षों में २॥ गुणा लगान की आमदनी बढ़ गई है यह सही नहीं है। जो पहले लैन्ड रेवेन्यू १९५१-५२ में दिखाई गई है उसमें जागीर इलाकों से होने वाली आमदनी का समावेश

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

नहीं है और इसकी वजह से जो खालसा एरिया गवर्नमेन्ट का एरिया कहलाता था उसकी आमदनी इसमें दिखाई गई है और अब स्वभाविक तौर से जो आमदनी दिखलाई जाती है वह जागीरदारी इलाकों की और इसके साथ साथ नई जमीन काश्त में और आई है उसको मिलाकर यह फीगर्स सामने आते हैं। इसलिये लैण्ड रेवेन्यू की पहले जो कीमत थी वह किसानों पर २।। गुणा हो गई यह प्रश्न नहीं है। बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, यह सबको विदित है कि राजस्थान में जो कुछ पिछले वर्षों में हुआ है और लैण्ड रिफार्म्स के आधार पर जो कार्यवाही हुई है जिसका जिक्र यहां किया गया था कि भूमि सुधार को ध्यान में रखते हुए हम कदम उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि लैण्ड रिफार्म्स के बारे में प्लानिंग कमीशन ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में और दूसरी पंच वर्षीय योजना में पूरी तरह से कल्पना की है उसका हवाला उन्होंने प्लान में जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें दिया है। उसमें राजस्थान में जो कदम उठाये जाने संभव थे और आगे उठाने हैं उसकी तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान रहा है और रहेगा। यह मान कर चलेंगे।

एक प्रश्न यह उठता है कि पहले से किसी प्रश्न को नहीं देख सके। अगर हम आज से २० वर्ष पहले की गांवों की स्थिति को आधार मान कर चलें तो मैं यह कहूंगा कि हम नहीं कर सकते और हमारे सोचने का आधार है वह वही नहीं रहता। वह बदल जाता है और हम दूसरा आधार मान कर चलें कि पहले किसानों को सिवाय लगान देने के और कोई चारा नहीं था और वे अपनी उन्नति करने की कोशिश नहीं कर सकते थे। उनके पास सिवाय लगान देने के दूसरा कोई चारा नहीं था। कोई जरिया उन्नति करने का नहीं था। जिस समय वे पैदा करते थे उस समय उसका लगान वसूल करने के लिये किसानों के पास गवर्नमेन्ट की तरफ से या जागीरदार की तरफ से आदमी आजाता और लगान ले जाता। उसके बीच में कोई भूमि सुधार का प्रबन्ध सरकार की तरफ से या जागीरदार की तरफ से नहीं था। इसलिये एक जमाना था कि जो कुछ किसान पैदा करता था उसकी कीमत उसको क्या मिलती थी और अब अन्नाभाव के कारण क्या कीमत मिलती है? उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरी पंच वर्षीय योजना में डेवलपमेन्ट, उद्योग और बिजली व सिंचाई की योजनाओं के जरिये देश में परिवर्तन हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि एक जमाने में किसान अपनी पैदावार को मक्की को २) रुपये मन में बेचता था उनके भावों और आज के भावों में कितना अन्तर है। हमें इसको सामने रख कर चलना होगा। आज किसानों के लड़के पढ़ कर दो पैसा पैदा अलग से करते हैं और किसान जिस जमीन पर खेती करता है उस जमीन से उसको पूरा नहीं पड़ता है। आज उसको और भी बहुत सी सहूलियतें देने के लिये बैंक आदि हैं जो लोन-टर्म लोन देते हैं इस तरह से सारे प्रश्नों को जब हम सामने रख कर चलते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह भाषण जो यहां दिया गया है वह चुनावों के समय में भाषण होते हैं वैसा है। चुनावों के सम्बन्ध में भी किसान लोग अब अच्छी तरह से जानते हैं और किसान भी अब इस चीज को समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं?

श्री रामकिशन (वैर) : आप भी जिस तरह से हम लोग चुनाव भाषण देते हैं उसी तरह से चुनावों के भाषण का सा जवाब देते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप इसमें यह शब्द और बढा दीजिये कि हम भी वैसा ही जवाब देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप तो यहां पर किस प्रकार इकोनोमी का असर पडता है उसके सम्बन्ध में जानते हैं। हम यह उम्मीद करके चलते हैं कि आप उस पर विस्तार से जानते हुए चलते हैं इसलिये इन प्रश्नों को उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये थी।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी के लिये प्रश्न करना है। मैंने आपको आंकडे दिये हैं। आप भावावेश में न बहें। आप आंकडों का जवाब आकडों से दें, भावना से न दें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज जितना ६ एकड या ४ एकड या १० एकड भूमि का सवाल है, सिद्धान्त: और उपदेश के तौर पर हम लोग खुद इस बात को मानते हैं कि हमें इकोनोमी किस प्रकार ले कर चलना है कि जो बात आज आप कहते हैं उससे आगे चलें और कोई ऐसा जमाना आए कि लैण्ड रेवेन्यू को इनकम टैक्स में लाना पडे। हम यह चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि आज हमें जिन चीजों की आवश्यकता है उनको पूरा करना है और एक एक पद पर हमें खर्चे की आवश्यकता होती है। स्कूलें खोलने का सवाल है और दूसरे डेवलपमेन्ट करने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे बजट को देखेंगे तो उसको देखने से मालूम होगा कि जहां हमारी लैण्ड रेवेन्यू की इन्कम थी वही है और स्टेशनरी रही है। हमारी टोटल रेवेन्यू इन्कम स्टेटों की थी वह टैक्सेशन की नहीं। अब सब धीरे धीरे बढती जारही है। इसके अलावा ऐसी स्टेट में जहां इन्डस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेन्ट की नींव पड रही है जिस समय हमारी इकोनोमी ठीक हो जावेगी तो कोई यह नहीं चाहेगा कि जिस व्यक्ति की शक्ति नहीं है उस पर कोई भार डाला जावे। आज हम इस बात को मान कर चलते हैं कि वजन डालना पडता है वह मजबूरी से डालना पडता है। आप प्रस्ताव प्रस्तुत करके खुश हो सकते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम उसको मन्जूर नहीं कर सकते क्योंकि मन्जूर करने के बाद हम जो विकास का नक्शा लेकर चलते हैं कि हमें जनरल इकोनोमी को डेवलप करना है वह पूरा नहीं होता। उनका इशारा रूस की तरफ था। मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे साम्यवादी देश हो, जिस राष्ट्र में सारे कारखाने सरकार की तरफ से चलते हैं। जमीन सारी सरकार की है। क्या किसी राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा कष्ट उठा कर डेवलपमेन्ट व प्रोग्रेस नहीं करनी पडती है? सब को मुसीबत उठा कर अपने देश में डेवलपमेन्ट करना पडता है। कोई भी व्यवस्था हो; उसका मूल आधार यही रहा है। आज डैमोक्रेसी में हम यह चाहते हैं कि जिस पर ज्यादा वजन डाल सकते हैं उस पर डाला जाय। आपने देखा होगा कि ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी पर ज्यादा टैक्स बढाया है। सेन्टर ने भी अपने दायरे को कम किया है। इसलिये जिस दायरे में होकर हम निकल रहे हैं उसमें थोडा बहुत वजन सब पर आता है। इसको देख कर चलना पडता

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि बहुत से व्यक्तियों को इधर उधर जाने का काम पडता है और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश गरीब है और हमें इस गरीबी को दूर करना चाहिये और करना चाहते हैं।

हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी है, उसको दूर करना है; पर साथ ही यह स्वीकार करना चाहिये कि पहले और आज के बीच में जमीन आसमान का अन्तर हुआ है, यह सारी बातें देखते हुए आज हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं। जो आपने ६ एकड के बारे में प्रस्ताव रखा कि इसे भूमि कर से अलग करदें, मैंने यह निवेदन किया कि अभी इस मौके पर थोडे अलग अलग वर्गों पर बोझा डाल कर आगे हमारी पंच वर्षीय योजनाओं को, दूसरे ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिये चलना चाहते हैं, इस लिये इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

यह कहा गया कि भूमि की जोताई डेढ गुना, सवा गुना हो गई पर उत्पादन उस मात्रा में नहीं बढा है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक समझाऊं कि सवाई डेढी जोताई होने से एक दम उत्पादन बढे यह बात नहीं है, उसमें मार्जिनल लैण्ड, डेजर्ट एरिया, पहाडी एरिया, फरटाइल एरिया कितना है, इन सबको देखना है, आंकडे जहां हम गाइडेंन्स, जानकारी देते हैं, वहां विस्तार में जाने पर ही सही स्थिति पर पहुंच सकते हैं, बहुत से नये एरिया में पानी पहुंचता है, प्रोडक्शन शुरू होता है तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ज्यादा होता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ठंठल, पत्थर दूर करने में वर्षों लग जाते हैं। अलग अलग परिस्थिति है। पहली बार पानी आता है वहां भी समतल होने में समय लगता है मैं नहीं कहता कि सभी जमीनें ऐसी होती हैं, कई जमीनें ऐसी भी होंगी जहां पहली बार पानी मिले तो ज्यादा उत्पादन हो सकता है, पर ज्यादा लैण्ड सब मार्जिनल, पथरीली होती हैं . . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट आफ एक्स्प्लेनेशन, सर, यह तो स्वीकार करिये कि जितने आंकडे सरकार के हैं उनके अनुसार भी पर एकड ईल्ड घट रही है न?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पर एकड ईल्ड घटने वाले प्रश्न को भी इस मानें में लेना होगा कि अगर पहले सिंगल ग्रुप एरिया था, डबल क्रोप एरिया हो गया है तो आंकडे वाइज बढा या नहीं, सब मार्जिनल एरिया कितना बढा, इन सारी चीजों में अन्तर है, जो खुद में एक प्रश्न है, इस पर विचार करना होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या कृषि विभाग के पास ये आंकडे हैं, या आप अन्दाज से ही फरमा रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मन्त्री) हमने आंकडे एग्रीकल्चर डायरी में दिये उसके आधार पर हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वही आंकडे हमनें रक्खे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनमें सब का पर एकड ईल्ड नहीं घट रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हम राजस्थान के अन्दर इस वक्त, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा इकोनोमी करें, वेस्टेज को रोकें, इस रूप में सुझाव आयेंगे उन पर सरकार पूरा गौर करेगी और अगर कोई बचत होती है तो उसको प्लान के अन्दर ही लगाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि इन्कम कम करें; क्योंकि राजस्थान में तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, आगे बढ सकें इस बात की आवश्यकता है।

इस वास्ते यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसको स्वीकार करने में मजबूरी है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि राजस्थान में तेजी के साथ आगे बढने के लिये हमें हमारे साधनों को जो भी हम उपलब्ध कर सकें उनका प्रयोग करें, इसको देखते हुए मैं समझता हूं माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उस पर दो तरह के सुझाव आये हैं। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह चाहा है कि जोत की सीमा बढा दी जाय और सरकारी पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह प्रस्ताव मानने का है पर व्यवहारिक नहीं है इसलिये इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अभी नहीं कर सकते।

श्री रामकिशन: तो इस सूरत में जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनसे निवेदन कर दूं कि ६ एकड की जोत को ही प्लानिंग कमिश्न ने अन-इकोनोमिक होल्डिंग माना है। डाबरियाजी ने जो स्टेन्डर्ड एकड का सुझाव रखा है उसे इसलिये स्वीकार करता हूं कि राजस्थान भूमि निर्धारण कानून में भी १० मन गेहूं उत्पादन जिसमें हो, उसे स्टेन्डर्ड एकड माना है।

बाकी सुझाव रखे हैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक प्लानिंग कमिशन ने इसे ही मान्यता दी है, और हिन्दुस्थान के विकास के लिये अभी हमें साधनों की जरूरत होगी इसलिये यह ६ स्टेन्डर्ड एकड का ही अन-इकोनोमिक होल्डिंग मान कर इसे कर मुक्त रखा जाय, यही ठीक है।

जहां तक मुख्य मंत्रीजी की बात है उसका जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही उनकी सारी बातों का निराकरण कर दिया था; परन्तु मुश्किल यह है कि उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि किसान की पैदावार बढी है, पहले दो रुपये मन अनाज बिकता था आज क्या भाव बिकता है, तो मैं पूछता हूं कि आज से १०-१५ साल पहले कपडा, सीमेंट, लोहे का क्या भाव था। दो रुपये मन की चीज १२ रुपये मन बिकने लगी, पर जो कपडा छः पैसे गज बिकता था वह आज एक रुपये दो आना, सवा रुपया गज तक बिकने लगा है, कितना बडा अन्तर है ? उसकी आमदनी बढी पर सब मिल मालिकों के पास चली गई। प्रोफेसर महालोनोबिस की रिपोर्ट छपी है, उन्होंने कहा है कि जो भी किसानों की आमदनी बढी सब पूंजीपतियों के पास चली गई।

(श्री रामकिशन)

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहले जागीरदारियां थीं, उनको किसी तरह की सुविधा नहीं थीं, अब हमने इनको सुविधाएं दी हैं। १५ साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ५) रुपया प्रति व्यक्ति सालाना टैक्स की रेट पडती थी अब योजना आयोग ने रिपोर्ट छापी है सन् ५४ में, उन्होंने बताया है कि जो किसान गांवों में रहते हैं उन पर १८ रुपये तक टैक्स चला गया है।

तो मुख्य मंत्रीजी तथ्यों से बात करते, तो प्रश्न होता। क्योंकि यहां भावना से काम नहीं चल सकता, जहां तक भावना का सवाल है, कांग्रेस का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अनार्थिक जोत को कर मुक्त करना नहीं चाहता हो·········

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

अगली बात सुनिये फिर ताली बजाइये।

पर उनमें साहस का नितान्त अभाव है। उनका देहली वाला नेतृत्व साहसहीन है तो राज्यों का नेतृत्व हमेशा साहसहीन ही रहेगा। साहस के अभाव के कारण उन्होंने कहा कि यह अव्यवहारिक है। करांची सैशन में इस तरह का प्रस्ताव किया था जवाहरलाल नेहरू ने, आप नेहरू साहब से पूछिये बम्बई योजना बनाई, ४८ में सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई तब कहा कि अनार्थिक जोत पर लगान नहीं लगना चाहिये। तो या तो प्रधान मंत्री पहले गलत थे या यूं कहिये कि आज गलत हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : वह तो आपको साथ लेने के लिये कह दिया था।

श्री रामकिशन : इस वक्त कहा जाता है कि चीन का संकट है, मैं समझता हूं कि इस समय तो ऐसा करना और भी जरूरी है दूसरों से ही सीखिये। जब स्वेज पर हमला हो रहा था, मिश्र युद्ध से घिरा हुआ था तो १५ दिन पहले ही नासिर साहब ने ऐसी जोत पर से जिनसे लाभ नहीं होता था, लगान हटाया था, हिम्मत से बर्मा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अभी आर्थिक जोत से लगान उठाया है, तो मुख्य मंत्रीजो भी तथ्यों से बात करते और साहस का परिचय देते तो ठीक था।

राज्य का बजट है ६६ करोड़ का। उन्होंने कहा बजट के समय सुझाव देंगे। एक नहीं पचास सुझाव दूंगा। चेम्बर में चलें तो आप आज भी मान जावेंगे यदि मैं आपको कहूंगा तो। लेकिन मुश्किल यह है कि आप में साहस कैसे लावें। आपमें साहस की बड़ी कमी है। राजस्थान का विकास करना चाहते हैं वह बात मुख्य मंत्रीजी भी बार बार कहते हैं। वे हमसे वरिष्ट हैं, उनकी सेवायें हमसे अधिक हो सकती हैं, वे राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो हम भी राजस्थान का विनाश नहीं करना चाहते हैं, हम भी राजस्थान का विकास ही करना चाहते हैं, बार बार यह कहा जाता है कि हम तो राजस्थान का विकास करना चाहते हैं जैसा विकास हो रहा यह हम भी देख रहे हैं। वे जेलों में रहे हैं हम भी उनसे अधिक जेलों में रहे हैं। वे तो नेहरूजी की जेल में नहीं रहे होंगे हम तो आपकी सुखाडिया साहब की जेल में भी रहे हैं, माउन्टबेटन साहब की जेल में भी और नेहरूजी की जेल में भी। मैंने आपको आर्थिक स्थिति के बारे में कहा था। मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रोफेसर दांतवाला हैं उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट पेश की है जिसके अन्दर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जिनके पास अनार्थिक जोत है आज उन पर

(श्री रामकिशन)

चालीस करोड़ रुपयों का कर्जा है । अगर लगान हटा दिया जाय तो उनके पास बचत हो सकती है । ९ वर्ष के अन्दर वह बगैर सरकार की सहायता के अपना कर्जा अदा कर देंगे । अगर आपने उनके ऊपर से यह अनार्थिक जोत का टैक्स नहीं हटाया तो आज जो उनके ऊपर ४० करोड़ का कर्जा है; ४० करोड़ रु. के कर्जे का व्याज दस वर्ष के बाद ४० करोड का पड जायगा । वह कहते हैं कि हम तो विकास करना चाहते हैं, उनको इस बात का भ्रम है कि आज जिस प्रकार से वह चल रहे हैं उससे विकास हो जायगा उनका विकास होना तो दूर रहा विकास तो क्या होगा बल्कि उन पर और अधिक कर्जा बढ़ जायगा । नयी पूंजी कहां से आवेगी । छोटे २ लोगों की स्थिति का सवाल है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तर्क दियें हैं उनसे न तो मैं प्रभावित हुआ हूं और न ही मेरे दल के लोग प्रभावित हुए हैं। शासक पार्टी के लोग भी नहीं लेकिन उन लोगों का तो हां में हां करने का ही काम है । इतना उनके मन में जरूर हैं कि सच्ची बात कही जा रही है । मन तो उनका भी मानता है । लेकिन मजबूर हैं । यदि उनको भी कोई भ्रम है तो मैं कहूंगा कि वह चेम्बर में रिपोर्ट लेकर बैठें, आंकडे इकट्ठे करके देखें तो उनको भी सारा काम का स्पष्ट हो जावेगा । भ्रम मिट जायागा ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि प्रशासन में पैसा खर्च कर रहे हैं । बम्बई में अर्थशास्त्रियों की ४५ वीं कान्फ्रेंस हुई । माने हुए अर्थशास्त्रियों ने उसमें भाग लिया प्रोफेसर सान्याल, प्रोफेसर गाडगिल । उन्होंने राय दी कि २५ परसेन्ट प्रशासन के खर्च में कमी की जा सकती है, ८ अरब रुपया बचाया जा सकता है । अच्छी बातों को तो आप सुनते ही नहीं हैं, फुरसत भी नहीं है । तर्क देते हैं तो सुनते नहीं हैं और न ही तर्क का जबाब दिया जाता है । वे तो कहते हैं कि ये तो चुनाव की बातें करते हैं । अब भी यही बात करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, दस वर्ष सरकार चलाने के बाद हम आपसे यह उम्मीद करते थे कि आप कोई तथ्य की बात तो कहेंगे। अर्थ शास्त्रियों ने जो तर्क दिये हैं, जो बातें बतायीं उनका भी आपके पास कोई जवाब नहीं। दर असल आप में कहने का साहस ही नहीं हैं। आप उनको अव्यवहारिक कह कर नहीं टाल सकते। पहले आप नेहरूजी से एक बार फैसला करालें कि वे अपनी कौनसी बात रखना चाहते हैं। पहले कही वह या जिसे हम कह रहे हैं वह अव्यवहारिक है अव्यवहारिक हम नहीं हैं । आप सदन से अपनी बातों को पास कराना चाहते हैं और खास कर उन कांग्रेस के सदस्यों से जो हरिजन हैं, शूद्र हैं· · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 'शूद्र' शब्द कैसे कहा ? उनको शोभा नहीं देता।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : 'शूद्र' शब्द आपके साथ बडा चिपक गया है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कानून और कॉन्स्टीट्यूशन की दृष्टि से जिस हिकारत की दृष्टि से इन शब्दों का प्रयोग किया है वह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री रामकिशन : यहां जो पूंजी के मालिक हैं और धनिक हैं, बडे लोग हैं उनको अपना हाथ उठा कर बता दें· · · ·

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां हाथ उठाया नहीं जाता।

श्री रामकिशन : आप उठाने नहीं देते हैं जब वे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। वे असली चीज को जानते हैं लेकिन आप उनको रोकते हैं।

(व्यवधान)

वित्त मन्त्री महोदय ने टैक्स लगाये। उत्तर प्रदेश में ८ एकड भूमि तक टैक्स छोड दिये हैं। पहले वे भी लगाना चाहते थे लेकिन कांग्रेस के करीब १५ परसेन्ट गरीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका तीव्र विरोध किया और दबाव डाला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको मान लिया और आठ एकड अनार्थिक जोत पर टैक्स नहीं लगाया है और इसको छोड दिया। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ८ एकड का अनार्थिक जोत माना है। इसलिये खास कर दबे हुए लोग हैं जो अल्प संख्यक जाति के लोग बैठे हैं जिनके पास जमीन की कमी है और जो उन लोगों की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी मनोभावना भी यही है कि ६ एकड अनार्थिक जोत पर कोई कर न लगे वे अपनी पार्टी की सरकार को दबायेंगे कि यह नहीं होना चाहिये इस प्रकार अनार्थिक जोत पर कोई कर नहीं लगना चाहिये वे अपनी सरकार को दबाव देकर मनवायेंगे क्योंकि यह अन्धेर खाता होने जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन ! आप प्रेस कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : मैंने खुद ने कभी वापिस लिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पहले अमेन्डमेन्ट्स विथड्रॉ कराये जांय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रस्ताव रख दीजिये, अपने आप खत्म हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह व्यवस्था के खिलाफ होगा इस तरह कट शोर्ट करना। सब प्रस्तावों के लिए एक व्यवस्था काम में आनी चाहिए। इस प्रकार से सदन की परम्परा को नहीं बदला जाना चाहिये। मेरी यह प्रार्थना है कि कट मोशन्स के विथड्रावल हमेशा जिस तरह होते हैं उसी तरह से हों।

श्री भैरोंसिंह : आपको इतना ही नहीं मालूम है कि कट मोशन्स हैं या प्रस्ताव हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप आड में शिकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : मुझे अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिट्ठल।

(अनुपस्थित)

श्री उमराव सिंह :

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं भी अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन : केदारनाथजी का संशोधन मैं मन्जूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द।

(अनुपस्थित)

क्या यह सदन की मन्शा है कि संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(सभी उपरोक्त माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लिये)।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामकिशन ने रखा है उसे पारित किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री रामकिशन : नहीं साहब 'हां' पक्ष जीता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सीक्रेट बैलट करवा लिया जाय। 'हां' पक्ष जीता।

(मत-विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : पुनः प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रामकिशन ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री रामकिशन : 'हां' पक्ष जीता। खड़े होकर ही वोट करवा लिये जांय, इसमें ही हमें तसल्ली है।

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले खड़े होने की कृपा करें।

अब 'ना' पक्ष वाले खड़े होने की कृपा करें।

'ना' पक्ष अधिक है।

प्रस्ताव गिर गया।

सोना नियन्त्रण कानून के कारण सोने का कार्य करने वाले स्वर्णकारों सम्बन्धी गैर-सरकारी संकल्प

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"इस सदन की सम्मति है कि भारत सरकार के सोना नियन्त्रण कानून के कारण सोने के कार्य करने वाले स्वर्णकारों में फैली हुई बेकारी को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार तुरन्त उचित कार्यवाही करे"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उस प्रस्ताव के संबंध में सरकारी पक्ष की ओर से मैं आशा करके चलता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भावना व्यक्त की गई है उसको सरकारी पक्ष भी स्वीकार करता है।

(श्री भैरोंसिंह)

यह जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव का अगर हम कुछ विश्लेषण करें तो उसमें सबसे पहले हमें कुछ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत सरकार द्वारा सोने की नीति के सम्बन्ध में जो कानून बनाया और जो नीति निर्धारित की उसके कारण हमारे देश के स्वर्णकारों और स्वर्णकारों के साथ साथ सोने के जेवर बनाने, उनको तैयार करने इस तरह से सोने के कार्य करने से सम्बन्धित जितने भी कारीगर थे वे सब लोग बेकार हो गये हैं। इस बेकारी की समस्या को किस प्रकार से दूर किया जाय इस सम्बन्ध में मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पडी? लोगों में सोने की भूख क्यों है? इस भूख को किस प्रकार से निरस्त किया जा सकता है? ये इसके तीन पहलू हैं इन पर हमें विचार करना होगा।

हमारे देश की आर्थिक नीतियों के कारण हमारी कुछ एम्बीशियस योजनाओं के कारण हमारे देश के ऊपर आर्थिक दृष्टि से कुछ अतिरिक्त भार आया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पिछले वर्ष जितना सोना रिजर्व में रहना चाहिये था वह धीरे धीरे घटता गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पिछले वर्ष जितना सोना रिजर्व में रहना चाहिए था वह धीरे-धीरे घटता गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कि सोना केवल १०५ करोड का रिजर्व में रह गया। जब कि मिनीमम सीमा है १००० करोड रुपये की। इस हालत के अन्दर सारी स्थिति को देखें तो आज से पांच वर्ष पहले जब ५०० करोड रुपये का सोना रिजर्व में था वह घटते घटते इस सीमा तक क्यों आगया? इससे इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि हमारी आर्थिक नीतियों में कुछ खामियां रही हैं जिनके कारण सोने का रिजर्व धीरे-धीरे एक्जास्ट करते गये और स्थिति गम्भीर बन गई। इस गम्भीर स्थिति का निराकरण करने के लिये हमारी भारत सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण कानून बनाया। इस कानून के पीछे दो दलीलें दी जाती है। एक तो यह कि हमारे देश पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के कारण देश में सामाजिक तैयारी के लिये हमें धन की आवश्यकता हुई। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये हम सोने के ऊपर कन्ट्रोल करें इस प्रकार की स्थिति बनी। लेकिन मैं, ऐसा समझता हूं, कि यह बात पूर्णतया इसलिये सत्य नहीं कि पिछले वर्ष जब केन्द्रीय सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया उसके तुरन्त बाद केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने घोषणा की थी कि लोगों के पास काफी मात्रा में सोना है। उस सोने को ब्लाक करके लोगों ने रख छोडा है। वह सोना बाजार में आये इसके लिए भारत सरकार व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। उस समय योजना की मद के अन्दर पैसे की आवश्यकता महसूस हुई और उस आवश्यकता को लेकर ही सोने पर दृष्टिपात किया गया था।

पिछले नवम्बर महीने में वित्त मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि सोने के भावों को नीचा लाने के लिये जब कि अन्तर्राष्ट्रीय भाव से हमारे यहां भाव काफी ऊचे हैं उसको लेवल पर लाने के लिये कुछ नियमादि बनाने पडेंगे। उसी नवम्बर की घोषणा के पश्चात् जितना सोना रखने वाले लोग थे उनको एक प्रकार की चिन्ता हुई और चिन्ता

(श्री भैरोंसिंह)

होने के बाद सोना बाजार में आने लगा, बिक्री होने लगी और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि ८ जनवरी, १९६२ को, जिस दिन स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू हुआ था उस दिन तक सोना १२९) रु० तोला और १०७) रु० प्रति दस ग्राम तक आ गया। भारत सरकार ने सोचा नवम्बर में जो घोषणा की थी उसके कारण भाव गिरे हैं और वह यह समझती रही कि हमारे इस कानून के लागू करने के बाद भाव निश्चित रूप से गिर जायेंगे। लेकिन ९ नवम्बर के पश्चात् भावों में किसी प्रकार से गिरावट नहीं आयी। सोने का ब्लेक होने लगा। जिस सोने को ब्लॉक होने न देकर बाहर लाना चाहते थे, सरकुलेशन दिखाना चाहते थे न तो सोने का सरकुलेशन हुआ न ही सोना बाहर आया बल्कि सोना जमीन में जाना शुरू हो गया और आज भी स्थिति यह है कि सोना बाजार में मिलता नहीं। बाजार में सोना यदि कोई खरीदना चाहे तो उसे ब्लेक में मिलेगा। ब्लेक के भाव वे ही हैं जो स्वर्ण नियन्त्रण कानून बनने से पहले थे। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आयी। इस स्थिति में हमारी सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम स्वर्ण बोन्ड देते हैं। आज से लगभग बीस दिन पहले सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार केवल ३ करोड रुपये के सोने के बोन्ड खरीदे गये। इस सारी नीति की घोषणा के पश्चात् जितने स्वर्ण बोन्ड की अपेक्षा करते थे वह नहीं आये। ३ करोड रुपये के स्वर्ण बोन्ड में १२ मण सोना तो केवल दरभंगा महाराजा के अकेले का है। इसके अन्दर भी सारे लोगों का कन्ट्रीब्यूशन देखना चाहते थे वह कन्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ विशेष व्यक्तियों का कन्ट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब स्पष्ट यह है कि यहां की जनता ने सरकार की स्वर्ण नीति को स्वीकार नहीं किया। भारत सरकार कहती है कि देश के अन्दर सोना ब्लॉक है। लोगों के कब्जे में करीब ६०० करोड रुपये का सोना है।

(३ म. प.)

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पिछले दिनों सोने के बारे में बताया कि उनका अन्दाज है कि १८५० करोड का सोना भारत में है। अब उस १८५० करोड के सोने को बाहर निकालने की चेष्टा सरकार कर रही है। तो सबसे पहले हमें विचार करना पडेगा कि सोने को ब्लॉक क्यों कर रखा है ?

श्री भीखाभाई : May I seek one clarification from the Hon'ble Member ? Whether the Hon'ble Member is discussing the policy with regard to the Gold Control or he is discussing the employment problem ? If he is discussing the policy, then I think, it does not lie within the purview of this House.

श्री भैरोंसिह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, मैं बिलकुल नहीं समझ पाया हूं। वे अंग्रेजी में बोल गये हैं, और वे अंग्रेजी में भी ऐसे बोले हैं कि जैसे भारत से बाहर से कोई टूर करके आये हों, वे हिन्दी में भी अपनी बात बहुत अच्छी तरह रख सकते थे।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार १८५० करोड का सोना हिन्दुस्तान में बताया जाता है। अब

Page No 82

(श्री भैरोंसिंह)
इसको निकालने के लिये हमारी सरकार ने कानून लागू किया और·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी के कहने का तात्पर्य यह था कि आपका जो संकल्प है वह सोने के नियन्त्रण के कारण जो अनएम्पलोयमेन्ट देश में हुआ है उसके सिलसिले में है, नीति के बारे में नहीं है। मैं ऐसा ही समझ पाया हूं।

श्री भैरोंसिंह : जी। यह तो इसलिये कह रहा हूं कि अगर यह नहीं बताऊं तो सरकार यह भी कह देगी कि बेकारी ही नहीं है यहां तो। इसलिये निवेदन कर रहा था। शायद मंत्रीजी समझे नहीं।

अब उस कानून के अनुसार एक व्यक्ति पचास ग्राम सोना रख सकता है, अल्प वयस्क २० ग्राम रख सकता है। तारीख भी यह घोषित करने की कि किसके पास कितना है २८ फरवरी कर दी थी। पर इसके बावजूद भी एकत्रित किये गये सोने के आंकडे बहुत कम दिखायी पडे हैं। इस हालत में जिस अनुमान के आधार पर सोने की यह नीति निर्धारित हमारी सरकार ने करनी चाही वह अनुमान ठीक नहीं उतरा, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी हमारी सरकार, वह लक्ष्य प्राप्त करना सरकार के लिये सम्भव नहीं हुआ। सोना सरकार को अधिक नहीं मिला, सर्कूलेशन की मात्रा नहीं बढी, सोने के भाव नहीं घटे, बौंड नहीं अधिक बिके। ये चार चीजें जो सरकार प्राप्त करना चाहती थी, वे तो नहीं मिलीं। पर इसका दुष्परिणाम दूसरी तरफ बेकारी के रूप में हमारे सामने आया। जो स्वर्णकार हैं जो सोने के काम धन्धों पर आधारित हैं उनकी संख्या एक करोड से अधिक है, वे बेकार हो गये, सरकार कहती है, एक करोड नहीं है उनकी संख्या, लाखों में है। पर अगर इस एक करोड की संख्या को थोडा एग्जाजरेटेड भी मान लें तो पचास लाख से कम यह संख्या नहीं हो सकती किसी भी हालत में।

स्वयं मुझे राजस्थान का अनुमान है। बाहर गांवों में और शहरों में जो भी सोने का काम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई ढाणी ऐसी नहीं होगी जिसमें स्वर्णकार अपनी दूकान लगा कर परिवार सहित वहां न बैठा हो। तो अनुमान अगर उनका लगाया जावे तो जो स्वर्णकार हैं, जो सोने के जेवरात बनाने वाले हैं, जो मीनाकारी करने वाले हैं, सोने के व्यापार करने वाले सर्राफ हैं और उनके आश्रित नौकरी करने वाले हैं, गोटे वाले हैं, कई हैं, उन सबकी संख्या किसी भी सूरत में ५ लाख से कम राजस्थान में नहीं है। आपने इन सबकी गिनती नहीं की होगी। इस तरह के लोग एक जाति के नहीं हैं, बल्कि ३९ तरह के लोग हैं जो इस कानून के द्वारा बेकार हुए हैं। आप यह देख कर चलें कि हमें तो सुनारों से मतलब है, उनकी जन संख्या ही मालूम करनी है, तो वह तो निश्चित रूप से कम आवेगी। पर सोने पर काम करने वालों की संख्या उस संख्या से किसी प्रकार कम नहीं हो सकती, जो मैंने बताई।

अब हमने इस नीति द्वारा क्या प्राप्त किया ? और कुछ नहीं प्राप्त किया, बेकारों की समस्या खामखां हमारे सामने आई।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सोने के भाव गिराना चाहती है, लेकिन भाव किस

(श्री भैरोंसिंह)

हालत में गिर सकते हैं ? या तो मुद्रास्फीति रोकें, या चीजों के भाव न बढने दें। मुद्रास्फीति जब बढ रही हो, चीजों की कीमतें जब बढ रही हों उस हालत में लोगों के सामने कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वह अपनी बचत को परमानेन्ट रूप में रिजर्व रखने की चेष्टा करें और इसके लिये उनके सामने सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं रहता कि इसके लिये वह सोना खरीदें और उसके जेवर बनावें और जेवरों का सामाजिक रूप से उपयोग करें। ताकि आर्थिक संकट अगर किसी समय उनके लिए पैदा हो तो या तो उसको बेचदे या गिरवी रख कर अपनी आर्थिक समस्या का समाधान कर ले।

बेकारी की समस्या तो पैदा हुई है, सो हुई है इस पर हमें विचार करना है। पर इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना पडेगा कि गांवों में आज कौनसी सुविधाएं आपने ऐसी दी हैं जिनके आधार पर लोग ज़ेवर न बनावें सोना नहीं रक्खें और अपने बीच में कभी आने वाली आर्थिक संकट की स्थिति का समाधान करलें ? आपने राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्री को डेवलप नहीं किया। आपने कौन सा ऐसा रास्ता उनको दिया कि वे सोने की कीमत का सर्कूलेशन होने दें, सोने का सर्कूलेशन होने दें। कॉटेज इन्डस्ट्रीज अगर आप पनपाते तो उसमें वे अपना इन्वेस्टमेन्ट करते। पर आपने कॉटेज इन्डस्ट्री के नाम पर तो खादी इन्डस्ट्री को पनपाया है और वह भी खादी बोर्ड के नियन्त्रण में। एक राजनैतिक पार्टी के लोगों के नियन्त्रण में चलाते हैं। तो आपने लोगों के धन के इन्वेस्टमेन्ट की व्यवस्था नहीं की। आज यदि मेरे पास पांच हजार रुपया है तो मैं यह मूर्खता नहीं कर सकता कि उसे जमीन में रखदूं। मेरी भी इच्छा होगी कि पांच हजार किसी काम में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी रिटर्न जिसमें से आ सकता हो उसमें इसे लगाकर वह लेने की चेष्टा करूं। पर आज जब मैं यह देखता हूं कि अगर मैं चाहूं कि किसी धन्धे में इन्वेस्ट करूं तो धन्धा नहीं दीखता सरकार की तरफ से कोई एनकरेजमेन्ट नहीं मिलता तो ऐसी सूरत मे मेरे सामने कोई चारा नहीं रहता कि मैं अपने इस रुपये को अगर रिजर्व में रख सकता हूं तो उसके लिये वैसी चेष्टा करूं और यह मैं सोने के रूप में रिजर्व रख सकता हूं और रखना पडता है।

दूसरी इसके साथ एक और समस्या आती है। आज सरकार कह सकती है कि गांव गांव में भूमि-बन्धक बैंक और कोआपरेटिव बैंक चालू कर रक्खे हैं, पर आज से दो वर्ष पहले भूमि-बन्धक ऋण के सम्बन्ध में भारत सरकार ने इन बैंकों का सर्वे किया जिसके आधार पर भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि गांवों में इन्वेस्ट करने के लिये बैंकों से उधार लेने के लिये जितने बैंकों की संख्या होनी चाहिये वह पर्याप्त नहीं है। उस हालत में गांवों में जो ऋण प्राप्त करने की सुविधाएं मिलनी चाहिये थीं वे नहीं मिलीं। तो दूसरा कारण यह आता है कि रुपया गांवों में प्राप्त करते हैं उसकी व्यवस्था नहीं, इन्वेस्ट करने की।

दूसरा प्रश्न और पैदा होता है। वह प्रश्न इस बात का कि यह पैसा कैसे सुरक्षित रखा जावे ? रुपये की कीमतें घटती जा रही हैं। तो लोगों के सामने समस्या रहती है कि कीमत रुपये की घटती जावे तो अपने

(श्री भैरोंसिंह)
रुपये को सुरक्षित कैसे रक्खे? १९४३ में यदि किसी व्यक्ति के पास दस हजार था और वह सारा उसने ब्याज पर भी दे दिया और आज ६२ में उसकी गिनती करें तो १० हजार के २५ हजार हो जावेंगे। लोग यह अन्दाज लगाकर चल सकते हैं कि चलो दस से २५ हो गये। पर अगर इसका सोना खरीद कर डाल दिया है सुरक्षित रखकर इन्वेस्ट करना चाहे, ब्याज का खतरा भी नहीं लेना चाहे तो जिसने १० हजार का सोना ४३ में लेकर रख लिया वह लाभ में रहा। ४३ से लेकर आज तक रुपये की कीमत घट कर ३।। आना रह गई है। तो इस हिसाब से ४३ में जो १० हजार ब्याज पर दिया और जिसका २५ हजार हो गया उसकी असल कीमत ३।। आना रुपये के हिसाब से घट कर आज ८ हजार हो गई और सोने की कीमत ज्यों की त्यों बनी रही तो लोगों को रुपये की कीमत गिरने की एवज में सोने से उनको ज्यादा फायदा मालूम होता है। इसलिये कि सोने में इन्वेस्ट किया हुआ अधिक सुरक्षित रहता है। बाकी रुपये को रुपये की स्थिति में रखे रहना दिनों दिन कम होता जा रहा है।

इसलिये रुपये को इन्वेस्टमेन्ट कराने के लिये, रुपये को बैंकों से प्राप्त करने के लिये और बैंकों का रुपया उधार देने की गरज से हमारी नीति असफल होती है।

इसके अलावा एक पहलू की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गांवों में आज संकट आता है उस समय हम जेवर बनवाया हुआ हो तो गिरवी रखकर रुपया प्राप्त कर लेते हैं। पर जब से १४ कैरेट की व्यवस्था की है तो इसकी जांच की कि यह कितने कैरेट का है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब माननीय मन्त्री महोदय स्वयं इस बात को लेकर गांव में चले जावें और कहें कि मेरे इस सोने पर रुपया उधार दे दो तो वह पूछेगा कि कितने कैरेट का है? आप कहदें कि बीस का है तो मानने वाला नहीं है। उसमें अविश्वास की भावना भी अलग से पैदा हो गई है। आखिर यह १४ कैरेट क्या है यह वह सोच रहा है कितना पीतल है, कितना सोना कम है, यह समस्या जब से पैदा हुई है तब से सोने को गिरवी रखकर रुपया प्राप्त करने की स्थिति में थे वे अब नहीं प्राप्त कर सकते।

अब एक बहुत बडी समस्या इसके पीछे और है और आपने सुना होगा कि पिछले दिनों कि जब देश के ऊपर संकट आया तो सरकार ने घोषणा की कि लोग सुरक्षा के नाते सुरक्षा निधि के अन्दर सोना जमा करा सकते हैं और जो भी सोना जमा करायेंगे उनसे यह नहीं पूछा जायेगा कि तुम सोना कहां से लाये हो। इस घोषणा का नतीजा यह हुआ कि कई गोल्ड स्मगलर्स ने इस सुरक्षा निधि में इस प्रकार का सोना जमा कराया है। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि सुरक्षा निधि में उन्होंने सोना देकर हमारे देश की जबरदस्त सेवा की है लेकिन इसके साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू भी आता है और वह दूसरा पहलू यह है कि हमने सोने का स्मगलिंग रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की बल्कि जिन्होंने स्मगलिंग किया था उनको सोना बाजार में लाने की आपने उनको सुविधा दे दी। हमारे देश में करप्शन है, सेलस टैक्स की चोरी है, इन्कम टैक्स की चोरी है उस चोरी के रुपये को वह लोग बाहर

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं ला सकते, हम रिश्वत के रुपये को बाहर बाजार में नहीं ला सकते और यदि उस रुपये को बाहर लाते हैं तो हमारी सरकार ने राजस्थान सर्विसेज रूल्स के नाते एक प्रकार का कन्ट्रोल रखा है। इसी प्रकार से भारत सरकार का कानून है। उनको अपने असेट्स डिक्लेयर करने पडते हैं, अपनी इन्कम बतानी पडती है।

(३.१० म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

उस हालत में उस रुपये को बाहर नहीं लाया जा सकता तो उस ब्लैक मनी को लोग व्हाइट मनी करना चाहते हैं लेकिन व्हाइट मनी कर नहीं सकते उसके ऊपर कानून है। अगर व्हाइट मनी करने की चेष्टा की गयी तो उनको जेलों में रखा जा सकता है। ऐसी हालत में लोग उसको पीला रुपया करने की चेष्टा करते हैं-पेल-मनी करने की चेष्टा करते हैं और वह किस तरह करते हैं कि लोगों के पास जितना भी चोरी किया हुआ धन है उससे वह सोना खरीदते हैं और सोना खरीदकर उसको रिजर्व कर लेते हैं। वो ऐसी हालत में जहां कि करप्शन बढता हो, चीजों की कीमतें बढती हों, रुपये का मूल्य घटता हो आप कितना ही कानून लगायें उससे सारा कुछ कन्ट्रोल होने वाला नहीं है और लोगों की सोने की भूख दूर नहीं होने वाली है। सोने की कीमत के धन को इनवेस्ट करने के लिए और सुरक्षा की पूर्ति के लिये जब तक हम साधन नहीं जुटाते उस समय तक आप मानकर चलिये कि कितने ही कानून को लागू कर दो उससे सफलता मिलने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि इससे तस्कर व्यापार रुक जायेगा लेकिन आप स्वयं ही सोचिये कि क्या तस्कर व्यापार रुका है?

रात दिन हम पढते हैं कि तस्कर व्यापार करते हुए इतने आदमी गिरफ्तार हुए, इतना सोना पकडा गया। लोगों के अन्दर इस संकटकालीन स्थिति के अन्दर भी जो देशभक्ति की भावना आई उसके अन्दर भी सोना नियन्त्रण कानून को उस दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो सोना एक दिन ऐसी स्थिति में आ जायेगा कि स्मगलिंग के कारण लोगों को ज्यादा प्रोफिट नजर आयेगा स्मगलिंग के कारण देशभक्ति की लहर दौडी है उसके अन्दर। इसका परिणाम यह होगा कि लोग जो गन्दी बातें करके देशभक्ति के कार्यों में बाधा पहुंचाने का कार्य हो सका उस प्रकार की जो स्थिति लाने वाले लोग हैं उनको उसमें अवसर मिलेगा और इस सारी स्थिति के अन्दर देश के प्रति जो आस्था का काम होना चाहिये उसमें आपको सम्भवतः कमी नजर आयेगी।

अभी राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर अपना उत्तर देते हुए इस चीज को स्वीकार किया कि राजस्थान में स्वर्णकार बेकार हुए हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा की कि स्वर्णकारों की बेकारी को दूर करने के लिए हम राजस्थान में एक कमेटी बनाने वाले हैं वह इसके सारे पहलुओं पर विचार करेगी और उस रिपोर्ट में वह बतायेगी कि किस प्रकार से इनको रिहेबीलीटेट किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में वह कमेटी कोई व्यवस्था करेगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ९ जनवरी को जब से यह

(श्री भैरोंसिंह)

स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू हुआ, उसको आज लागू हुए भी करीब करीब २ महीने निकल गये। इन दो महीनों के अन्दर ऐसे लोगों की कितनी संख्या है कि जो इस कानून के आने के बाद से बेकार हुए हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है इसको किसी ने देखा? बच्चों के लिये किताबों की समस्या है, जो बच्चे स्कूल में पढते हैं उनकी शुल्क देने के लिए पुस्तकों की कीमत देने के लिये और दूसरी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आज वह सारे के सारे ऐसी अवस्था में आकर खडे हो गए कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वह सरकार कहे कि इसके ऊपर कमेटी विचार करेगी। कमेटी का अभी तक अपाइन्टमेन्ट नहीं हुआ। अभी तो वह कमेटी बैठेगी ६ महीनें में जाकर, न जाने किस समय वह अपनी सिफारिशें सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी कि इनको स्वीकार किया जाये उस समय तक राजस्थान के लाखों व्यक्ति जो भूख के कारण तडफ रहे हैं उनकी क्या हालत होगी सरकार इस पर अपने आप विचार करे। इसलिये मैं, सभापति महोदय, सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस समय हमारे यहां सदन में राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया हम यह मानकर चलते थे कि सरकार की ओर से जिस प्रकार से लोगों को राहत देने के लिये समय समय पर घोषणायें की जाती हैं उस समय पर स्वर्णकारों के लिए भी किसी न किसी प्रकार की घोषणा की जायेगी हम ऐसा भी मानकर चलते थे कि और लोगों से ज्यादा रिजर्वेशन भर्ती के अन्दर स्वर्णकारों के लिये होगा, जो खेती करने के योग्य हैं उनको जमीन देने के लिये भी सुविधायें प्रदान की जायेगी। हम यह आशा करके चलते थे कि जो स्वणकार आज सरकार की नीति के कारण बेकार हुए हैं जिनके बच्चे स्कूल और कालेजों में पढते हैं उनको शुल्क की तरफ से हमारी सरकार राहत देगी। लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से नहीं हुई।

तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि हमारी राजस्थान की सरकार चाहे वह ६६ करोड रुपये का बजट बनाले उसमें भी ५ लाख लोग आज त्राहि त्राहि करके राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सामने रोकर मरने वाले हैं उनके लिए कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। क्या आज जो आपने ६६ करोड रुपये के खर्च का बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसमें उन ५ लाख स्वर्णकारों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? क्या वे लोग किसी प्रकार का योगदान नहीं देते? राजस्थान में ऐसे लोग आज बेकार बैठे हैं। आप सडकों और गलियों में मेरे साथ चलिये, मैं आपके साथ चलता हूं और फिर बताऊंगा कि लोगों की दुकानें बन्द पडी हैं। उनके पास आज खाने के लिए नहीं है, वे अपनी थाली और बरतन बेचकर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान बना था उस समय जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे जिस प्रकार से वह अपने थाली और बरतन बेच रहे थे ठीक उसी प्रकार की हालत आज स्वर्णकारों की है। यहां पाकिस्तान जाने की तो बात नहीं है, पेट के लिए रोटी की व्यवस्था का सवाल है। कल मैं बाजार में गया तो मैंने देखा सुनार लोग अपने कपडे बेच रहे थे। इस प्रकार सभापति महोदय, यह एक सोचनीय प्रश्न बनता है कि हमारी नीति के कारण राजस्थान की जनता के

(श्री भैरोंसिंह)

बरतन, कपडे खुले आम बाजार में बिकते हैं और फिर कहें कि यह हमारा समाजवादी राज्य है, फिर कहें कि ६६ करोड रुपये का हमारा बजट है, हमने लोगों को समृद्धि के ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन यही हालत रही तो मैं बताये देता हूं कि यह राजस्थान की सरकार को खत्म करके छोडेगा, आप यह समझकर चलते हैं कि हम बहुत बडे हैं, हमारे पास सरकार है यदि कोई भूखा आदमी चिल्लायेगा तो उसके दांत तोड दिये जायेंगे यह अब अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। मैं कहता हूं आप कमेटी के चक्कर से निकलिये। आपको अपने लेवल पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेना होगा। इस झगडे में आप मत पडिये कि ऐसे लोगों की संख्या ४ लाख है या २ लाख है लेकिन जो वास्तविक तथ्य है कि उनमें आज जबरदस्त बेरोजगारी व्याप्त है उसको आपको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। आप इसके लिए भारत सरकार के मुंह की ओर देखें उसकी आवश्यकता नहीं है बल्कि आज की इस व्यवस्था के अन्दर आपको यह मानकर चलना पडेगा कि हम सोने की नीति के कारण जो बेकारी हुई है उनकी बेकारी को किस तरह से दूर कर सकते हैं।

मैंने बजट को भी देख लिया है। इस बजट में लघु उद्योगों के लिए कर्जे की जो व्यवस्था की गई है उसमें जो कमिटेड एक्सपेन्डीचर है उसमें नये लोगों को कर्जा मिले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के सम्बन्ध में पिछले वर्ष था उतने का उतना ही रखा है। उस शिक्षा शुल्क में सुनारों के बच्चों को किस प्रकार से किया है यह नहीं रखा है तो फिर यह आइडिया बनाकर ही चला जाय कि उस हालत में ६६ करोड के बजट के अन्दर गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो गरीब आपकी नीति के कारण त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आप कहना चाहेंगे कि बजट बनाने की बात मत कहो, उन लोगों के लिये व्यवस्था करदी है वो केवल यह व्यवस्था की है कि एक कमेटी बना दी है। उस व्यवस्था को भी २ महीनें पूरे हुए हैं अभी तक उसके नियम नहीं बने हैं। कौनसी कमेटी बनेगी? इसका तय नहीं हुआ। कमेटी के मेम्बर्स कौन होंगे, तो यह तय नहीं हुआ। उनके सारे टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या होंगे यह तय नहीं किया। कमेटी बन गई तो क्या कमेटी रोटी है कि उससे लोगों को रोटी मिल गई और वह कमेटी लोगों के पास जायेगी और कहेगी कि तुम्हारे पास अनाज नहीं है, अनाज लो, तुम्हारे पास कपडा नहीं है, कपडा लो, तुम मकान बेचते हो तो मकान मत बेचो, कर्ज की आवश्यकता महसूस करते हो तो कर्जा लो। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्डस्ट्रीज के माननीय उप-मन्त्री महोदय स्वयं जानते होंगे कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कैसा है? इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट की चर्चा तो मैं इस समय नहीं करता हूं लेकिन उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम यह तय करके चलें कि राजस्थान के जितने लघु उद्योग हैं या जितने मीडियम उद्योग हैं उन सारे उद्योगों में सुनारों को प्राथमिकता दी जायगी उनको कर्जा दिया जायगा। दूसरा यह भी होना चाहिये कि इतने सुनारों को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे, इतने सुनारों को काश्त के लिये खेती की व्यवस्था करेंगे।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी सुनार हैं वे मामूली आदमी नहीं हैं। वे कलाकार हैं, जबरदस्त कलाकार हैं। हिन्दुस्तान के सब से अच्छे कारीगर अगर आपको कहीं मिल सकते हैं तो वे राजस्थान में मिल सकते हैं। ये कारीगर भारत की कला के प्रतीक हैं। भारत की कला आपकी नीतियों के कारण धीरे धीरे समाप्त होगई है और जिस देश की जब कला समाप्त होती है तो उस देश का सर्वनाश होता है। जिस देश की कला को समाप्त करने के लिए आपने व्यवस्था कर डाली है। आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर डाली है कि जिससे कलाकार खत्म होंगे और कला का नाम लेने वाला नहीं होगा, और जिस देश में कला नहीं है तो माननीय उप-शिक्षा मन्त्री जी जानते होंगे कि कला-विहीन किस प्रकार का देश होता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : साहित्य संगीत कला-विहीनः साक्षात् पशु पुच्छविषाण हीनः।

श्री भैरोंसिंह : वह आपने सब कुछ कहा कि बिना पूंछ के पशु हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने संस्कृत में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : उसका मतलब यही है कि बिना पूंछ का पशु है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि'।

श्री भैरोंसिंह : हमारी सरकार को जो परिभाषा आती है कि बिना कला के सरकार व देश बिना पूंछ के पशु हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि किस की व्याख्या कर रहा था लेकिन माननीय सदस्य जरूर समझ गये हैं अपने आपको।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझ गया कि आपके मुंह से असली बात निकल गई कि कला जाने बिना सरकार बिना पूंछ के पशु रहती है। इसमें डरने की क्या बात है।

मैं कह रहा था कि अब इस कला का किस प्रकार से प्रसारण कर सकते हैं, नहीं तो वह कला खत्म होगी।

अब कला का दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पहलू को लेकर आपने स्वर्ण नियन्त्रण की नीति अपनाई है कि हमारे सामने फोरिन एक्स्चेन्ज की समस्या है। मैं एक एक्जाम्पिल कोट करना चाहता हूं कि हमारे देश में और खास तौर से राजस्थान में मीनाकारी का काम जबरदस्त होता है। मीनाकारी का काम सोने पर होता है। जिस समय आप जौहरी बाजार में से होकर गुजरते होंगे तो उस समय एक बात निश्चित रूप से देखते होंगे कि जितने भी फोरिनर्स आते हैं वे किसी सर्राफ की दुकान के सामने खड़े रहते हैं, किसी जवाहरात वाले की दुकान के सामने खड़े रहते हैं या जेवरात की दुकान के सामने खड़े रहते हैं और मीनाकारी का काम किये हुए जो आभूषण होते हैं वे खरीदते हैं और लाखों रुपयों की तादाद का वहां से ले जाते हैं। वे ले जाते हैं उससे फोरिन एक्स्चेन्ज प्राप्त होता है, और फोरिन एक्स्चेन्ज की जो कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन नीतियों के कारण फोरिन एक्स्चेन्ज की

(श्री भैरोंसिंह)

कमी होगी, इन नीतियों के कारण लोगों में बेकारी बढ़ेगी, कर्जे की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में आर्थिक-संकट आयेगा, पैसा इन्वेस्ट करने के साधन नहीं होने से पैसा नहीं रख सकेंगे।

अब दूसरा प्रश्न यह आता है हमारी सरकार ने यह कह दिया कि १४ कैरट के सोने के जेवर बनेंगे, लोग सोने का मोह छोड देंगे लेकिन २४ कैरट से १४ कैरट के जेवर बनाने से वह जो जेवर बनाने की भूख है वह खत्म नहीं होती है। आज २४ कैरट में जेवर बनाने की जो भूख है तो मैं जंजीर ही बनाऊंगा लेकिन वह १४ कैरट का जेवर बनाने की व्यवस्था है तो मैं जंजीर के साथ साथ हाथों के अन्दर भी जेवर बनाऊंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप नहीं पहनेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उस हालत के अन्दर मेरा कहने का मतलब यह है कि २४ से १४ कैरट के जेवर बनाने की स्थिति में भी सोने की जो भूख है वह किसी प्रकार से कम नहीं होगी उससे जेवर की मात्रा बढ़ेगी और दहेज में जैसा कि माननीय उप शिक्षा मंत्री दहेज लेकर आये थे ५० तोला ......

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई देता ही नहीं, मुश्किल हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने शादी नहीं की क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह आपकी और मेरी साथ साथ हुई थी। उसमें न आपको मिला है और न मुझको मिला है।

श्री भैरोंसिंह : तो उस हालत के अन्दर, सभापति महोदय, जेवर जो अब ५० तोला में ५० आइटम दिये जाते हैं और अब १४ कैरट के जेवर बना दिये गये हैं तो उसमें १५० आइटम बनाकर देंगे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि कितनी बडी संख्या में जेवर दिये हैं। उससे सोने की भूख नहीं मिटने वाली है लेकिन उससे सुनारों के सामने समस्या पैदा हो गई है कि राजस्थान के १४ कैरट के जेवर बनाये जायेंगे तो जेवर बनने के बाद इसकी जांच करने की व्यवस्था नहीं है। किसी प्रकार की जेवर बनाने की ट्रेनिंग नहीं है। कोई मशीनें नहीं हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बंबई में इस प्रकार के जेवर बनते हैं, कलकत्ता में इस प्रकार के जेवर बनते हैं। दिल्ली में भी उन्होंने इस प्रकार की मशीनें ला कर रख छोडी हैं। उस मशीन को बताते हैं, कोई पूछता है कि उसकी कीमत क्या है तो कहते हैं कि तीन हजार रुपये हैं। जब एक मशीन की कीमत ३०००) रु० है तो गांव के सुनार के पास काफी धन नहीं है वह कहां से ३०००) रु० देगा और कहां से मशीन खरीद कर लायेगा ? और जब लाये तब कहीं १४ कैरट का जेवर बनायेगा क्योंकि वह हाथ से नहीं बना सकता है। उस पद्धति से पुनर्निर्माण के लिये जितना लाभ चाहिये उतना नहीं है। जितना सामान चाहिए उतना नहीं है और आप कहते हैं कि १४ कैरट जेवर बन जायगा। न वह जेवर बन सकता है और न सोने की भूख मिट सकती है। जब १४ कैरट जेवर बनने लगेगा तो वह मशीन से बनेगा। आदमी की जगह मशीन काम करने लगेगी और जब मशीन काम करने लगेगी तो एक मशीन १०० सुनारों का रोजगार खा जायेगी और उसका

(श्री भैरोंसिंह)

तात्पर्य यह होगा कि मशीन भी आ जायेगी और १४ कैरट के जेवर भी बनने लग जायेंगे, लेकिन लोगों की बेकारी की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। उस हालत में मैं आपसे कहता हूं कि आप समाजवाद को दूर करेंगे जिस समाजवाद के लिये आप बराबर कहते हैं कि समाजवाद लाना चाहते हैं। उसको लेकर यदि देखा जाय तो यह जो नीति अख्त्यार की है उससे पैसे वाले मशीन खरीदेंगे, पैसे वाले बडी मशीन लगायेंगे। किसी आदमी ने एक लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया और ३-४ बडी मशीनें १४ कैरट के जेवर बनाने की खरीद ली तो वह अकेला ही व्यक्ति जेवर बनाने के पेशे को खा जायेगा और जिस समय वह पेशे को खा जायेगा तो दूसरे लोगों के पास काम नहीं रहेगा और जो काम करते हैं वे भी बेकार हो जायेंगे। उस हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से और यह स्पष्ट कर दूं कि हम भी इस पक्ष में नहीं हैं कि सोने को लोग ब्लाक कर दें। मैं भी इस पक्ष में हूं कि सोने का सरक्यूलेशन हो। उसको लोग ब्लाक न करें जिसके कारण देश की वित्तीय स्थिति पर उसका कुप्रभाव पडे लेकिन उसके लिये आवश्यक है कि सोने में लोगों की काफी दिलचस्पी कम हो, इन्वेस्टमेंट के साधन उपलब्ध करें और गांवों में रुपया बचाने की व्यवस्था करें। आज गांवों में क्या है कि जेवर खरीद कर वे मकानों में जमीन के अन्दर जेवर रखते हैं लेकिन यदि वे रुपया बैंकों में जमा करायें तब तो वह सुरक्षित है। अगर बैंकों में जमा नहीं करायें तो वह गायब हो जाय, कोई उसकी चोरी, डाका करले। चोरी या डाका करने के कोई उसको उठा कर पाकिस्तान ले जायगा और वहां से चिट्ठी लिखेगा कि २०००० भेजो। उस हालत में सुरक्षा क्या है? किस प्रकार से वे उसको सुरक्षित रखें?

सभापति महोदय, इस संबंध में एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। बारां के अन्दर सरकार का मालखाना था जिसके सामने पुलिस के सिपाही खडे रहते थे। मालखाने के सिपाही का पहरा बदलता है, उस मालखाने पर ताला लगा रहता है उसमें जिस माल के बारे में पुलिस व अदालत म जितने मुकदमों की तफतीश व तहकीकात होती है वह उसमें रखते हैं। उसमें से दो लाख का माल गायब हो गया। वहां पर आई. जी. पी. साहब निरीक्षण करके आये हैं तो मालखाना बिलकुल दुरुस्त है। एस. डी. ओ. मालखाना का निरीक्षण करते हैं और मालखाना दुरूस्त बताते हैं, मजिस्ट्रेट मालखाना का निरीक्षण करते हैं और मालखाना दुरूस्त बताते हैं लेकिन उसमें जितना सोना था वह गायब हो गया, जितनी शराब थी वह पानी हो गयी और जितनी अमल थी वह गोबर हो गया, अपने आप समाप्त हो गये या क्या हुआ पता नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे पास रुपये हैं उनको कहां लगावें? गांवों में बैंक तो हैं नहीं। यदि घर में रखते हैं तो चोर नहीं छोडते। आपके मालखाने में रखते हैं तो उनकी सुरक्षा नहीं। इसलिये लोग कहते हैं कि हम जेवर बनाकर जमीन में रखना चाहते हैं क्योंकि वहां सुरक्षित रहेंगे। कोई आदमी पागल तो नहीं होता कि वह ५) ६) रु० की आमदनी खोयेगा। लेकिन जब उसको इस बात की चिन्ता होती है कि ये ५) रु. भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उसके पास जेवर बनाकर जमीन में रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन हमारी

(श्री भैरोंसिह)

सरकार उनको जमीन में भी नहीं रखने देना चाहती है। सरकार स्वर्ण के लिये नीति बनाती है लेकिन उससे होने वाले बुरे परिणामों को ध्यान में नहीं रखती। उसका नतीजा यह होता है कि न तो सोना ही मिलता है, न सोने का भाव गिरता है, न सोने के बदले में बौंड खरीदे जाते हैं और न डिक्लेरेशन प्राप्त होता है और उसके वावजूद भी भी लाखों आदमी बेकार होते हैं। यदि इसको ही आप सफलता कहें तो मैं आपकी बात में बात नहीं मिलाऊंगा। वास्तव में यह सफलता नहीं है बल्कि पूर्णत: असफलता है। इस असफलता को दूर करने के लिये राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि इस मसले पर विचार करने के लिये मन्त्रि-मण्डल की बैठक बुलानी चाहिये। बाकी झगडे जिस समय भी आप लोग निपटाना चाहें निपटाते रहना लेकिन जो लोग आज रोटी के लिये तडप रहे हैं जिनके मकान बिक रहे हैं, जानवर, कपडे और दूसरी चीजें जिनकी बिक रही हैं रोटी के लिये उनको बचाने की कोशिश करें। जब कहीं बाढ आती है या आग लगती है तो मुख्य मन्त्रीजी घोषणा करते हैं कि हम इतनी सहायता देंगे, इतनी व्यवस्था करेंगे वित्त उप मन्त्रीजी के इलाके के गांवों में बाढ आई तो हो-हल्ला मचाया और सदन में में भी इतना हल्ला मचाया कि शायद कहीं सरदार शहर खतम हो गया हो····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : यह प्रश्न मुझसे सम्बन्ध रखता है··

श्री भैरोंसिह : मैं ऐसे आदमियों को एवोइड करता हूं जो बार बार इन्टरप्ट करते हैं···

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.

श्री भैरोंसिह : There is no point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.

श्री भैरोंसिह : I am in possession of the floor.

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir........

श्री भैरोंसिह : There is no point of order.

श्री सभापति : There is. I shall decide whether there is a point of order or not.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Under Rule 273........

श्री भैरोंसिह : There is no Rule 273 under which any point of order could be raised.

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी तो एक सेन्टेन्स भी नहीं कहा मैंने।

Under Rule 273, when any allegation or reflection is passed, or a reference is given concerning any member of the House, mostly any member of the Treasury Bench, then a Member has the right to explain with the permission of the Chair. That is under Rule 273.

यहां पर हम तीन उप मन्त्री बैठे हैं। उनमें से तो दो वित्त उप मन्त्री हैं दोनों के सम्बन्ध में न मालूम क्या कहा, घर में बाढ आगई और उस बाढ से परेशानी हाउस को हुई, यह हमसे सम्बन्ध रखता है इसलिए

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं और आपकी डिबेट के दर्मियान एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यह अलग बात है, सभापति महोदय, कि आप इजाजत दें न दें लेकिन एक्सप्लेनेशन देने का हमको अधिकार है, राइट है, बाद में, दें, अभी दें, दर्मियान में दें, जब भी इजाजत दें तब दें।

श्री सभापति : इन्होंने ऐसा सीरियस एलिगेशन नहीं लगाया है जिसकी कि रिप्लाई देने की जरूरत हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The reference was concerning us. This is under Rule 273.

मैं रूल को साइट करके बता सकता हूं।

श्री सभापति : No reply is needed May continue please.

श्री भैरोंसिंह : एक व्यक्ति के दो पत्नियां होती हैं तो दोनों में लड़ाई होती है उसी तरह एक मन्त्री के दो उप-मन्त्री होते हैं तो दोनों में लड़ाई होती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनको तो पत्नियें ही पत्नियें याद आती हैं।

श्री चंदनमल बैद (उप-मन्त्री, वित्त): एक को तो निहाल कर दिया क्या आपने?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो माननीय सदस्य की तारीफ कर रहा हूं। सरदारशहर में बाढ आई, आपने हाउस में एक चित्र चित्रित कर दिया जो वास्तविकता से परे नहीं था मेरा मतलब मोटिव इम्प्यूट करने का नहीं था। सरदारशहर में लोगों के लिये राशन नहीं पहुंचा, डेवलपमेन्ट के लिये पैसा नहीं पहुंचा था उस समय उन्होंने कैसे आसमान उठा लिया था और कैसी झुंझलाहट उनको होरही थी आज वही उप-मन्त्रीजी जो उद्योग विभाग की भी जिम्मेदारी लिये हुए हैं आज स्वर्णकार आपकी नीति के कारण त्राहि त्राहि कर रहे हैं और आप उनकी परवाह नहीं करते। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मसला इस प्रकार का नहीं है जिसमें कमेटियों के नाम पर समय निकाला जाय और तुरन्त उस पर विचार नहीं किया जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मन्त्रि मन्डल की बैठक बुला कर आज सरकार इस प्रकार की घोषणा करे कि जब तक यह मसला तय नहीं हो जाता तब तक जितने सरकार द्वारा नये अपोइन्टमेन्ट्स होते हैं उनमें स्वर्णकारों का रिजर्वेशन रखेंगे, उनके जो बच्चे स्कूलों और कालेजों में पढते हैं उनकी ट्यूशन फीस माफ करेंगे, सरकार जो लैण्ड एलोट करती है उसमें उनका रिजर्वेशन रखेंगे। साथ ही साथ सरकार यह भी घोषणा करे कि सरकार उनको कर्जा देने की व्यवस्था करेगी, उनको कला और उद्योग के लिये प्रोत्साहन देगी। बाकी के उद्योग जिनमें इनकी कला का उपयोग किया जा सके उनमें इनका समावेश करने की कोशिश की जायगी। इस प्रकार की घोषणा यदि सरकार करेगी तो हम यह मानकर चलेंगे कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण को महत्व देती है और उन पर सीरियसली विचार करती है और यदि नहीं करती है तो मैं यह मानूगा कि गरीब लोगों के प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है, उनको मदद करने को तैयार नहीं है और उनको भूखों मरता देखना चाहती है। मैं इन्हीं

(श्री भैरोंसिंह)

शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को मन्जूर करने के लिये सरकार पर दबाव डाले ताकि गरीबों की रोजी का प्रश्न किसी प्रकार से पूरा होसके। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव को रखता हुआ आसन ग्रहण करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है: "शब्द स्वर्णकार" के पहले "श्रमिक" जोडा जाय"] समापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए भी मैं उसमें एक संशोधन रखना चाहता हूं। उसमें 'श्रमिक' शब्द और जोडने का है। जहां तक स्वर्ण नियन्त्रण नीति का सम्बन्ध है, मैं उस बारे में अधिक बातें नहीं कहना चाहता ।

इस समय मुल्क पर जो आक्रमण हुआ है उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक से अधिक तादाद में स्वर्ण मिल सके और उसके लिये जो प्रयत्न किया जा सकता है उसमें कामयाबी मिले इस बात का मैं हामी हूं। लेकिन साथ ही साथ जो स्वर्ण-नियन्त्रण कानून जिस मूलभूत कारण से प्रारम्भ होरहा है उसमें कहां तक कामयाबी मिल सकती है इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे पहले वित्त मन्त्रीजी ने दो मुद्दे रखे। एक तो यह कि बहुत से लोगों के पास ब्लेक का पैसा है और उस ब्लेक के पैसे से सोना खरीद कर रख लिया है और हमको डिफेन्स के लिये सोने की आवश्यकता है, वह पैसा किस प्रकार बाहर निकले ? दूसरी बात उन्होंने यह रखी कि जो तस्कर व्यापार होता है सोने का, वह किस प्रकार रुक सकता है? ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर यह कानून बना। अब इस कानून में क्या परिवर्तन किये, क्या नहीं किये इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुल्क पर यदि संकट आता है, परिस्थिति इस प्रकार की पैदा होती है उसको ठीक करने के लिये कानून बनाना पडता है और उसमें कामयाबी होती है तो उसको लागू करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इस कानून के द्वारा हम स्वर्ण नियन्त्रण करके भावों में कमी करना चाहते थे वह इससे होगी क्या और ब्लेक का सोना इससे निकलेगा क्या और जो तस्करी होती है उसको किसी प्रकार से रोका जा सकेगा क्या यह प्रश्न सामने है? क्योंकि पहले भी सरकार तस्कर व्यापार को रोकने में नाकामयाब रही। अब यदि सोने का भाव कम करेंगे तो पहले जहां पाकिस्तान से सोना हमारे यहां आता था क्योंकि वहां भाव कम थे और यहां अधिक थे, लेकिन अब जब कि यहां भाव कम हो जायेंगे और वहां भाव बढे हुए हैं तो अब यहां से सोना पाकिस्तान जायेगा इस परिस्थिति को कौन रोकेगा? आखिर वह काम सरकार को करना पडेगा। यहां पर भाव घटने से यहां से सोना वहां जायेगा तब आप क्या करेंगे? ये दोनों परस्पर विरोधी प्रश्न हैं? मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क में जिस तरीके से भी हो तस्कर रोकने का कदम उठाना चाहिये क्योंकि हमारी सीमा का काफी हिस्सा पाकिस्तान से मिला हुआ है और वहां काफी तादाद में तस्कर व्यापार होता है। मैंने गत समय भी निवेदन किया था लेकिन दुःख के साथ कहना पडता है कि तस्कार करने वालों में बडे बडे लोग हैं जो शरीक हैं और सख्त तरीके से जिनके खिलाफ सुरक्षा

Page No 94

(श्री मुरलीधर व्यास)

कानून इस्तेमाल होना चाहिये उस तरह नहीं होता। मुझे कल ही मालूम हुआ कि जो तस्कर करने वाले हैं, उनके खिलाफ पुलिस का वारन्ट है। कल जो एन्टीकरप्शन का कट मोशन था जिस पर कल सारी चर्चा होने वाली थी। मुझे मालूम पडा कि कोई एक पाकिस्तानी नागरिक सदन के अन्दर आकर बैठा, कोई मजीरखां नाम का। पता नहीं उसे किसने प्रवेश दिलाया। लेकिन वह यहां आकर बैठा। जो हिन्दुस्तान का नागरिक नहीं है, जिसके खिलाफ तस्करी के लिये पकडने का वारन्ट है, वह सदन के अन्दर आकर बैठ गया और सारी कार्यवाही सुन कर चला गया····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-शिक्षा मन्त्री): On a point of Privilege, Sir, आप यह फर्मा रहे हैं कि सदन के अन्दर आकर बैठ गया और चला गया।

श्री सभापति : आपको गलतफहमी है, आपका मतलब दर्शक दीर्घा से है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका 'गैलेरी' से मतलब है?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

आप तस्करी को रोकना चाहते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन आज परिस्थिति इस प्रकार की है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पाकिस्तान का नागरिक, जो यहां सीमाओं की घटनाओं की चर्चा होरही है, उनको यहां पर आकर, सुन कर चला जाय। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बुरी बात है। इसको गहराई के साथ में देखना चाहिये। मैंने पहले भी कहा था कि आज इतने आदमी तस्करी के अन्दर पकडे गये और जिनके लिये हमारे गृह मन्त्री ने कहा कि इतने लोग गिरफ्तार किये गये और वे जयपुर की जेल के अन्दर हैं, लेकिन अनूपचन्द कोचर, जिसके बारे में मैंने नाम लेकर कहा, ऐसे आदमी जन-सुरक्षा के अन्दर आज भी गिरफ्तार नहीं किये गये। एक ओर आप देश की सुरक्षा के मामले को लेकर कदम उठाना चाहते हैं और दूसरी ओर इस तरह की परिस्थिति सामने आती है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे गम्भीरता के साथ देखना चाहिये। अन्त में मैं इसके सम्बन्ध में···

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a poin of Privilege, Sir, कोरम नहीं है। I think we are not forming a quorum, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं है तो घंटी बजायें।

श्री सभापति : (श्री सचिव से) कितने होने चाहिए?

घंटी बजाई जाय (विराम)

The quorum is there. We are just having it.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मूलभूत उद्देश्य है, इस पर हमको बहुत गहराई से ख्याल करना चाहिए। उस तरफ ख्याल नहीं रखा तो मुरारजी देसाई की नीति से इतने लोग बेकार हुए हैं लेकिन आज बात को कोई नहीं मानता है कि बेकारी हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बेकारी हुई है और इस का निराकरण

(श्री मुरलीधर व्यास)
होना चाहिए अगर हम अपने मूलभूत लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून के कारण जो बेकारी हुई है, इसमें खास तौर पर जो श्रमिक ऐसे हैं जो केवल हाथ का काम करने वाले हैं वे न तो दुकानदारी कर सकते हैं और न कोई दूसरा धन्धा ही कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई दूसरा आदमी सोना लाकर देता है तो ही वे काम कर सकते हैं। आज राजस्थान के अन्दर जो स्वर्णकारों की समस्या है, वह बहुत अधिक संख्या की समस्या है क्योंकि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों से स्वर्णकार ज्यादा हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सरकार करोडों रुपया देने की बात रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमारी सरकार को मांग करनी चाहिए कि जो रुपया केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में देती है, उसमें से सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार को दिया जाय। वह रुपया मिल जाता है तो उसे फौरन लेकर कोई व्यवस्था होनी चाहिए इन स्वर्णकारों के सम्बन्ध में, तो मैं समझता हूं कि यह परिस्थिति धीरे धीरे परिवर्तित हो जायगी क्योंकि देश के अन्दर स्वर्ण का काम बहुत कम होगा, आगे भी सोना कम होता रहेगा और स्वर्णकार भी कम होते रहेंगे ....

श्री सभापति : Order please, since there is no quorum I Shall have the bell rung.

(गण-पूरक घंटी)

You may continue now. We have the quorum now.

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस प्रकार मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार से रुपया मिले, वह अधिक से अधिक राजस्थान को मिलना चाहिए और उसका बहुत जल्दी से जल्दी प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि उन लोगों को काम मिल सके। जहां तक बीकानेर के स्वर्णकार हैं या अन्य इलाकों के स्वर्णकार हैं, जो जडाई का काम करने वाले हैं, उनके सम्बन्ध में शायद सरकार की तरफ से यह ही जवाब होगा कि चौदह कैरेट के गोल्ड से गहना बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर माननीय मन्त्री महोदय इसको मानते हैं कि आभूषण बन सकते हैं, कि जितने भी जडाई का काम करने वाले हैं, खास करके बीकानेर के इलाके के स्वर्णकार काम करते हैं, वे जडाई का काम करते हैं और उस काम में कुन्दन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह होता है कि बिना कुन्दन के जडाई का काम हो नहीं सकता और उसके लिए सेन्ट परसेन्ट शुद्ध सोने की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए। जडाई का काम करने वाले हैं, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार से जल्दी से जल्दी बात करें जिससे ऐसा प्रबन्ध होसके। अगर नहीं हो सकता है तो सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था और जो लोग बेकार होते हैं, उनको किसी प्रकार जल्दी से जल्दी काम देसकें, इसका प्रबन्ध करना चाहिए। अन्त में मैं दो तीन बात और कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बहुत संक्षेप में कहें जिससे और माननीय सदस्य, जो बोलना चाहते हैं, बोल सकें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं एक तो यह कि जिस प्रकार मुख्य मन्त्रीजी ने यह घोषणा की पंजाब के लिए, दूसरे लोगों के लिए कि जो लोग बेकार हुए हैं उनको सरकार जमीन देगी। मैं कहता हूं कि राजस्थान नहर का इलाका है, यह जो परिवर्तन हुआ है और इससे जो लोग बेकार हुए हैं, उनके लिए आप इस प्रकार की घोषणा करें कि एक लाख एकड जमीन राजस्थान नहर इलाके में और दूसरे इलाकों में स्वर्णकारों के लिए रखते हैं। इसमें कुछ लगता नहीं है। आप मानते हैं कि बेकार लोगों को बसाना है · ·

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उनसे काश्तकारी होगी नहीं, मुरली धरजी।

श्री मुरलीधर व्यास : काश्तकारी कर सकते हैं। परिस्थितियां सब करवा लेती हैं, यह कोई बात नहीं है।

तो यह घोषणा होनी चाहिए। दूसरे यह होना चाहिए, कि जो वर्क शाप है बीकानेर का, और दूसरी जगह के वर्क शाप हैं उनमें नये काम प्रारम्भ होने चाहिए क्योंकि ये लोग मैकेनिज्म के जानकार होते हैं, इनको इनमें काम दे सकते हैं। और दूसरे काम दे सकते हैं। ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं।

इसके अलावा यह कहा गया है कि ये लोग अपने घर की चीजें और कपडे आदि बेचने लगे हैं, ऐसी इन लोगों की हालत खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कहीं बाढ आजाती है तो सरकार उनको राहत देने के लिये इन्तजाम करती है। लेकिन सरकार की स्वर्ण नियन्त्रण नीति से जो यह बेकारी हुई है, इसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि जो इस प्रकार के स्वर्णकार हैं, जो इस प्रकार के श्रमिक परिवार हैं, उनको सरकार पांच सौ रुपये, ढाई सौ रुपये प्रति परिवार के हिसाब से तत्काल सहायता देगी ताकि इन पर जो बहुत ही बुरा असर हुआ है उससे इनको राहत मिल सके। ये दो-तीन चीजें हैं, जिन पर विचार करके इनको राहत सरकार दे सकती है। इसके अलावा जब जागीरदारी उन्मूलन किया तो उनको मुआवजा दिया। सरकार ने राजाओं को भी मुआवजा दिया। तो ये बेचारे स्वर्णकार हैं, इनको बसाने के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए, जो लोग अपने कारोबार से बेकार हुए हैं, उनको तत्काल कुछ लाभ मिलना चाहिए ताकि वे अपनी व्यवस्था ठीक तरह से चला सकें।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : माननीय सभापतिजी · ·

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करें ताकि सबको समय मिल सके।

श्री रामकिशन : मेरी आदत है कि ज्यादा समय नहीं लेता और घंटी नहीं बजने देता।

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है : शब्द "राजस्थान सरकार" के पश्चात् तथा

(श्री रामकिशन)

"तुरन्त" के पहले शब्द "इन्हें सरकारी नौकरियों में संरक्षण देने की" जोड़ जायें"।)

मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि यह समस्या ऐसी है जो ताजा है और सबकी जानकारी में है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं कि इस प्रश्न पर अधिक बहस करें लेकिन इसके पीछे दो प्रश्न हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये—एक तो सरकार चाहे कोई आयोजन करे, कोई नियम बनाये, कोई कानून बनाये। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि कानून बनते हैं बगैर किसी आयोजन के। यह सरकार की मूलभूत कमजोरी है। अभी स्वर्ण नियंत्रण कानून बना, उस सम्बन्ध में सरकार का दिमाग साफ होना चाहिए था कि इस कानून का किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और उसको किस प्रकार से सरकार दूर कर सकेगी। मुझे अफसोस है, न केन्द्रीय सरकार के और न राज्य सरकार के दिमाग में यह बात आई है कि इस कानून से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, इस कानून का किन लोगों पर प्रभाव पड़ा है, और उन लोगों की समस्याओं को सरकार किस तरह से दूर करेगी। यह सरकार की कमजोरी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर देंगे और माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि कर्तव्य निभाने के लिए हम मांग कर रहे हैं और कर्तव्य निभाने के लिए ही सरकार जवाब दे देगी। इसके अलावा गम्भीरता से इस पर विचार नहीं किया गया है। इस कानून से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कुल कितने स्वर्णकार हैं, यह सूचना उपलब्ध नहीं है। मेरा अनुमान है कि इससे पांच-सात लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इनकी संख्या क्या है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में आठ लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए व्यवस्था की है। अभी जिस दिन यह स्वर्ण नियंत्रण हुआ था तो मैं समझता हूं कि योजना मण्डल की बैठक होनी चाहिए थी और यह साफ हो जाना चाहिए था कि इन बेरोजगार लोगों के लिए क्या काम दिया जा सकता है। इस संबंध में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिये हैं। और मेरा भी यही सुझाव है कि उनको लघु उद्योगों में लगाया जावे। जो लोग खेती कर सकते हैं उनको खेती के काम में लगाया जावे मगर मैं यह नहीं समझता कि ये लोग खेती कर सकते हैं। मगर जो कर सकते हैं उनको खेती के काम में लगाने की व्यवस्था की जावे। क्योंकि यह हमारे देश के लिये सबसे ज्यादा जरूरी है और प्लानिंग कमीशन इसके लिये अपनी योजना जारी करे और जो सुझाव हों उनके अनुसार कार्य किया जावे। जो लोग उत्पादन में लग सकें उनको मौका दिया जाना चाहिये और जो लोग सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं और जिनको कहीं लगाया जा सकता है, लगाया जाना चाहिये। यह जो सोने का नियंत्रण किया गया है इसके पीछे सामाजिक भावना है। केवल सोने के नियंत्रण की ही भावना नहीं है। इसमें कुछ, सामाजिक क्रान्ति हुई है। यह एक प्रकार का नया परिवर्तन होगा और मैं इससे बहुत खुश

Page No 98

(श्री रामकिशन)

हूं कि इस मामले से बात टल जावे और नारियों का सोने से मोह हट जावे तो बहुत अच्छा है। मगर मैं यह कहूंगा कि मंत्राणियों को १३, १३ तोला सोना पहने हुए मैंने देखा है। कोई भी कानून पास करने से पहले हमें आरम्भ अपने ही घरों से करना होगा तब वह दूसरों के लिये लागू करने की बात कह सकते हैं।

राजस्थान में संगमरमर का उद्योग चलता है। वहां काटने छांटने का और मूर्तियें आदि बनाने का काम होता है और काटने छांटने में स्वर्णकार बहुत होशियार होते हैं इसलिये कुछ को वहां लगाना चाहिये। जिससे विदेशी मुद्रा हमें मिल सकती है। कुछ लोगों को भूमि देनी चाहिये। कुछ लोगों को सिलाई का काम और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीतल और जडाई का काम करते हैं उनमें उनको लगाया जावे। कुछ को इस्पात के उत्पादन में लगाया जावे। मेरे दो-तीन सुझाव हैं, व्यवहारिक हैं या नहीं फिर भी उन सुझावों की परीक्षा की जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं आशा करता हूं कि श्रम मंत्री इस पर ध्यान देंगे और जो नीति है पडौस के मंत्रीजी की वह साहस की नहीं है। आप जन्मजात साहसी हैं। लेकिन संगत का असर बहुत पडता है और संगत में रहने से एक बहादुर जाति को भी कमजोर बना सकती है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है शब्द "सोने" के बाद व कार्य से पहले शब्द "व इससे संबंधित" जोड़े जायें व शब्द "स्वर्णकारों" के बजाय "कारीगरों" रखा जाय।] सभापति महोदय, गोल्ड नियंत्रण से उत्पन्न स्वर्णकारों की स्थिति के सम्बन्ध में मेरा एमेण्डमेन्ट था। वास्तव में स्थिति का अध्ययन करने से पता चलता है कि जो लोग सोने का काम करते थे वे बेकार हो गये हैं। उनके लिये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनको क्या रोजगार दिया जावे। कमीशन मुकर्रर हुआ उसका बाद में निर्णय होगा। मैं यह कहूंगा कि इन मजदूरों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे दो-तीन या चार महीने तक, जब तक निर्णय न हो बैठे-बैठे खाते रहें और उनके बच्चों को पढाने के पैसे, खाने के पैसे, घर का खर्चा, बिजली के मीटर के पैसे और पानी के पैसे वे नहीं दे सकते। बगैर इसके उनको अन्धेरे में रहना पडता है। यह सब स्थितियें सामने आती हैं इसलिये इसका निपटारा तुरन्त करने का है। जिस प्रकार बिना सोचे समझे यह निर्णय लागू किया, उसी प्रकार यह भी लागू कर देना चाहिये।

मैं जयपुर के लिये एक कल्पना आपके सामने रखता हूं बशर्ते की राजस्थान सरकार उसको माने। इसमें यह जरूरी है कि राजस्थान के दूसरे लोग हैं उनको बडा धक्का लगेगा। यहां जयपुर की पांच लाख की आबादी है। यहां सरकार १०, १० हजार का एक सेक्टर बना ले और कुछ न करे। ११, ११ आदमियों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर यह काम उनको दे दे क्योंकि मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इसमें बहुत विश्वास करती है कि कोई काम हो कोआपरेटिव बेसिस पर किया जावे। ११, ११ सदस्यों की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना दें जिसमें सिर्फ स्वर्ण का काम करने वाले ही हों। उनको आप सोना चांदी न

Page No 99

(श्री अब्दुल जब्बार)

दें । उनको ब्लेक डाइमन्ड दे दें । वे सिवाय कोयले के धन्धे के दूसरा कोई धन्धा न करें । उनको कोयले का कोटा दे दिया जावे । जो आर. आर. आती है वह आप रिस्क पर उठा दें । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक सोसाइटी दस-दस हजार की पोपुलेशन के लिये बनेगी वह १२५ आदमियों को खाना खिला सकेगी । और मैं यह समझता हूं कि उसको मानने में गवर्नमेन्ट को कोई हिच नहीं हो सकती । वे लोग जो गद्दी तकिये लगाये बैठे रहते हैं उनका कारोबार उठ जायगा । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह धन उनकी जेबों में नहीं जाना चाहिये जो पहले से धनवान हैं ।

इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बहुत लम्बी बिल्डिंग सरकार ने बना रखी हैं जो हम बजट में देखते हैं कि उनके लिये हजारों रुपयों का प्रावधान है कि पुरानी चीजों की उपयोगिता बनी रहे । बाहर से आने वाले लोगों को वे चीजें आसानी से मुहैय्या हो सकें और मिल जावे और हमारी भारतीय परम्परा की चीज यहां से बाहर जावें । और विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हो ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां गोल्ड का सामान मशहूर है । नगीना साजी, सोने में नगीने लगाना और इसके लिये मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां पन्नीघरों का मोहल्ला एक तरह से गांव की तरह बसा हुआ है । हमारे यहां राजस्थान सरकार चाहे तो यह काम स्मगलर्स के हाथों में न देकर सोने के जेवरात बनवालें और शो रूम में उनको शो के रूप में रख दिये जावें और वहां से फोरिन लोगों को डाइरेक्ट परचेजेज करने का अवसर दे दिया जावे । हमारे यहाँ के लोगों को काम मिलेगा और फोरिन एक्सचेन्ज हमको ज्यादा मिलेगा और इससे हमारे स्वर्णकार बेकार नहीं होंगे ।

(समय समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति–महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रेस करते हैं तो मैं इतना सा कहता हूं कि हमारे यहां पर सरकार कम से कम यह तय करे कि १४ केरेट सोने का क्या भाव होगा और वह किस भाव से बिकेगा ? अभी तक बाजार में यह चीज नहीं ला सके हैं कि यह किस भाव से बिकेगा । ताकि उनको मजदूरी मिल सके और तय कर सकें कि उनको क्या मजदूरी मिलेगी । मैं आपको एक शेर सुनाता हूं ।

खून से मजदूर के नीवें महल की सिंच रही हैं ।
नतवालों की रोटी पर नजर गिद्दी लगी हुई है ।
बिक रहा इन्सान है लो देखलो बाजार में
जुल्मियों का जुल्म है और मासूम लडियां बिक रही हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप–मंत्री, शिक्षा) : मुकर्रर ।२।

श्री अब्दुलजब्बार : खून से मजदूर की नीवें महल की सिंच रही हैं ।
नतवालों की रोटी पर नजर गिद्दी लगी हुई है ।
बिक रहा इन्सान है लो देखलो बाजार में,
जुल्मियों का जुल्म है और मासूम लडियां बिक रही हैं ।

आप मजदूरों को बचाओ जिनकी हड्डियों पर आज पूंजीवाद के महल खड़े हैं, जिनकी हड्डियों पर कुर्सियों के पाये टिके हुए हैं । अभी भी समझो, समझने के लिये वक्त है । अगर नहीं समझोगे तो आपको वक्त समझा देगा ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है, "निम्नलिखित शब्द संकल्प के अन्त में जोड़े जायं-"और उनको लघु उद्योग में प्राथमिकता दी जाय"। सभापति महोदय, आज जो हमारे यहां नियंत्रण के कारण स्वर्णकार बहुत बेकार हो गये हैं। स्वर्णकारों की समस्या इस देश में बहुत बड़ी भारी हो गई है। अच्छा यह होता कि तालाब में पानी भरने से पहले पाल बनाई जाती। पहले पाल बनाई जाती है फिर तालाब में पानी भरा जाता है उसी प्रकार सोना नियंत्रण करने से पहले १४ केरेट का जेवर बनाने का कानून निकालने से पहले यह निर्णय करना चाहिये था कि पहले २२ केरेट का, फिर १८ केरेट का और फिर १६ केरेट का जेवर बनाने का नियम निकालते इसके बाद अवधि देकर १४ केरेट का जेवर बनाने का नियम निकालते, इससे लाखों व्यक्ति बेकार नहीं होते। हमारे यहां असली सोने के जेवर बनते हैं। हमारे मेवाड में प्योर सोने का काम होता है, मोती बनते हैं वे प्योर गोल्ड के बिना नहीं बन सकते, कुंदन से जड़ाई का काम होता है वह बिना प्योर गोल्ड के हो नहीं सकता, विदेशी लोग आते हैं सारे सोने की चीजें खरीदने आते हैं, इससे हमारा मुद्रा का प्रश्न हल हो सकता है। उसके स्थान पर स्वर्ण नियंत्रण करके लाखों आदमियों को बेकार कर दिया। अच्छा होता कि पहले उनको किसी काम में लगाया जाता, अच्छा होता सरकार इस प्रकार की घोषणा कर देती कि अमुक अवधि के बाद इतने केरेट का सोना नहीं घड़ा जा सकेगा। आज हमारे सोनी बेकार हो गये हैं। ट्रान्सपोर्ट के रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, कोई मिल सरकार लेती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है, जागीरें लीं तो सरकार ने मुआवजा दिया है, आज शहर में किसी बड़ी दुकान को सड़क चौड़ी करने के लिये तोड़ा जाता है तो व्यापार का मीजान देख कर कि इसको इस दुकान के तोड़ने से इतना नुकसान हुआ, व्यापारी को मुआवजा दिया जाता है, इसी प्रकार हमारे लाखों सुनार बेकार हो गये हैं, उनको बसाने के बाद इस प्रकार का कार्य किया जाता तो ये लोग बेकार नहीं होते। हमारे भारत की सबसे बड़ी कारीगरी स्वर्ण की कारीगरी है, इसको नष्ट नहीं होने देना है, इसको ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना चाहिये ताकि यह कारीगरी नष्ट न हो जाय।

सोना क्या है ? हमारा रक्षक है। हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम बढ़ा हुआ नहीं है। बैंकिंग सिस्टम यदि बढ़ा हुआ होता तो लोगों को सोने से लोभ नहीं होता। आज किसान की सुरक्षा सोने का नियंत्रण लाने से छीन ली गई है। किसान अपने काज करियावर, और मुसीबत के समय सोने के जेवर रख कर सेठों से धन लाता था पर अब इस स्वर्ण नियंत्रण से उसकी बैक-बोन टूट गई है, उसकी श्रद्धा टूट गई है। ८० प्रतिशत किसान हमारे देश में रहते हैं, इसलिए किसान की बैक-बोन तोड़ना देश के लिये घातक होगा, इससे हमारे देश की समस्या हल करने के बजाय और बिगड़ जायगी। जब से स्वर्ण बांड जारी किये गये तीन करोड़ से ज्यादा स्वर्ण बांड आज तक लोगों ने नहीं खरीदे हैं। लाखों करोड़ों रुपयों की टैक्स की आमदनी सोने के व्यापार से होती थी वह भी आमदनी खत्म हो गई है, नियंत्रण करने के बाद लोग ब्लैक से सोना खरीदने और बेचने लग गये हैं।

(श्री जोधसिंह चोहान)
गरीबों के पास पैसा है नहीं, स्वर्णकारों का धंधा ठप्प हो गया है पर व्यापारियों का व्यापार बढ गया है, जब से सोने का नियंत्रण हुआ तभी से सोना पाकिस्तान जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए हमारी सरकार को सोचना है कि स्वर्ण नियंत्रण को ठीक ढंग से सोच कर इस ढंग से बैठावे कि बेकारों को धन्धा मिले और यह कारीगरी नष्ट न हो। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उनके बदले मैं बोल दूं ?

श्री सभापति : बदले में बोलने का नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : वे मेरी पार्टी के हैं, वे नहीं हैं तो मैं अपनी पार्टी की पोलिसी इस बारे में रख सकता हूं।

श्री सभापति : तो गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : कितने बजे तक रखा है ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हमें भी बोलना है।

श्री सभापति : All right. पांच-पांच मिनिट मिलेंगे। श्री हरिराम।

जरा एक मिनिट ठहरिये। (मंत्री महोदय से) हां, आप कितने बजे जवाब देंगे ?

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : जब आप इजाजत दें। मैं तो तैयार बैठा हूं, १५-२० मिनिट लूंगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय, यह बात तो सही है कि सोने की देश को जरूरत थी और सोने को लेने के लिये जो प्रयत्न करने चाहिये थे वे हमारी सरकार को करने चाहिये थे क्योंकि देश पर संकट आया हुआ है और सारे देश में आपत्कालीन स्थिति की घोषणा हुई वहां तो कुछ लोगों को कुछ लोगों की तरफ ध्यान देना ही चाहिये था जिससे हमारे देश की सरकार को सोना मिलता पर जिस तरह का कानून बनाया गया है उससे कतई हमारी समझ में नहीं आता कि इससे सरकार को सोना किस तरह से मिल जायगा। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सोने से अपने स्टाक भर रखे हैं, जमीन में सोने को गाड रखा है, दीवारों में सोने को चुना रखा है, पुराने सोने के जेवरात हैं, तिजोरियों में बन्द कर रखे हैं तो इस प्रकार के कानून की नजर उन तिजोरियों की तरफ नहीं जाती। यह छूट दी गई है कि पुराना जेवर जितना चाहें रख सकते हैं। जमीन में सोना गडा हुआ है, दीवारों में सोना चुना हुआ है, जो सोना महलों में छुपा पडा है उसकी तरफ भारत सरकार का ध्यान कतई नहीं गया। इसका लाजिमी तौर पर यह नतीजा होगा कि जिस वर्ग के पास सोना है, नाजायज तौर पर जो लोग सोने को दबाये बैठे हैं, उनके पास से सोना नहीं निकलेगा, उस वर्ग की तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं गया है। फिर १४

(श्री हरिराम चौहान)

केरेट के जेवरात की बात हमारे देश के सामने रख दी, इस १४ केरेट वाली बात से मैं नहीं समझता कि सरकार को क्या मिलने वाला है। एक के पास सोने के जेवर हैं, उस सोने को १४ केरेट में बदलवा कर वह एक जोडी जेवर की बजाय दो रख सकता है, चार रख सकता है, जो उसके पास अभी स्टाक है उससे कहीं ज्यादा सोना इस प्रकार १४ केरेट के जेवर बनवा कर रख सकता है तो फिर इस प्रकार के कानून से सरकार कैसे सोना निकलवा सकेगी, इससे कैसे सरकार को सोना मिल जायगा और कैसे सरकार की दिक्कत दूर हो जायगी ? सोने की कमी है उसको दूर करने के लिये, सोने के भाव घटाने के लिये जो सरकार ऐसा कर रही है यह मुरारजी देसाई की स्कीम कतई मेरी समझ में नहीं बैठी। राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में जितने सोने का काम करने वाले सुनार हैं उनकी जिन्दगी पर इस प्रकार के कानून का बहुत बुरा असर पडा है। और यह सही है कि सरकार को उनकी हर हालत में मदद करनी चाहिये। इमर्जेन्सी का असर, सोना लेने का असर, अमीर लोगों पर जिनके पास सोना है, उन पर पडना चाहिये था, उन पर इसका कोई असर नहीं पड रहा है, गरीब सुनार हैं उन पर इसका असर पड रहा है।

इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारी सरकार बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करे और जितना जल्दी हो सके इन सुनारों को काम दें, रोजगार दे। रोजगार नहीं दे सके तो जितने दिनों ये लोग ठाले रह कर दूसरा रोजगार शुरू कर सकें, इस तरह की स्कीम बना कर हमारे सामने रखनी चाहिये। राजस्थान सरकार को चाहिये कि भारत सरकार के पास सुझाव भेजे कि आपको इन गलत नतीजों के कारण सोना नहीं मिल रहा है। आपके आंकडे यह बता रहे हैं कि आपको सोना नहीं मिल रहा है। सोना अगर आपको निकालना है तो आपको महलों की तरफ नजर डालनी पडेगी, कोठियों की तरफ नजर डालनी पडेगी, बडे बडे सेठों की तरफ नजर डालनी पडेगी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है यह हम मानते हैं।

(घंटी)

श्री सभापति : That will do.

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री सभापति (श्री मानिकचन्द के खडे होने पर) : Your name was called but you were absent. I will try to give you time.

मास्टर श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, स्वर्णकारों के विषय में चर्चा चल रही है। एक तरफ एमर्जेन्सी के टाइम में देश के अन्दर हमारे नेता वही हालत पैदा करना चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट के साथ जनता को-ओपरेट करे लेकिन अफसोस की बात है कि वे व्यक्ति जो सोने का काम करते थे उनको यकायक अपने काम से अलग कर दिया जाय, जैसे किसी व्यक्ति को, जो नौकरी करता है, या जिसको जर्मीन से हटा दिया जाय तो उनकी क्या दशा होगी और राष्ट्र के प्रति उनके किस तरह के विचार होंगे गवर्नमेन्ट ने इस बारे में नहीं सोचा है। मैं कहता हूं कि उनके दिमाग ही नहीं है।

(श्री नत्थीसिंह)
इस योजना के पहले इस बारे में सोचना चाहिये था कि करोडों व्यक्ति, उनके बच्चे, क्या खावेंगे?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): करोड तो जनसंख्या भी नहीं है उनकी?

श्री नत्थीसिंह: सुबह का भूला अगर शाम को घर आजाय तो अच्छा है। उन लोगों को बेरोजगारी महसूस हुई है, लोग परेशान हैं उनको किसी प्रकार से रोजगार से लगाया जाय। जैसे एक सदस्य महोदय ने फरमाया कि उनको जमीन दी जाय। मैं यह नहीं समझता कि स्वर्णकार जमीन का काम कर सकेगा। मैं इसका विरोध करता हूं। छोटे छोटे उद्योगों में उनको लगा दिया जाय, सबसिडी उनको दी जाय या इस तरह के काम में, उद्योगों में उनको फैसिलिटीज दी जाय।

सभापति महोदय, एक और अर्ज करना चाहता हूं कि इस मन्त्रिमन्डल काल में विशेष हानि हुई है महिलाओं के लिये। वह बडी दर्दनाक है। अभी तो लोगों के पास पैसा हुआ है और आपने सोने का जेवर ही खत्म कर दिया। एक तरफ आप पुरुष और महिलाओं को बराबर रखना चाहते हैं दूसरी तरफ जब महिलाओं के जेवर पहिनने का टाइम आया, खास तौर से हरिजन और पिछडे लोगों की महिलाओं के पास गहने बनवाने और पहिनने का टाइम अया तो ऐसे समय पर सोने पर नियन्त्रण किया गया। तो यह स्वर्णकारों के साथ ही बेजा नहीं है बल्कि उन महिलाओं के साथ भी है जो, मैं कहता हूं कि गहने बगैर भूखी भी रह सकती हैं, उनको गहने इतने प्रिय हैं और खास कर सोने के गहने बहुत ही प्रिय हैं। उनके साथ यह बुरा किया गया मैं निवेदन करूंगा कि लिमिट बांधी जाय कि एक मर्द और औरत के साथ इतने गहने होने चाहिये।

इसके साथ साथ इमरजेन्सी काल में जो लोग बेकार हैं स्वर्ण नियन्त्रण कानून से उनके लिये रोजगार का कोई प्रबन्ध किया जाय वरना देश में गवर्नमेन्ट के लिये अभिशाप है। हमारे अलवर में इसका नतीजा देखा कि बुरी तरह प्रदर्शन करते हैं मीटिंग करते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनते। मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस आर्थिक ढांचे को चलाना चाहते हैं तो किसी प्रकार उनको रोगजार में लगाया जाय वरना समाज का यह एक अंग अपंग हो जायगा जिस प्रकार इन्सान एक अंग से अपंग हो जाता है उसी प्रकार देश को भी अपंग करना है। यह निवेदन करूंगा कि इनके रोजगार के लिए सोचा जाय।

(४.१० म. प.)

(रावश्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानसिंह महार (आमेर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आये माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे सुन कर यह ताज्जुब हुआ कि स्वर्णकारों को कोई कहता है कि जमीन दी जाय, कोई कहता है कि उनको लघु उद्योगों में लगाया जाय। मैं कहता हूं कि क्या आसमान टूट पडा है १५ दिन के चीन के हमले से? हमारी अक्ल पर आसमान टूट पडा है। यह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर है······

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of Order, Sir. रिजोल्यूशन के दायरे से अलग बात नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य रिजोल्यूशन पढ़लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण परिसीमित रखें।

श्री मार्नसिंह महार: मैं बिलकुल सीमित हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उन्होंने मेरी बात मान ली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने विषय पर ही रहिये।

श्री मार्नसिंह महार : बिल्कुल विषय पर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्णकारों के संबंध में प्रस्ताव रखा गया है और उसका सीधा सम्बन्ध सोने के नियन्त्रण से है। मैं तो यह कहूंगा कि इंग्लैन्ड की लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर मि० ब्राउन ने इंगलैन्ड के प्रधान-मन्त्री मि० मैक्मिलन को जब उनकी इकोनोमिक मार्केट की पोलिसी फेल हो गई तो उनको हाउस में एन्टर नहीं करने दिया "Your Prime Minister has gone mad".

उसी तरह कहना चाहता हूं कि जो सरकार . . .

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा: On a point of order, Sir. गोल्ड कन्ट्रोल हुआ है यह सदन के बाहर की बात है। He is again insisting on that point.

श्री मार्नसिंह महार : माननीय सदस्य खुद तो समझते हैं नहीं और बीच में इन्टरप्ट करते हैं। मैं उनकी न सुन कर वार्ता जारी रखूंगा। माननीय सदस्य बेकार के तर्क देने की कोशिश करते हैं, और इन्टरप्ट करते हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार इंग्लैन्ड के प्राइम मिनिस्टर को लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर ने कहा . . .

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह लेक्चर बजाय देसाई के यहां कौन सुनने वाला है?

श्री मार्नसिंह महार : XX में उनके दिमाग में भरना चाहता हूं;

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! I cannot hear any thing.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा): This is rule 114, Sir; 'The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह उन लोगों के सम्बन्ध में है जो स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू करने के बाद बेकार हुए हैं। इसलिये इस विषय पर आप फरमाना चाहें, वही फरमायें।

श्री मार्नसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक तथ्यपूर्ण पोइन्ट आपके सामने रख रहा हूं . . .

XX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : On a point of order, Air. XXXX

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है माननीय सदस्य ने यह बात कही कि XXX । मैं समझता हूं माननीय सदस्य को भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में संयम रखना चाहिये। वे एक पार्टी विशेष के चीफव्हिप हैं वैसी हालत में उनकी भाषा के सम्बन्ध में संजीदगी होनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, XXXX

श्री उपाध्यक्ष : भाषा के प्रयोग में अवश्य ध्यान रखना चाहिये। यह सदन प्रतिष्ठित और जिम्मेवार व्यक्तियों का सदन है इसलिए परस्पर जो भाषा का प्रयोग हो वह संतुलित होना आवश्यक है। इसलिये अभी अभी माननीय सदस्य व एक माननीय मंत्री महोदय ने जिस भाषा का प्रयोग किया था हालांकि वह बिल्कुल अन-पार्लियामेन्टरी नहीं थी फिर भी उनके स्थान, स्थिति के अनुकूल वाक्य नहीं था इसलिये उनको टोका गया। इसी भूमिका में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे बिल्कुल संगत और संयत भाषा का ही प्रयोग करें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि XXXX की बातों को प्रोसिडिंग में से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : That shall be expunged.

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, इन्टरप्शन की वजह से मेरा ध्यान फिर चूक गया। मैं अर्ज कर रहा था कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून की तहत हमारे सामने समस्या यह है कि जो सुनार लोग बेकार होगये उनको काम दिया जाय। मैं अब तथ्य पर आता हूं। मैं अपनी बात पर अड़ूंगा किसी के भी कहने से पीछे हटने वाला नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि बेकार हुए सुनारों को जमीन दी जाय। बडे दुख: की बात है जिसने सारी उम्र साथ साठ साल तक सोने के आभूषण बनाये वह किस प्रकार अपने हाथ से खेती कर सकेगा। मगर भावनाओं में लोग बह गये कि सुनारों को जमीन दी जाय जिन लोगों ने कभी खेती नहीं की मेरी तरह वे अब इस उम्र में क्या खेती कर सकेंगे? यह चीज गलत है।

सोने के नियन्त्रण कानून को वाजिब मानते हैं जो लोग, उनका कहना है कि इससे देश को फायदा होगया। देश की जो डूबी हुई फाइनेन्सियल स्थिति थी देश की अर्थ व्यवस्था जो बिल्कुल डूब चुकी थी उसको तिनके की तरह सहारा इस सोने के नियन्त्रण के कारण होगया यह वातस्व में सही होता तो मैं भी इसका स्वागत करता। लेकिन मैं उस पक्ष में बैठने वालों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान हमारा बहुत पुराना प्रदेश है। यहां सोने का एक विशेष महत्व रहा है। आपको मालूम होना चाहिये कि यहां पर महिलायें सोना पहनती हैं और जो पहनती हैं वे अपने दिल और दिमाग में गौरव महसूस करती हैं सोना पहिन कर। यहां की महिलाओं के लिये सोना पहनना एक प्रकार से शुभ लक्षण समझा जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

XXX अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मानसिंह महार)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में इन्टरप्शन बहुत हो गया इसलिये मैं कुछ समय और चाहता हूं।

जो महिलायें शुभ कार्य में सोना नहीं पहनती उस शुभ कार्य को अशुभ माना जाता है। यह पीतल मिश्रित १४ कैरेट के सोने की बात कही जाती है बहुत अन्याय-पूर्ण है....

श्री उपाध्यक्ष : चांदी पहिन सकते हैं।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, चांदी को अपने यहां उतना शुभ नहीं मानते जितना कि सोने को मानते हैं। चान्दी सोने के मुकाबले में बहुत कम है पवित्रता में। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब मैंने अपनी स्त्री से मांगा कि मुझे तुम कुछ सोना दो ताकि स्वर्ण बोन्ड में लाऊंगा मेरी स्त्री ने जवाब दिया सरकार ने हमारी जागीर छीन ली, जीविका छीन ली अब तुम उसको सोना भी देना चाहते हो तुम किस प्रकार के अदामी पैदा हुए हो। यही अफसोस है कि यह प्रश्न सभी के सामने आता होगा।

श्री भीखाभाई : कोरम नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, केबिनेट के जो मन्त्री महोदय हैं उनके सामने भी जिन्होंने मन्त्रिमन्डल में आने के बाद सोने के जेवर बना लिये उनके सामने भी यही समस्या आयी होगी।

श्री भीखाभाई : कोरम नहीं है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि आज सरकार इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दे और इसलिये सभी मेम्बरों को हाउस छोड़कर जाने के लिये उकसाया जारहा है ताकि कोरम पूरा नहीं हो और कोरम के अभाव में हाउस स्थगित होजाय। ट्रेजरी बेन्चेज की यह जिम्मेवारी है कि वह हाउस में कोरम मेन्टेन रखे। अभी अभी दो-तीन मन्त्री सदन छोड कर चले गये ताकि कोरम के अभाव में सदन स्थगित होजाय। यह जो प्रवृत्ति ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से अपनायी जा रही है मैं उसके लिए स्ट्रोंगली प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उनकी पार्टी के आदमी भी तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पार्लियामेन्टरी परम्पराओं के अनुसार ट्रेजरी बेन्चेज की जिम्मेवारी है कि वह कोरम रक्खे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री, शिक्षा) : आप अपने सपोर्टर्स तो रखिये। जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अमेन्डमेन्ट दिये हैं वे भी नहीं है और आपके ग्रूप के सदस्य भी तो उपस्थित नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह : आप जिस प्रकार का विचार रखते हैं कि कोरम के अभाव में हाउस स्थगित हो और हाउस की इनसल्ट हो, इसका परिणाम अच्छा निकलने वाला नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी : अमेन्डमेन्टस् देने वाले तक नहीं है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, बिना कोरम के भी आप हाउस चला सकते हैं। आप रूल्स को रिलेक्स कर सकते हैं हाउस की इन्सल्ट को बचाने के लिये।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्वर्णकारों की बेकारी की समस्या का जहां तक ताल्लुक है उसके लिये मेरा निवेदन है कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून को बालाये ताक में रखा जाय। स्वर्ण नियन्त्रण कानून एक ऐसा खतरनाक कानून है जिससे यह कल्पना करते थे कि सोने का सरकुलेशन बढ जायगा किन्तु हुआ उल्टा जो भी सोना सरकुलेट होता था उसको भी खड्डे में डाल दिया गया। आज इसको लागू हुए तीन महीने होगये इसका रिजल्ट जो हमारे सामने है और सरकार के सामने है उससे सरकार को सही नतीजे पर पहुंच जाना चाहिये। इस प्रकार की जो गलती की है उसको सरकार अपनी गल्ती माने। और इसी तरह से हमारी राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह भारत सरकार से कहे कि यह जो गलती की है, यह जो गलत कानून बनाया है उसको वियड्रा करे, ताकि स्वर्ण-कारों की समस्या अपने आप हल होजाय।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चेयर की इनसल्ट की जा रही है आप रूल्स को रिलेक्स करके बिना कोरम के हाउस को चलाइये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपसे भी सहयोग की आकांक्षा करते हैं आपकी तरफ क्या हालत है यह भी तो देखिये।

श्री भैरोंसिंह : आपकी संख्या से तो ज्यादा है हमारे सहयोग से ही थोडा बहुत कोरम है।

श्री **उपाध्यक्ष महोदय**, चेयर के डिसीजन को योजनाबद्ध तरीके से फैल करना चाहते हैं। हाउस की इन्सल्ट करने की बातें हो रही हैं। कुछ मिनिस्टरों ने यह मिल कर तय कर लिया है कि कोरम न रखा जाय ताकि हाउस स्थगित होजाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कार्यवाही की जा रही है वह चेयर की इन्सल्ट है और हाउस की इन्सल्ट है। मैं चाहता हूं कि उन मिनिस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाय जिन्होंने इस प्रकार की साजिश की है कि कोरम के अभाव में डिबेट न हो।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह आरोप निराधार है।

श्री भरोंसिह : बिल्कुल सही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके दल के लोग भी यहां पर हैं जिन्होंने संशोधन रखे हैं वे भी उपस्थित नहीं हैं वे भी अपना दायित्व अनुभव नहीं कर रहे हैं, आज जिस परिस्थिति में माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उस प्रकार की स्थिति उस समय आजाती है जब कि छुट्टियों के दिन आते हैं। सभी माननीय सदस्य अपने अपने गांव जाने को उत्सुक होते हैं इसलिये उपस्थिति कम है। इसलिये इस प्रकार का आरोप लगाना इस सदन पर और खास कर इस दल पर वह बेबुनियाद है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री **भैरोंसिह** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आशंका बिलकुल सही है। जब कि हाउस में कोरम का अभाव है, तब भी वे सदन से उठकर चले गये हैं। हाउस के मेम्बरों की यह ड्यूटी है कि कोरम को मेन्टेन करें। कोरम बैल बजती है तो सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे हाउस में आकर बैठें पर इसके विपरीत कोरम को बनाये नहीं रखने के लिये उठ कर चले जाते हैं हाउस से। वे चाहते हैं यह

(श्री भैरोंसिंह)

कि कोरम हाउस में पूरा न हो और यह जो कार्यवाही सदन की है, चलने नहीं पावे जो मसला सदन में उपस्थित है वह टाक आउट होजावे। अगर यह इरादा नहीं है तो क्या कारण है कि कोरम बैल के बजने के बाद में भी ट्रेजरी बैंच के सदस्य हाउस छोड कर गये हैं। तीन सदस्य इस तरह से उठ कर गये हैं। उन्होंने अपने इस एक्शन से सदन का अपनाम किया है, चेयर का अपमान किया है। यह स्पष्ट संकेत है वे हाउस की और चेयर की इन्सल्ट करना चाहते हैं। मजदूर और बेकारों के लिये प्रस्ताव रखते हैं तो उसका उपहास करना चाहते हैं, उसकी अवहेलना करना चाहते हैं ये ट्रेजरी बैंच के माननीय सदस्यगण। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की और चेयर की इज्जत को अगर प्रोटैक्शन देना है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जावे और कोरम के अभाव में भी हाउस को चलाया जावे। हम इस बारे में चेयर का प्रोटैक्शन सीक करना चाहते हैं।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : मैं भी प्रोटैक्शन चाहता हूं माननीय सदस्य एक विरोधी ग्रूप के लीडर हैं। आप का भी कर्तव्य है कि आप भी कोरम बनाये रखने में मदद करें। आप अपने सदस्यों को जो उठकर चले गये हैं उनको तो बुला लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, कोरम को वे स्वयं नहीं बनने देना चाहते और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मैं यह भी कहने की स्थिति में आया हूं कि अमूमन ऐसा होता रहा है कि विशेष स्थिति के कारण चूंकि कल से सदन की छुट्टी है लोग अपने घर जाने के लिये तैयारी करते हैं और इस लिये वे चले जाते हैं तो ऐसी विशेष स्थिति में वे हम पर यह आरोप न लगावें किसी दल विशेष पर। मैं आपके इस आरोप को निर्मूल करता हूं कि हमारे दल ने जानबूझकर कोरम नहीं बनाने की कोशिश की है।

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि यह तो सत्य है कि कोरम की जिम्मेदारी न केवल इधर के पक्ष की है, पर उधर के पक्ष की भी है। सारे सदन की प्रतिष्ठा सब सदन के सदस्य मिलकर रख सकते हैं। एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति ही उस प्रतिष्ठा को रखने में सक्षम नहीं माना जा सकता और इस समय जो परिस्थिति है उसको भी देखते हुए एक पक्ष पर अथवा दूसरे पक्ष पर आरोप लगाना कि फलां पक्ष की वजह से ही कोरम नहीं है यह भी गलत है। यह तो मोटिव इम्प्यूट करने के बराबर है। मैं समझता हूं कि जिस पक्ष से जो भी कार्यवाही चालू हो उस पक्ष की भी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि कोरम मेन्टेन रक्खे। अगर वह पक्ष कोरम को मेन्टेन रखता है तो दूसरा पक्ष स्वतः ही उपस्थिति के लिये वाध्य हो जाता है।

अब इस समय जब कि कोरम नहीं है और सारी कार्यवाही बिना कोरम के हो भी नहीं सकती है···

श्री **भैरोंसिंह**: जो बाहर बैठे हैं, जो जानबूझकर हाउस की इन्सल्ट करना चाहते है, जो जानबूझकर कोरम नहीं बनने देना चाहते उनको बुलाया जावे।

श्री **उपाध्यक्ष** : आसन की तरफ से तो केवल घंटी बजाई जा सकती है, और तो कोई अधिकार आसन के पास इसके लिये **नहीं कि किसी को बाध्य किया जावे कि वे**

(श्री उपाध्यक्ष)
यहां आवें। यह बात अलग है कि उनको सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। लेकिन इसके लिये बाध्य किसी को किया जावे कि सदन की प्रतिष्ठा का खयाल रक्खें या न रक्खे यह आसन की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अब इस स्थिति में मैं अपने आपको बिल्कुल अक्षम पाता हूं····

श्री भैरोंसिंह: आप रूल को रिलेक्स कर सकते हैं। हाउस की प्रतिष्ठा का उनको ख्याल नहीं, यह आप खुद कहते हैं तो आइन्दा यह नजीर पैदा न हो और इस तरह से अनुपस्थित रहने वालों को प्रोत्साहन भी न मिले इसके लिये आप कोरम के रूप को रिलेक्स कर दीजिये। इसके लिये आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो स्वयं इस बात को मानता हूं कि दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि कोरम मेन्टेन रहना चाहिये और इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन के लिये कभी भी उचित नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही चलेगी तो यह सदन कार्य करने में सक्षम नहीं हो पावेगा। इसलिये मैं जितने यहां माननीय सदस्य हैं उन्हीं को कह सकता हूं। अब कोरम नहीं है और कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो सिवाय घंटी बजाने के इस आसन का और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आप रूल को रिलेक्स कर सकते हैं। और, फिर इस हालत में यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि क्योंकि "हां" पक्ष के लोगों के मुकाबले में इस वक्त विरोधी पक्ष के लोग बहुमत में हैं, तो कार्यवाही को चालू देखकर वे स्वतः फौरन आ जावेंगे क्योंकि जैसे ही यह प्रस्ताव पास होता है सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिये निवेदन है कि रूल को रिलेक्स कर दीजिये। जब वे देखेंगे कि यह प्रस्ताव पास होने वाला है तो वे हाजिर हो जावेंगे।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, कोरम है इस समय।

श्री उपाध्यक्ष (श्री सचिव से): कोरम बैल बजाइये।

(पुनः गण-पूरक घंटी)

सब अपनी जिम्मेदारी को समझ कर कोरम को पूरा करने की अपना कर्तव्य समझेंगे और जो पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस है उसके अनुसार भी यह गवर्नमेन्ट बैन्चेज की ड्यूटी हो जाती है कि कोरम नहीं है तो उसे पूरा करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा: Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: Since there is no quorum, there can be no point of order.

श्री मानिक चन्द सुराणा: हम लाये हैं आदमी। आप देख सकते हैं, कोरम है। There is quorum.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अब वे भाग रहे हैं फिर ?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप प्रारम्भ करें अपना भाषण।

श्री भैरोंसिह: फिर तो मंत्री महोदय भी चले जावें तो अच्छा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दस मिनिट का समय तो कोरम को पूरा करने में ही लग गया है। और इसको पूरा नहीं करने में जो पार्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से अदा किया गया है उससे ऐसा लगता है कि जो समस्या हमारे सामने है, वह चाहे कितनी ही गम्भीर क्यों न हो, "हां" पक्ष के लोग उस समस्या का हल नहीं ढूंढना चाहते, बल्कि उससे भागना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोरम पूरा न हो और यह मामला टाक आउट हो जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह आपका कहना गलत है। हम कोरम चाहते है मैं घंटी बजते ही आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना भाषण प्रारम्भ रक्खें।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समस्या का हल ढूढने का कोई दृष्टिकोण अभी सरकार ने नहीं बनाया है। या किसी दृष्टिकोण की निन्दा करने के लिये मैं नहीं बोल रहा हूं अगर उसने कोई बनाया है तो। पर चाहता हूं कि समस्या के प्रति वे अपना दृष्टिकोण बदलें। आखिर उन्होंने जो १४ केरेट का सिद्धान्त लागू किया है उससे ही यह समस्या पैदा हुई है। मैं, उस सिद्धान्त को गलत या सही रूप से लागू किया है इसमें नहीं जाता। क्योंकि इसस दन का यह अधिकार नहीं कि इस मूल नीति में वह कोई परिवर्तन ला सके। पर सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा कि २४ कैरेट या २२ कैरेट से जो नियंत्रण लागू किया जा सकता था उसको १४ से लागू करने में कोई रेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर इसके पीछे कोई रेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है और इसके फलस्वरूप दस बीस लाख आदमी बेकार होते हैं तो उन लोगों को काम देने की, रोजगार दिलाने की, नये धन्धे देने की, उनको नये एम्पलोयमेन्ट में लगाने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है।

जिस प्रकार से बम्बई में सरकार ने जब प्रोहीबिशन की नीति को लागू किया तो चाहे उसका लोगों ने विरोध किया, पर लागू किया उसने और उसके जो भी परिणाम हुए, क्राइम बढे, बेकारी बढी तो उसका सामना किया। उसी प्रकार से निवेदन करना चाहूंगा कि १४ कैरेट की जो नीति लागू की गई है उससे सरकार का मकसद पूरा नहीं होगा। इस देश में १८ सौ करोड रुपये का सोना ऐसा है जिसको सरकार कहती है कि अन्डरग्राउन्ड है। और यह सारा सोना भी इस नीति के फलस्वरूप सरकार के पास आ जावे तो हां पक्ष के लोगों को पूछना चाहूंगा कि १८ सौ करोड से कौन अचीवमेन्ट आप आप करना चाहते हैं। यदि हजारों वर्षों तक लोगों ने सोना इकट्ठा किया और वह भी १८ सौ करोड की कीमत का है और जिसे सरकार एक वर्ष या दो वर्ष में लेना चाहती है तो उसे आप दूसरी और तीसरी योजना में खर्च कर देंगे फिर चौथी में क्या होगा ? तब आप रुपया कहां से लावेंगे और सबसे बड़ा मामला इन बेकार लोगों का क्या होगा ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: On a point of order, Sir, ट्रेजरी बैंचेज इधर आ गई। I am sorry, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा: ज्यों ज्यों हम भुखमरी का मुकाबला करते हैं तो कहा जाता है अपना सोना बेच दो और मुकाबला करो। किसी भी आर्थिक विषमता की परिस्थिति में यह सोना काम में आता है। अगर उनकी नीयत कि ऐसी आर्थिक विषमता की स्थिति में यह सारा सोना काम आ जावे, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ जेवरात को छोड़ कर नान-जेवरात के सोने का ही डिक्लेरेशन वे नहीं मांगते। हालत तो यहां और ही है। जेवरात में जितना सोना लगा है और जो लोगों के कब्जे में है चाहे वह मिनिस्टरों के कब्जे में हो, चाहे किसी बड़े सरकारी अफसर या पूंजीपति व्यवसायी के कब्जे में हो, सारे का डिक्लेरेशन मांगते। पर आप गौर फरमावेंगे कि आज सिर्फ नान-आरनामेन्टल सोने का डिक्लेरेशन मांगा है। इस फरक का कोई आधार सरकार के पास नहीं है। अगर आप सारे सोने का डिक्लेरेशन मांगते तो हरेक को यह बताना लाजमी हो जाता और इसके बाद में किसी के पास में ज्यादा सोना पाया जाता तो सारा सोना जब्त कर सकते थे अगर वे उस सोने का सोर्स नहीं बताते तो। अगर सरकार ऐसा करती तो सही समाजवादी सरकार होती। पर कांग्रेस सरकार इस प्रकार की सच्ची समाजवादी नीति को अख्तियार नहीं कर सकती। वह नहीं चाहती कि पूंजीपतियों के पास जो जेवर हैं वह सरकार के पास आ जावे और उसी से तीसरी योजना का लक्ष्य पूरा हो जावे। वह यह भी नहीं चाहती कि राजा महाराजाओं और मिनिस्टरों तथा सरकारी बड़े अफसरों के पास में भ्रष्टाचार के जरिये या और किसी जरिये से किसी गलत तरीकों से सोना आया हुआ है वह सरकार के पास आए और उसकी भी लिस्ट बने क्योंकि आखिर नियम बनाने वाले बड़े बड़े आई. सी. एस. अफसर हैं, मिनिस्टर हैं, इसलिये अपनी तोंद बचाने के लिये बड़े बड़े पूंजीपतियों को बचाने के लिये जिनसे उनकी सांठ गांठ है उन पूंजीपतियों का दामन बचाने के लिये, नान-आरनामेन्टल गोल्ड का ही डिक्लेरेशन मांगा है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके द्वारा जो यह फर्क किया गया है उसकी तो निन्दा करता ही हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक सरकार आरनामेन्टल गोल्ड का डिक्लेरेशन नहीं लेती है तब तक सरकार वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रहेगी और असमर्थ रह रही है। अब यदि आप यह चाहते कि सोना लोग न रखें तो फिर आप उसका परमिट कर सकते थे और आप कह सकते थे कि ८ तोले से ज्यादा सोना या १० तोला सोना से ज्यादा जितनी भी सीमा आप रखना चाहें उससे ज्यादा सोना कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन इस प्रकार का आपने कोई परमिट नहीं बनाया। आज कोई भी आदमी सौ तोला, पांच सौ तोला सोना लेकर अपने पास रख सकता है। आपने यही तो पाबन्दी रखी है कि १४ कैरेट से ऊपर का कोई भी जेवर नहीं बनवा सकता तो एक तोले का दो तोला सोना बना लिया जायेगा। एक जेवर की जगह आप दो जेवर बनवाने की छूट देना चाहते हैं लेकिन एक आदमी सोना कितना रख सकता है इसके ऊपर सीलिंग नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आप सीलिंग नहीं लगाते हैं और आरनामेन्टल गोल्ड का डिक्लेरेशन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं मांगते हैं तब तक आपकी नीति बिल्कुल दुर्लक्षपूर्ण है और इसका नतीजा यह हुआ है कि न तो आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर पारहे हैं और इसका दूसरा नतीजा यह हुआ है कि आपने २० लाख आदमियों को बेकार कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट। इसके साथ ही आप उन बेकार लोगों की तरफ से आंखें मूंदना चाहते हैं। आखिर आप स्वयं ही देखें इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है? सिर्फ यही तो कहा गया है कि आप उन बेकार लोगों को जमीन के अलाटमेन्ट में, कुटीर के उद्योग धंधों में, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दें। यह सही है कि सुनारों को जमीन के अलाटमेन्ट में फायदा नहीं है लेकिन आप उनको आर्डिनेन्स फैक्टरीज़ में भेज सकते हैं, दूसरे वर्कशाप्स में भेज सकते हैं सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दे सकते हैं। तो सरकार को यह कहना चाहिये कि इससे जो भी बेकारी उत्पन्न हुई है हालांकि इसको हमें मानना होगा कि यह गलत नीति के फलस्वरूप हुआ है इसके ऊपर सरकार जागरूक हो कर जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए विशेष प्रयत्न इस तरह के करने चाहिये कि जिससे जो स्वर्णकारों की इमीडियेट प्राब्लेम है वह फौरन हल होसके।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया है वह संकल्प इस प्रकार से है: "इस सदन की सम्मति है कि भारत सरकार के सोना नियन्त्रण कानून के कारण सोने के कार्य करने वाले स्वर्णकारों में फैली हुई बेकारी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार तुरन्त उचित कार्यवाही करे"। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर उन्होंने जो बहस की उस बहस में ज्यादातर इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार का स्वर्ण नियन्त्रण आदेश क्या है या भारत सरकार की स्वर्ण के विषय में नीति क्या है और यहां दूसरे भी माननीय सदस्य जिन्होंने इस बहस के अन्दर भाग लिया उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया और मुख्य चर्चा जो इस सदन की सीमा में थी उस पर मैं समझता हूं कि गौण रूप से विचार किया गया जब कि उन्होंने इस नीति का जो भारत सरकार ने निर्मित की है उसके सम्बन्ध में विरोध किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नीति का निर्माण हमारी भारत सरकार ने किया है उसके औचित्य के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि ऐसा हमारे धर्म-शास्त्र में लिखा है कि सोना कोई पहनता है तो कहते हैं कि कलयुग का वास होता है। आप लोग यह जानते होंगे कि मारिच जो था उसने किस प्रकार से सोने का आवरण रखकर भोलीभाली सीता का हरण कराया था। आप स्वयं ही देखिये कि इस सोने में किस प्रकार का प्रलोभन है, किस प्रकार का आभास हो सकता है इस सोने के कारण और इसी कारण से हमारे देश में जो तस्कर व्यापार होता था उसको मिटाने के लिए भारत सरकार ने इस नीति का निर्माण किया · ·

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir

(श्री ज्वाला प्रसाद)

सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके दायरे के बाहर बहस होरही है। जब यह दूसरों को दायरे के बाहर मानते हैं तो खुद दायरे में क्यों नहीं बोलते।

श्री भीखाभाई : कुछ मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनको टच करता हुआ नहीं चलूं तो फिर कैसे होगा। तो मैं कहता हूं कि उनकी बातों को टच करते हुए न चलू तो उनके प्रश्नों का उत्तर मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं थोड़ा सा उसको टच करते हुए चला जा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सोना कलयुगी अवतार है तो सरकार उसको क्यों मोल ले रही है ?

श्री भीखाभाई : सरकार उससे मोह छुडवा रही है। हमारी परम्पराओं में सोने का बहुत महत्व रहा है लेकिन आज की सरकार यह जानती है कि क्योंकि हमको आज के युग में जो निर्माण के कार्य करने हैं और योजनाओं के लिये जो दबा हुआ सोना है जिसका अनुमान ५ हजार करोड रुपये का है · · · ·

श्री भैरोंसिंह : १८५० का कहा है।

श्री भीखाभाई : मैं प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट की वात कह रहा हूं।

श्री **भैरोंसिंह** : प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी नहीं है।

श्री भीखाभाई : तो जो फिगर आप बता रहे हैं उसी के अनुसार ले लेते हैं। जिस प्रकार से सोना दबा हुआ है आज आपत्-कालीन स्थिति को देखते हुए इस प्रकार के सोने की आवश्यकता है इसलिये भारत सरकार ने जो सोने के ऊपर नियन्त्रण किया है मैं समझता हूं बहुत ही वाजिब है। अगर आज यह कहा जाता है कि लोगों ने सोने के बॉण्ड नहीं लिए मैं आपको विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं कि सोना जरूर निकलेगा और इसलिए निकलेगा कि आज नहीं तो कल जब नीतियों का निर्माण होता है जब नीतियों से इतिहास बनता है और उससे सामाजिक दृष्टिकोण बदलता है। जैसा कि माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं उन्होंने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण में फर्क आया है। हम इस नीति के समर्थक हैं और समर्थक रहेंगे। जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा · · · ·

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं कोलायत से आया हूं।

श्री भीखाभाई : कोलायत से सही। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के पास बहुत सा सोना है, मिनिस्टरों के पास बहुत सा सोना है लेकिन हम समझते हैं कि नीचे तबके से आने वाले वह चाहे मिनिस्टर हों या एम. एल. ए. हों उनके पास सोना नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार आपके सहयोग से सफल होगी, यह मुझे आशा है। इसके अलावा मैं दूसरी बात यह कहना चाहता था कि एम्प्लायमेन्ट के बारे में एक बात कही गयी। मैं जानता हूं और हम सब लोग इसके लिए सतर्क हैं। मैं कह दूं कि मैं उन लोगों से मिल चुका हूं और उनके प्रतिनिधियों से भी मिला मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं। इस पर मैंने तुरन्त उनको कहा कि अपना नाम तुरन्त एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में दर्ज

(श्री भीखाभाई)
करा दीजिये कुल मिला कर मैं कहना चाहता हूं कि दो दिन पहले की मेरी जानकारी है कि केवल दो सुनारों ने जयपुर में अपने आपको रजिस्टर कराया है। आपने यह कहा कि यह व्यवस्था की जानी चाहिये जिसमें यह देखा जाना चाहिये कि किस प्रकार से इन लोगों की हम मदद कर सकते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस में आने की व्यवस्था की है।

यहां यह मैं कहूंगा कि बहस के दौरान में यह कहा गया कि उनको जमीन दी जाय ताकि वे खेती कर सकें। मैं कहता हूं कि सोने के हाथ, सोने का काम करते हुए जमीन का काम नहीं कर सकते हैं।

(विराम)

लेकिन यह बात सही है जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने लैटर दिया है उसमें लिखा है यह वाजिब है कि जहां तक १४ कैरेट के जेवर बनाने का सवाल है मैं इस बात को महसूस करता हूं मैंने देखे भी हैं जेवर बने हुए कि यह बात सही है कि उनमें कालापन आता है पहनते वक्त। लेकिन मैं यह कहता हूं कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता यह बात गलत है। आज की संकट-कालीन स्थिति की बात करते हैं जब कि देश के अन्दर हम यह देखते हैं कि संकटपूर्ण स्थिति है और योजनाओं के लिये हमें धन मिले, तब तो यह कठिन बात नहीं है। किसी चीज में करना ही नहीं है सुधार तब तो बात अलग है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ४ लाख लोग बेकार होगये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट को पढा था महाराष्ट्र की और वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल ने एक कमेटी मुकर्रर की थी उसी तरह महाराष्ट्र में एक कमेटी कायम की गई और उसने बताया है कि करीब २५,००० लोग हैं और आपने कहा कि हमारे यहां ५ लाख लोग हैं।

श्री भैरोंसिह : इसमें डिपेन्डेन्ट्स भी शामिल हैं।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के श्रमिकों ने जो राजस्थान सोना-चांदी श्रमिक संघ जयपुर ने एक ज्ञापन दिया है तो उन्होंने जो उसमें लिखा है वह इस प्रकार है:—

"नम्र निवेदन यह है कि स्वर्णकारों की जनसंख्या अनुमानतः २० हजार से ज्यादा है। हमारी तरफ से इन लोगों की जनसंख्या की गणना अखिल भारतीय आधार पर करने का आदेश कर चुके हैं और चन्द दिनों के अन्दर जनगणना के आंकडे प्रकाशित करेंगे।"

श्री भैरोंसिह: ये आंकडे जयपुर के होंगे।

श्री भीखाभाई : यह थ्रू आउट राजस्थान का है। यह ज्ञापन राजस्थान सोना-चांदी श्रमिक संघ का है।

श्री भैरोंसिह : यह जयपुर का होगा।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने जो चुनौती दी है उन्होंने जो कारण बताये हैं वह वाजिब नहीं है। राजस्थान में लगभग ३२ हजार गांव

(श्री भीखाभाई)

हैं उसमें एक गांव में एक सुनार हो जो कि ज्यादातर चांदी का काम करते हैं। बेचारे सोने की शक्ल नहीं देखते हैं मुश्किल से कहीं तोला दो तोला किसी के पास होता है। मैं डूंगरपुर और बांसवाडा की बात करता हूं कि वहां पर चांदी का काम ही बड़ी मुश्किल से होता है, सोना तो उनको बेचारों को नसीब नहीं होता है। १-२ तोला किसी पटेल या जाट वाट जो होते हैं (हंसी) उनके पास मिल जाता है तो उनकी बात अलग है। मैं कहता हूं कि वे गरीब लोग हैं तो उनके पास सोने का सवाल नहीं है, काश्तकार बहुत से देहाती लोग हैं उन लोगों के पास सोने का सवाल नहीं है। अधिकतर वहां के देहाती सुनार-चांदी का काम करने वाले हैं या दूसरी धातु का काम करने वाले हैं। जो माननीय सदस्य जयपुर से आते हैं उनकी बात को मैंने बड़े आदरपूर्वक व ध्यान से सुना है और मैं समझता हूं कि उनके सामने तथ्य थे, जहां तथ्य के साथ दलील देते हैं तो वाजिब है लेकिन जहां झूंठ के साथ उसका प्रयोग करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है।

मीनाकारी व जड़ाई का जो काम है वह इस प्रकार का है और खास तौर से राजस्थान के लिये बड़ा मशहूर काम है और राजस्थान में बहुत बड़ा काम है। उसके बारे में हम भारत सरकार से जहां तक हो सकेगा इस बात का प्रयत्न करेंगे कि किसी प्रकार से उनका जो धन्धा है, जो आर्ट है जिसमें कला है, कल जो श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मुझसे मिलने आये थे तो उनके पास मैंने एक रजिया का चित्र देखा था वह बहुत ही सुन्दर चित्र था, उन्होंने कहा कि यह चीज १४ केरट पर नहीं बन सकती है। इस सम्बन्ध में मुरारजी भाई से मिले हैं और उनसे इस बात का जिक्र आया तो इस बात का करेंगे कि प्योर गोल्ड उनको मिले इस बात की कोशिश करेंगे इस आर्ट के लिये जो कि फोरिन एक्स्चेन्ज के सोर्स की जरूरत है, इससे फोरिन एक्स्चेन्ज कमाया जा सकता है तो हम निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का आर्ट बच जाय तो मैं एक बात · · ·

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनको एग्जेम्प्शन दिलाने की कोशिश करेंगे मतलब यह है।

श्री भीखाभाई : और एक माननीय सदस्य ने कहा, यहां पर संगमरमर के बारे में बात हुई है कि यहां संगमरमर के बारे में कुछ प्रयास किये जाने चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सुझाव को भी हम देखेंगे। हमारे पास सुझाव आये थे श्रमिकों का जो सोना चांदी श्रमिक संघ है उन्होंने यह बात रखी है कि वे ड्रिलिंग का भी काम कर सकते हैं तो उसकी जांच करने का सवाल है। हमारे पास जो नोटिस में आये हैं उसके अन्तर्गत जो आदमी इन्डस्ट्री के अन्दर लिये जासकते हैं उस बारे में व्यवस्था करेंगे।

अभी एक कमेटी हमारे उप मन्त्री जो हैं उनकी अध्यक्षता में कायम की है, डिप्टी मिनिस्टर इन्डस्ट्री उसके चेयरमैन हैं, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी श्री सोहनलाल, जयपुर से रिप्रेजेन्टेटिव हैं, डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज उसके मेम्बर हैं। तो उस कमेटी की स्थापना की है। यह कमेटी किस हद तक इस प्रकार से जो बेकारी पैदा हुई है और ऐसे लोगों को आल्टरनेटिव धन्धा दिया जा सकता है उस बारे में विचार विमर्ष करे और शीघ्रातिशीघ्र मिलकर इस समस्या

(श्री भीखाभाई)

पर विचार करे और राज्य सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो राज्य सरकार इस बारे में विचार करेगी कि क्या हो सकता है। उसके दरमियान में मैंने श्रमिक संघ से कहा है कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क स्थापित करेंगे तो मैं भी जहां काम होगा वहां उनको दिलाने की चेष्टा करूंगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो है वह उससे बेखवर नहीं है। हमारे राज्य के माननीय मुख्य मन्त्री ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। भारत सरकार की ओर से उस पत्र का जवाव आया है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस तरह से राज्य सरकार जितना सहयोग हो सकता है देने को तैयार है और जो भी माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें सामनें लायेंगे उन पर ध्यान दिया जायगा।

श्री भैरोंसिह : पत्र में क्या लिखा है भारत सरकार के?

श्री भीखाभाई : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था, मैं माननीय सदस्य के हित की ही बात कह रहा था। जिस बात को वे कहना चाहते हैं मैं उसको कहता हूं। मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हमारे नोटिस में जो चीज वे लायेंगे तो जरूर उस पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही की जायगी।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो संकल्प उन्होंने रखा है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको वे वियड्रा करेंगे, और दोनों तरफ के लोग जो हैं वे सहयोग की भावना के अन्दर इस काम को उठायेंगे और इस समस्या का हल करेंगे। यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त होना चाहता है।

श्री भैरोंसिह : थोडा सा वढा दें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या समय बढाने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या सदन की अनुमति है?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर वे कहेंगे तो कर देंगे।

श्री भैरोंसिह : वढा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समय वढाये बगैर काम नहीं चलेगा?

श्री भैरोंसिह : १० मिनट और बढादें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है १० मिनिट का समय बढा दिया जाय?

(स्वीकृत)

दस मिनट का समय बढाया गया।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, कलयुगी मन्त्री का मैंने अभी भाषण सुना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कलयुगी तो मन्त्री हैं और सम्माननीय सदस्य सतयुगी हैं।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : (उप-मंत्री शिक्षा) कलयुगी सदस्य कह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : उनके भाषण से ऐसा लगता है कि वे शायद ऐसा समझकर चलते हैं कि कलयुग में जिस तरह का भी जनता के साथ अन्याय कर दिया जाय वह वाजिब है। उनकी कल युगी धारणा के बारे में मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है। उन्होंने यह बताया है कि हम उनको रोजगार दिलाने के संबंध में बहुत ही चिंतित हैं और आपने यह भी कहा कि जितने भी श्रमिक स्वर्णकार हैं वे उनके पास आयें तो उन्होंने उनसे कहा कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखायें और बड़े जोरों से कहा कि मेरे हुक्म के बावजूद केवल दो नाम ही आये। अब इस बात का यह संकेत है कि जो कुछ उनके बीच में बात हुई और उन्होंने जो आश्वासन दिया उसका असर श्रमिकों पर क्या हुआ? कोई असर नहीं हुआ। मन्त्री का आश्वासन नहीं माना। मन्त्री ने जो सलाह दी उसके अनुसार काम नहीं किया।

श्री भीखाभाई : दो पेश हुए थे। अब रजिस्टर कराने के लिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह इस बात का संकेत है कि मन्त्री महोदय में स्वर्णकारों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं है।

श्री भीखाभाई : पूरा विश्वास है।

श्री भैरोंसिंह : देश में उनके आंकडों के लिये वे कहते हैं कि ३२ हजार स्वर्णकार हैं। मैंने कहा कि केवल सुनार जाति के लोग ही बेकार नहीं हुए हैं बल्कि उनसे सम्बन्धित ३९ प्रकार का धन्धा करने वाले लोग बेकार हुए हैं। उन ३९ प्रकार के लोगों की यदि आप गणना करें तो उनकी संख्या ५ लाख से कम नहीं हो सकती। आपने केवल जयपुर के बारे में बताया। अकेले जयपुर में ३२,००० डिपैन्डेन्ट्स इस प्रकार के हैं जो आपकी नीतियों से बेकार होते हैं। पूरे राजस्थान की संख्या निकाल कर देखेंगे तो लाखों तक पहुंचेगी उनके लिये आप कुछ नहीं करने वाले हैं। ३२,००० को ही रिहेबिलिटेट करना आपके लिये मुश्किल हो रहा है तो मानकर चलिये कि जहां लाखों परिवार रहते हैं उनका कल्याण आप नहीं कर सकते। उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, अनाज के लिये तडप रहे हैं, रोटी और कपड़े के लिये तरस रहे हैं लेकिन आप उनकी चिन्ता नहीं करके योजना चलाने की चिन्ता करते हैं। सोना लेकर योजनाओं को सफल करना चाहते हैं। आखिर योजनाएं किस लिये हैं? योजना क्या लोगों को भूखों मारने के लिये हैं? एक तरफ लोगों को भूखों मार कर अनाज के दाने दाने के लिये तडपा कर, और उनकी रोजी छीन कर आप योजना चलाना चाहते हैं तो वह योजना किस काम की ? यदि इस तरह की योजना है तो यह कलयुगी योजना है, कलयुगी मन्त्री हैं और कलयुगी सरकार है और आपके जितने दूसरे लोग हैं वे सब कलयुगी हैं। आपके यहां जितने मन्त्री बैठे हुए हैं वे योग्य कहलाते हैं तो क्या आप अपनी योग्यता से योजना में कटौती नहीं कर सकते? यदि आपको धन की आवश्यकता थी तो उसकी पूर्ति योजना में कटौती करने से हो सकती थी और लोगों के पास जो रोजगार था उसमें कमी नहीं आती।

आप कहते हैं कि स्वर्णकारों के लिये एक कमेटी बैठादी है उप–मन्त्रीजी की अध्यक्षता में और इन ३२,००० लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने एक बात यह

(श्री भैरोंसिंह)

भी कही कि ये लोग खेती नहीं कर सकते क्योंकि ये सोने के ढेर पर बैठने वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि भूखों मरता हुआ आदमी क्या नहीं कर सकता। सोने के ढेर पर बैठने वाला आदमी यदि भूखों मरता है तो उसको पेट के लिये मिट्टी भी उठाकर फैंकनी पड़ेगी तो फैंकेगा, उसको यदि जंगल काटना पड़ेगा तो जंगल भी काटेगा। भूखों मरते हुए खेती कैसे नहीं करेगा जब कि नेता लोग जिनके यहां पीढियों से खेती नहीं हुई वे जयपुर से १२ मील की दूरी पर गरीबों के खेतों पर कब्जा करके कैसे खेती करते हैं? जो राजा महाराजा थे और महलों से नीचे नहीं उतरते थे वे आज कैसे खेती करते हैं? लेकिन ये गरीब बेरोजगार स्वर्णकार कैसे खेती करेंगे जब कि आप उनको जमीन नहीं देंगे? उनको जमीन देने के नाम पर आप कहते हैं कि सोने का काम करने वाले खेती कैसे कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि सोने का काम करने वाले खेती कर सकते हैं, सोने का काम करने वाले मजदूरी कर सकते हैं क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है पेट का। उसको पूरा करने के लिये हर तरह का काम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण लेकर चलेंगे कि वे खेती नहीं कर सकते, बाकी काम नहीं कर सकते तो उनके साथ यह अनुचित व्यवहार आप कर रहे हैं। २ महीनों में आपने उनके लिये क्या किया? आपने उनको कोई रोजगार नहीं दिया, कोई कर्जा नहीं दिया। आपने उनको खेती की जमीन नहीं दी, उनको आपने कोई नौकरी नहीं दी। ऐसी हालत में भी राजस्थान सरकार लाखों व्यक्तियों का रोजगार छीन कर यह कहती है कि हम उनके लिये कमेटी बनाना चाहते हैं। अरे आज जब वे भूखों मर रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं दिया है, कोई कर्जा नहीं दिया है, पेट पालने के लिये उनका मकान सब कुछ बिक रहा है तब भी सरकार कहती है कि हम उनके लिये कमेटी बना रहे हैं और उस पर भी आप कह रहे हैं कि हमारी नीति अच्छी है, हम लोगों से सोना ले रहे हैं, आप उनका सब कुछ ले लें। आपने उनकी रोटी ले ली आप उनका कपड़ा ले लें, उनके पास जो कुछ हो वह ले लें आपको संतोष नहीं होता हो तो मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगार और भूखे लोगों की बद्दुआ से आप जिन्दा नहीं रह सकेंगे।

कल जब हमने यह कहा था कि मन्त्रि-मन्डल में कमी करके खर्चे में कमी करिये उस समय आपको बंगले और मोटरें याद आने लगीं और कहने लगे कि मन्त्रि–मन्डल में कमी नहीं करेंगे क्योंकि काम में नुकसान होगा। आपको सरकार के काम की परवाह नहीं है लेकिन आप अपने बंगले और मोटर का मोह नहीं त्याग सकते। आपको अपना स्वार्थ और पेट कैसा लगता है उसी तरह से दूसरों के बारे में भी समझना चाहिये। मेरा प्रस्ताव बहुत ही सीधा साधा सा है। इसको न मानना राजस्थान सरकार के लिये सौभाग्य की चीज नहीं होगी। यह किसी पोलिटिकल चीज की मांग नहीं है। सरकार इस बेरोज-गारी की समस्या के लिये उचित कार्यवाही करे। इस प्रस्ताव पर मत होगा। यदि आप इसके खिलाफ जायेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि सरकार उनकी बेरोजगारी को दूर करने की चेष्टा नहीं करेगी। यदि मतगणना में बहुमत से

(श्री भैरोंसिंह)
आपने इसको पास नहीं होने दिया तो यह आपके हित में अच्छा नहीं होगा, सरकार की कार्यवाही के हित में अच्छा नहीं होगा। प्रस्ताव के नाकामयाव होने का मतलब यह है कि सरकार इन लोगों के बेरोजगारी की समस्या को समाधान नहीं करना चाहती। मैं फिर कहता हूं कि कलियुगी बातों से काम न लें, व्यवहारिक बातों से काम करें। यह विचार करें कि प्रस्ताव गिराने का क्या अर्थ होता है, मन्जूर करने से क्या होगा? सरकार की तरफ से यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आता तो हम सब उसका साथ देते। मैं ज्यादा नहीं कह कर यही कहूंगा कि रोजगार दिलाने के लिये आप उचित आश्वासन दिलाना चाहते हैं तो आपको प्रस्ताव मन्जूर करना चाहिये। यदि आप इन बातों को नहीं मानना चाहते हैं और इस प्रकार से अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो भगवान के भरोसे इसको छोड़ता हूं भगवान ही बेरोजगारी को दूर करने की चेष्टा करेंगे। मैं इस प्रस्ताव को सदन की मन्जूरी के लिये प्रस्तुत करता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: ट्रेजरी बैंचेज से पूछ लिया जाय कि यदि उनको प्रस्ताव पास करने में एतराज नहीं हो तो एक मत से इसे पारित किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : जैसा कि मन्त्रीजी ने कहा है जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिये कमेटी बैठाने का निश्चय किया गया है। इस आश्वासन के बाद प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है, उनको विथड्रा करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री भैरोंसिहजी ने रखा है उसे पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से बोलता हूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिह जी ने प्रस्तुत किया है उसे पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

श्री भैरोंसिह : जीत हमारी हुई है, Ayes, have it, Sir. We want division on this issue.

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय फिर बढाना पडेगा। For division it will have to be extended.

'हां' पक्ष वाले कृपया खडे हो जावें।

(हां पक्ष वाले खडे होते हैं)

श्री भैरोंसिह : प्रस्ताव इस बात का है कि स्वर्णकारों के बेरोजगारी की समस्या दूर होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : 'ना' पक्ष वाले खडे हो जावें।

(कोई खडे नहीं होते हैं बाद में एक सदस्य खडे होते हैं)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : we have it Sir. कोई खड़े नहीं हुए। Only one, Sir. Result has come.

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष जीता।

सदन की बैठक १२ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक म.प. ५ बजकर १० मिनिट पर मंगलवार, दिनांक १२ मार्च १९६२ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक — स्कम्भ १७११

एडवर्ड मिल ब्यावर का प्रबन्ध ।

रेन्जर की ट्रेनिंग के लिये परीक्षा ।

टोंक में फोरेस्ट सैटलमेन्ट का कार्य ।

जागीरदारों द्वारा फलदार वृक्षों के मुआवजे का दावा ।

खारची तहसील के संवराड़ गांव का लगान ।

वल्लभनगर में प्लान्टेशन ।

अनियमितता के आरोप ।

आबपाशी की वसूली, जिला भरतपुर ।

जेतपुरा बांध निर्माण योजना-मांडलगढ ।

पंचायत समितियों की बैठकों के लिये स्टेनोज ।

चितौड़ में ईट, मिट्टी व रेत पर रोयल्टी की वसूली का ठेका ।

एडवर्ड मिल ब्यावर द्वारा हटाये गये श्रमिक ।

रायल्टी की रकम ।

कमेटी ग्रॉफ एक्स्पर्ट्स ऑन इकोनोमिक युटिलाइजेशन ग्रॉफ लिग्नाइट की सिफारिशें ।

रूपारेल नदी की नहर ।

आइदान-का-बास की जागीर के जागीरदारों को लगान की रकम की वापसी ।

बीकानेर में गन्दा नाला ।

टोंक जिले में सरपंचों के खिलाफ जांच ।

स्कम्भ

मेजा बांध से सिंचाई ।

मृत्युभोज करने के अपराध के मामले ।

लूणकरणसर के हरिजन परिवार ।

भरतपुर जिले में सहकारी विभाग द्वारा ऋण ।

नानेर में औषधालय ।

चित्तौड़गढ में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि ।

सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी के मजदूरों का प्रोविडेन्ट फण्ड ।

सिवाय चक के पट्टे—ग्राम चैंकोरा ।

श्रम सलाहकार बोर्ड ।

जालोर जिला अस्पताल में बिजली ।

जयपुर की विभिन्न योजनायें ।

तहसील बसवा में बंध योजना का सर्वे ।

हिन्डोन का खारी नाला ।

स्थगित प्रश्न

(२-३-६३ का)

डाक्टरों तथा वैद्यों की वेतन-श्रृंखलायें ।

भेड व बकरियों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर कर ।

सैल्स टैक्स की अदायगी—भरतपुर ।

२. सदन की मेज पर रखे गये प्रतिवेदन स्कम्म

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नांकित प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखा :—

(१) राजस्थान लोक सेवा आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक), व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं।

(२) राजस्थान लोक सेवा आयोग का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक), व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, जिसमें आयोग की राय न मानने के कारण दिये गये हैं।

३. गैर सरकारी सदस्य कार्य

(क) विधायी कार्य—पुरःस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित गैर सरकारी विधेयक सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत :

(१) राजस्थान प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1963]

(२) राजस्थान सांस्कृतिक संस्था विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Cultural Institute Bill, 1963]

श्री मानिकचन्द सुराणा स्कम्म

(३) राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९६३]

[The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Amendment Bill, 1963]

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत:

(४) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Prevention of Mrityu Bhoj (Amendment) Bill, 1963]

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(५) राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Shops and Commercial Establishment (Amendment) Bill, 1963]

श्री कुमारानन्द:

(६) इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३

[The Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Bill, 1963]

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(७) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६३

[The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1963]

श्री हरिराम चौहान स्कम्भ

(८) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३
[The Rajasthan Panchayat Samitis and Z la Parishads (Amendment) Bill, 1963]

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(९) राजस्थान मंहगाई भत्ता विधेयक, १९६३
[The Rajasthan Dearness Allowance Bill, 1963]

श्री अब्दुल जब्बारखां :

(१०) राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६३
[Tho Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill, 1963]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

(११) राजस्थान मिनिस्टर्स सेलेरीज (संशोधन) विधेयक, १९६३
[The Rajasthan Ministers' Salarics (Amendment) Bill, 1963]

(ख) संकल्प

(१) श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"इस सदन की यह राय है कि ६ एकड़ तक की खेती से लगान नहीं लिया जाये।":

इस संकल्प पर निम्नांकित सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये :—

१. श्री विजयसिंह झाला
२. श्री मुरलीधर व्यास
३. श्री ए. जब्बार
४. श्री उमरावसिंह
५. श्री जोधसिंह स्कम्भ
६. श्री मानिकचन्द सुराणा
७. श्री केदार नाथ

मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाडिया के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

(२) श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"इस सदन की सम्मति है कि भारत सरकार के सोना नियंत्रण कानून के कारण सोने के कार्य करने वाले स्वर्णकारों में फैली हुई बेकारी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार तुरन्त उचित कार्यवाही करे।"

इस संकल्प पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री मुरलीधर व्यास
२. श्री रामकिशन
३. श्री ए० जब्बार
४. श्री जोधसिंह
(संशोधन प्रस्तुत किये।)
५. श्री हरिराम
६. श्री नत्थीसिंह (१२५)
७. श्री मानसिंह महार
८. श्री मानिकचन्द सुराणा

श्रम मंत्री, श्री भीखाभाई, ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक ५ बजकर १० मिनिट पर मंगलवार, दिनांक १२ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १२ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची

आय-व्ययक, १९६३-६४, पर सामान्य वाद-विवाद

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २३८ का उत्तर देखिये)

Copy of letter No.F.4(46)/Irg/60, dated the 13th July, 1960 from the Secretary to the Government, Irrigation Department, Rajasthan, Jaipur to the Chief Engineer Irrigation, Rajasthan, Jaipur.

It was represented to the Government that water rates were charged on lands in District Bharatpur even though water was not supplied through controlled channels but where the area was inundated by floods in the natural course and in respect of bed area of breached tanks and the commanded area of such tanks where water had over flowed through breaches. This question has been examined by a committee appointed by the Government. The Governor has, therefore, on the recommendations of the Committee, been pleased to order:

(*a*) that in the bed of the tanks and bunds where cultivation takes place, the practice already in force of charging the prescribed irrigation dues on matured crops should continue.

(*b*) that in other areas i.e. below the bunds or tanks which came under inundation owing to floods irrigation rates may be charged at half rates in years when as a result of excessive rain the area is declared by the Government as flood affected. Such a declaration was made in the year 1958-59 in respect of affected areas. The Committee considers that this concession will give some compensation for the damage caused to kharif crops by floods while justifying realisation from fields inundated by floods from breaches. This concession will, of course, not apply to areas irrigated by regulator channels from storage tanks etc.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४८ का उत्तर देखिये)

टोंक जिले में सरपंचों के विरुद्ध चल रही जांच के मामलों की सूची :--

क्र. सं.	सरपंच ग्राम पंचायत व संख्या जांच		क.सं.	सरपंच ग्राम पंचायत व संख्या जांच
१	२		१	२
१.	मेदवास		२१.	भारेला
२.	ममोर		२२.	कलमंडा
३.	झिरान		२३.	सोडा
४.	देवली	(२)	२४.	कुहाडा बुजुर्ग
५.	दूनी		२५.	बरवास
६.	धुवांकलां	(२)	२६.	राहोली
७.	आंवा			
८.	मालेडा			
९.	राजमहल			
१०	चरनेटा			
११.	गुराई			
१२.	चौरू	(२)		
१३.	फूलेता			
१४.	रूपपुरा			
१५.	देवली			
१६.	बनेडा			
१७.	खोलिया			
१८.	गनवर			
१९.	पचेवर			
२०.	देशमा			

मामले जिनमें जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई-

१. राहोली
२. बनेडा
३. चौरू
४. गनवर
५. सोडा
६. पचेवर
७. वरवास
८. झिराना

दुवारा जांच के मामले

१. बनेडा
२. चौरू
३. गनवर

परिशिष्ट ३

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी के मजदूरों का प्रोविडेन्ट फंड

२५६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रोवीडेन्ट फन्ड रूल्स के अनुसार प्रत्येक माह की शीट मजदूरों को भेजी जाती है जिसमें फन्ड के पूरे हिसाब का ब्यौरा होता है ?

(२) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी के मजदूरों को करीब एक साल से प्रोवीडेन्ट फन्ड की स्लिप नहीं भेजी जाती ?

(३) क्या यह सही है कि इस कार्य की लापरवाही के कारण फन्ड की रकम प्राप्त करने में मजदूरों के सामने कठिनाइयां पैदा हो रही है ?

(४) यदि हां, तो क्या अब इसकी व्यवस्था शीघ्र करने के आदेश प्रदान करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(१) कामगार भविष्य निधि अधिनियम की धारा ७३ के अनुसार केवल वार्षिक हिसाब ही भेजा जाता है जिसमें वर्ष के अन्त तक के हिसाब का ब्योरा होता है।

(२) १९६०-६१ तक के वार्षिक हिसाब की सूचना भेजी जा चुकी है। सन् १९६१-६२ तक का हिसाब शीघ्र भेज दिया जावेगा। १९६२-६३ का हिसाब ठीक समय पर भेज दिया जावेगा।

(३) नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

सिवाय चक के पट्टे—ग्राम चंकोरा

२५७. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ग्राम चंकोरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के ३१ भूमिहीन अनुसूचित और पिछडी जातियों के लोगों को सरकार ने सन् १९६१ में सिवाय चक के पट्टे दिये थे और उन्हें अक्टूबर सन् ६१ में उस जमीन का दखल भी मिल चुका था ?

उत्तर

यह सही है कि तहसील रूपवास में चैंकोरा ग्राम में ३२ अनुसूचित जाति के सदस्यों को भूमि अलाट की गई तथा अक्टूबर सन् १९६१ में उनको कब्जा दे दिया गया था।

श्रम सलाहकार बोर्ड

२५८. **श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान में कोई श्रम सलाहकार बोर्ड है ? यदि है, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

१९५८

परिशिष्ट

(२) इसका गठन कब हुआ और गठन के बाद इसकी बैठकें कितनी बार किस किस तारीख को हुई ?

(३) यदि एक भी बैठक नहीं हुई, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) इसका गठन सन् १९५३ में हुआ इसकी बैठक निम्न २ तारीखों को हुई:—

प्रथम बैठक १९ व २० अगस्त, सन् १९५३

द्वितीय ३०-१-१९५४

तीसरी १७ व १८ फरवरी, १९५६

चौथी २४ व २५ अप्रेल, १९५८

पांचवीं ६ व ७ अप्रेल, १९५९

छटी ९ व १० अगस्त, १९६०।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूची

Copy of Notification No.F.6(26) Lab/62 dated 6th Aug., 1962 from the Dy. Secy. to the Govt., Labour Department, Jaipur to all Heads of Departments, Rajasthan, Jaipur.

In supersession to this Department Notification No.D.19951/F.6 (34) Lab/58 dated the 3rd Dec., 1958 the Government of Rajasthan is pleased to reconstitute the Labour Advisory Board, Rajasthan and direct that it shall consist of the following members. The Board shall advise the Govt. in regard to such Labour matters as are referred to it by the Government from time to time :—

Minister for Labour .. .. Chairman
Deputy Minister for Labour .. .. ..Vice-Chairman

I. Government Representatives.

1. All Secretaries to Govt. excluding Chief Secy. and Finance Secretary .. .. Member
2. Dy. Secy. to Govt., Labour Deptt., Rajasthan .. ,,
3. Reg. Labour Commissioner (Central), Jabalpur .. ,,
4. Labour Commissioner, Rajasthan, Jaipur .. .. ,,
5. Dy. Labour Commissioner (Laws), Raj., Jaipur .. ,,
6. Dy Labour Commissioner (Welfare) Raj., Jaipur Member-Secretary of the Board

II. Employers Representatives (Public Sector)

1. Chief Engineer, Irrigation .. .. Member
2. Chief Engineer, P.W.D. (B&R) .. .. .. ,,
3. Chief Engineer, Raj. Canal Project .. .. .. ,,
4. Chairman, Raj. State Electricity Board .. .. ,,
5. Chief Engineer, Rana Pratap Sagar Dam .. .. ,,
6. Director of Industries & Supplies .. .. .. ,,
7. Director of Local Bodies .. .. ,,
8. Director of Mines and Geology .. .. .. ,,

परिशिष्ट

9. Director of Printing and Stationery .. .. .. Member
10. General Manager, Raj. State Roadways .. .. ,,
11. General Manager, Ganganagar Sugar Factory, Ganganagar ,,
12. Authorised Controller, Mewar Textile Mills, Bhilwara .. ,,
13. Manager, Jaipur Udyog Ltd., S. Madhopur .. .. ,,
14. Two representatives of Textile Industries .. .. ,,
15. To be nominated by the Rajasthan Textile Mills Owners' Association .. .. ,,
16. One Representative of the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry .. .. ,,
17. One representative of the Rajasthan Udyog Bhopal Manal ,,
18. One representative of the Rajasthan Industries Association, Jaipur. .. .. ,,
19. Two representatives of the Engineering Industry out of National Engineering Industries Ltd., Jaipur .. .. ,,
20. Metals, Man Industrial Corporation and Cimco Wagon Factory, Bharatpur. .. .. ,,
21. One representative of Sugar Mills, Bhupalsagar.. .. ,,
22. One resprsentative of J.K. Synthetics, Kota .. .. ,,

IV. Workers' Representatives.

1. One representative of Rajasthan Elec. and Water Works Federation, Jaipur .. .. ,,
2. Secy. Sugar Factory Labour Union, Bhupalsagar .. ,,
3. One representative of Irrigation Works Federation .. ,,
4. Two representatives of the Rajasthan .. ,,
5. Branch of INTUC .. ,,
6. One representative of Hind Mazdoor Sabha, Rajasthan Branch ,,
7. One representative of the INTUC Rajasthan Branch .. ,,
8. One representative of Rajasthan Public Works Department Workers' Federation .. .. ,,
9. One representative of Rajasthan working Journalists Union .. .. ,,
10. One representative of the Workers of Engineering Industry (Representative of the Union having largest membership may be taken) .. .. ,,
11. One representative of the Workers of Motor Transport (representative of the Union having largest membership may be taken) .. .. ,,
12. Secy. Raj. Press Karamchari Sangh, Jaipur .. .. ,,
13. One representative of the Raj. Municipal Workers Federation ,,
14. General Secy. Lakheri Cement Work's Union of Cement Workers, Karamchari Sangh, Sawaimadhopur (by rotation) ,,
15. President, Zawar Mines Mazdoor Sangh, Zawar Mines. .. ,,
16. Shri Ramesh Chandra Vyas, M.P. .. .. .. ,,
17. Shri Mohan Punamia .. .. ,,
18. Shri Brij Sunder Sharma, M.L.A. .. .. .. ,,
19. Shri Gokal Prasad, M.L.A. .. .. ,,
20. Shri Murli Dhar Vyas, M.L.A. .. .. .. ,,

परिशिष्ट

जालोर जिला अस्पताल में बिजली

२५९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जालोर जिला अस्पताल में बिजली लगाने के लिये इस वर्ष १०,००० रु० सरकार द्वारा मंजूर किए गये थे ? अगर हां, तो वह रकम खर्च की जाकर समय पर बिजली उक्त अस्पताल में क्यों नहीं लगाई गई ? क्या यह भी सत्य है कि सरकार उक्त रकम को खर्च न कर वापिस विथड्रा करना चाहती है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सत्य है कि गर्मी की मौसम में अधिक गर्मी होने से व जालौर अस्पताल मे बिजली न होने से बीमारों को बेहद तकलीफ होती है और बीमारों की जान का भी खतरा रहता है ? अगर हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार उक्त धनराशि खर्च कर कब तक अस्पताल में बिजली लगाने में समर्थ होगी ?

उत्तर

(१) जी हां। जालौर अस्पताल व नए वार्ड में बिजली लगवाने का कार्य चालू है और आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में कार्य सम्पूर्ण हो जावेगा। अतः उक्त धनराशि को वापिस करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(२) जी हां, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली लगाने के आदेश दिये हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बिजली लग जाने की आशा है ।

जयपुर की विभिन्न योजनायें

२६० श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेरी दरवाजे से न्यू कालोनी जयपुर तक बाजार बनने की योजना कब कार्यान्वित हो सकेगी ?

(२) चान्दपोल दरवाजे एवं जालूपुरे के बीच मे बनने वाली मन्डी की योजना का क्या हुआ तथा इसमें ढिलाई क्यों है ?

(३) भारी यातायात को शहर से बाहर होकर निकालने की योजना क्यों नहीं कार्यान्वित हो रही है ।

उत्तर

(१) इस प्रकार की कोई योजना अभी बनाने का विचार नहीं है ।

(२) यह योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा इसमें अलाटमेन्ट भी काफी हद तक किये जा चुके हैं। किन्तु जालुपुरा के निवासियों के द्वारा उनके स्वयं के मकानों के निर्माण काल में इस भूमि पर अधिकार कर लिये जाने के कारण पूर्ण अलाटमेन्ट नहीं किये जा सके हैं । कच्ची बस्ती वालों के हटते ही कार्य शुरू हो सकेगा ।

(३) भारी यातायात को शहर से बाहर होकर निकालने के लिये राष्ट्रीय पथ बाईपास नाम की योजना बनाई जा रही है। योजना पूर्ण होने पर कार्य शुरू कर दिया जावेगा ।

परिशिष्ट

तहसील बसवा में बंध योजना का सर्वे

२६१. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या मंत्री, सिचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील बसवा में बंध मेडा चादेना के निर्माण के लिये कोई योजना व सर्वे पहले हुआ था ? यदि हां, तो उसकी क्या लागत व क्षेत्रफल सिंचाई का था व उसमें कितनी नहरें बनाने की योजना थी ?

(२) क्या सरकार इस पुरानी योजना का पुनः सर्वे करा कर उस आवश्यक एवं उपयोगी योजना को चालू कराने के लिये तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्डोन का खारी नाला

२६२. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हिन्डौन का खारी नाला अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या इसके अपूर्ण रहने से आसपास के गरीब लोगों के घरों को नुकसान पहुंचता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण भी लोगों को असुविधा रहती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस नाले के कारण गन्दगी भी रहती है और बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है ?

(४) क्या सरकार इस नाले व इस पर पुलिया को शीघ्र पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कुछ असुविधा हो सकती है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, ८ मार्च, १९६३)

स्कम सं० १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१७११	१२	श्री नारायसिंह उपाध्यक्ष	श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष
१७१२	अन्तिम से २	(श्री निरंजनाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
१७१५	१	बचते	वेचते
१७२१	शीर्षक	प्रशनोतर	प्रश्नोत्तर
,,	१७	ह	हैं
१७२५	अन्तिम से ६	श्री निनरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१७४६	९, २६	असेस्मेन्ट	असेसमेन्ट
,,	अन्तिम	पाड	फांड
१७५५	१२	श्री दिविजयसिंह	श्री दिग्विजय सिंह
१७६०	१	श्री दिनेशराय डॉगी	श्री दिनेशराय डांगी
,,	१४	राज्य	राज्य भर में होते रहते हैं ?
१७६२	१७	न	ने
,,	२२	जिसम	जिसमें
१७६७	१	म	में
१७६८	१३	ममि	भूमि
१७६९	अन्तिम से १	poin	point
१७७१	शीर्ष	(श्री भैरूंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१७७७	अन्तिम से ३	इन्फोमशन	इन्फोर्मेशन
१७८३	शीर्षक	विधेयकों का उपस्थापन	राजस्थान लोक सेवा आयोग
१७९१	शीर्षक	गैर सरकारी संकल्प-८ मार्च, १९६३—गैर सरकारी संकल्प	संकल्पों पर वाद-विवाद–८ मार्च, १९६३–६ एकड़ की खेती से लगान
१८०६	अन्तिम से ५	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१८१६	अन्तिम से ८	श्री बिजयसिंह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१८४९	शीर्षक	तक कीं लगान ने लेने	तक की, लगान न लेने
१८५०	२८	इाकॉनामिक	इकॉनॉमिक
१८५३	शीर्ष	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
१८६७	शीर्षक	स्वर्णकारों सम्बन्धी-८ मार्च, '६३-गैर सरकारी संकल्प	६ एकड़ तक खेती–८ मार्च, ६३–से लगान न लेने विषयक

१	२	३	४
१८८७ से १८८९ तक	शीर्षक	८ मार्च, १९६३	–८ मार्च, १९६३
१८९७	शीर्ष	(श्री मूरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
,,	१५, १६	(उप-शिक्षा मंत्री) :	(उप-मंत्री, शिक्षा)
१८९९ से १९०२ तक	शीर्षक	८ मार्च, १९६३	–८ मार्च, १९६३–
१९०८	अन्तिम से ४ व ६	हडिडयों	हड्डियों
१९०९	१	श्री जोधसिह चोहान	श्री जोधसिंह चौहान
१९११	शीर्ष	(श्री जोधसिह चोहान)	(श्री जोधसिंह चौहान)
१९१४	१३	wll	will
१९१७	२०	मि० बाउन	मि० ब्राउन
१९१९	२	,Aïr.	,Sir.
१९२४	१२	श्री मरोंसिह	श्री भैरोंसिह
१९४८	अन्तिम से २	१२ मार्च १९६२ के	१२ मार्च, १९६३
१९५३	५	Zla	Zila
१९५३	१२	श्री अब्दुल जब्बारखां	श्री अब्दुलजब्बार